लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४८, १९६०/१८८२ (शक)

[२८ नवम्बर से ९ दिसम्बर, १९६० / ७ से १८ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४८ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खंड ४८—अंक ११ से २०—७ नवम्बर से ९ दिसम्बर, १९६०/७ से १८ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

अंक ११—सोमवार, २८ नवम्बर, १९६०/७ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १२६१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९३ से ५००, ५१८ और ५०१ १२६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०२ से ५१७ और ५१९ से ५२६ . . १२८७—१२९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४५ से ९१३, ९१५ से ९३४। . . १२८९—१३४४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३४५

अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे), १९६०–६१ के बारे में विवरण १३४५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १३४५—४८

(१) स्टैनवैक द्वारा शुल्क संरक्षण का अध्यपर्ण

(२) कानपुर में युद्धास्त्र कारखानों के आंशिक रूप से बाद हो जाने का समाचार

समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंड ७९ से ९७ और ९९ से १८१ . . . . . १३४८—७४

नालागढ़ समिति के बारे में आधे घंटे की चर्चा १३७४- —७९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १३८०—८५

अंक १२—मंगलवार, २९ नवम्बर, १९६० / ८ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५३२, ५३४ से ५३६, ५३९, ५४१ और ५४२ . १३८७—१४०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३३, ५३७, ५३८, ५४० और ५४३ से ५६६ . १४०९—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से १०१३ . . . १४२४—५८

राष्ट्र मंडल प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के बा में वक्तव्य . . १४५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४५९

अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य), १९६०–६१ के बारे में विवरण . १४५९

विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ६९२ के उत्तर की शुद्धि .	१४६०
समवाय (संशोधन) विधेयक-संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंड १८१ से १९०, १९२ से २०३, २०५ से २१५, १९१, २०२ और २०४	१४६०—७९
प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	१४७९—९३
दैनिक संक्षेपिका	१४९४—९९
अंक १३—बुधवार, ३० नवम्बर १९६०/९ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५७१ और ५७३ से ५७६ .	१५०१—२२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ .	१५२२—२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६७, ५७२ और ५७७ से ६०४ .	१५२६—३९
अतारांकित प्रश्न संख्या १०१४ से १०९० और १०९२ से १०९८	१५३९—७८
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१५७८—७९
राज्य सभा से सन्देश	१५७९
ब्रिटिश संविधि—(भारत पर लागू होना) निरसन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . .	१५७९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तिहत्तरवां प्रतिवेदन . . .	१५७९
रेलवे अभिसमय समिति का प्रतिवेदन . .	१५७९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत पाकिस्तान रेल सम्पर्क सम्बन्धी समझौता .	१५८०—८१
कांगो की घटनाओं के बारे में वक्तव्य . . .	१५८२—८६
समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खंड ५ क, ९८ और १ . . .	१५८६—१६०४
पारित करने का प्रस्ताव . .	१६०४
सिन्धु पानी करार के बारे में चर्चा . .	१६०५—२६
दैनिक संक्षेपिका .	१६२७—३३

विषय	पृष्ठ
अंक १४—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९६० / १० अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६०९, ६११, ६१२ और ६१४ . .	१६३५—५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१०, ६१३, ६१५ से ६३४ .	१६५६—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या १०९९—११६८ .	१६६६—९४
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	१६९४—९५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	१६९५—९६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
१३ नवम्बर, १९६० को भाखड़ा बांध में हुई दुर्घटना . .	१६९६—९७
भारत पाकिस्तान वित्तीय वार्ता के बारे में वक्तव्य . .	१६९७—९८
गैर-प्रनुसूचित संचालकों के प्रति नीति के बारे में वक्तव्य .	१६९८—९९
समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	१६९९—१७१३
निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१७१३—२७
कार्य मंत्रणा समिति—	
अट्ठावनवां प्रतिवेदन .	१७२७
दैनिक संक्षेपिका . .	१७२८—३३
अंक १५—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९६० / ११ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३६ से ६४५	१७३५—५५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३५ और ६४६ से ६७९ . . .	१७५५—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या ११६९ से १२५२ . .	१७७०—१८०८
स्थगन प्रस्ताव—	
बेरूबाड़ी का पाकिस्तान को हस्तांतरण और अर्जित राज्यक्षेत्र (विलय) विधेयक का राज्य विधान मंडलों को निर्देश .	१८०८—१२

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१८१२–१३
सभा का कार्य .	१८१३–१४, १८१४–१५
कार्य मंत्रणा समिति––	
अट्ठावनवां प्रतिवेदन . .	१८१४
निवारक निरोध (जा ी रखना) विधेयक––	
विचार करने का प्रस्ताव	१८१५––३४
ग़ैर सरका ी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––	
तिहत्तरवां प्रतिवेदन	१८३४
सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प . .	१८३४––४४
निशान लगा कर मतदान करने की नई प्रणाली के बा ं में संकल्प . .	१८४४––५१
दैनिक संक्षेपिका	१८५२––५८
अंक १६––सोमवार, ५ दिसम्बर, १९६० / १४ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८०, ६८१, ६८३ से ६८६, ६८८, ६९०, ७०३, ६९४ से ६९९, ७०१ और ७०२ . .	१८५९––८३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	१८८३––८५
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८२, ६८७, ६८९, ६९१ से ६९३, ७०० और ७०४ से ७१८	१८८५––९४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२५३ से १२६२, १२६४ से १३२८ और १३३०	१८९४––१९२६
स्थगन प्रस्ताव––	
भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारियों की प्रस्तावित छंटनी	१९२६–२७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१९२८
राज्य सभा से सन्देश	१९२८
निरसन तथा संशोधन विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया .	१९२८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . .	१९२९
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक––	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१९२९
अधिमान-प्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक––	
प्रवर समति का प्रतिवेदन .	१९२९

विषय	पृष्ठ
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—	
संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य	१९२९
गुरुद्वारा रकाबगंज के निकट घटनाओं के बारे में वक्तव्य पाकिस्तान को बेरूबाड़ी के हस्तांतरण के बारे में केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकारके बीच हुई चर्चा के बारे में वक्तव्य निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव . . .	१९२९—५१
खंड २ तथा १ .	१९५१—५५
पारित करने का प्रस्ताव	१९५५—५९
सभा का कार्य	१९६०
अनुदानों की अनुपूरक मांग (रेलवे) १९६०–६१	१९६०—६६
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	१९६६—७१
दैनिक संक्षेपिका .	१९७२—७९
अंक १७—मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९६०/१५ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७१९, ७२०, ७२२ से ७२८ और ७३० से ७३२	१९८१—२००५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२९ तथा ७३३ से ७४३ .	२००५—११
अतारांकित प्रश्न संख्या १३३१ से १४०५ . .	२०११—४१
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२०४१–४२
विधेयक-पुरस्थापित—	
(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक	२०४२
(२) प्रसूति लाभ विधेयक . . .	२०४२
रेलवे अभिसमय समिति प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	२०४३—७२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६०–६१ .	२०७३—७६
कृषि-जन्य पदार्थों के निम्नतम मूल्य के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	२०७७—८४
दैनिक संक्षेपिका	२०८५—८९
अंक १८—बुधवार, ७ दिसम्बर, १९६०/१६ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७४४ से ७४७ और ७४९ से ७५२ . .	२०९१—२११०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ तथा ७५३ से ७७८ . .	२११०—२१

विषय सूची

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १४०६ से १४९६ . .	२१२१—६३
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
(१) एक भारतीय गांव पर कथित पाकिस्तानी हमला	२१६३–६४
(२) गैर सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे के संयंत्र	२१६५—६७
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	२१६४–६५
तारांकित प्रश्न संख्या १२३० के उत्तर की शुद्धि	२१६७–६८
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक-पुरस्थापित	२१६८–६९
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६०–६१ .	२१६९—९२
चीनी के उत्पादन, वितरण और निर्यात के बारे में प्रस्ताव . .	२१९२—२२१५
पश्चिमी बंगाल के लिये पी० एल० ४८० निधि के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२२१५—१८
दैनिक संक्षेपिका	२२१९—२५
अंक १९—गुरुवार, ८ दिसम्बर १९६०/१७ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ७८२, ७८४, ७८५, ७८७ और ७८९ से ७९२ । . . .	२२२७—४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८३, ७८६, ७८८ और ७९३ से ८०४ .	२२४९—५६
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९७ से १५५८ . .	२२५६—८३
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२२८४
राज्य सभा से सन्देश	२२८४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
राष्ट्रमंडल में गणराज्य बनने का दक्षिण अफ्रीका का निर्णय .	२२८४–८५
विनियोग (संख्या ५) विधेयक-पुरस्थापित . .	२२८५
भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक के बारे में . .	२२८५–८६
वायदे के सौदे (विनियम) संशोधन विधेयक —	
विचार करने का प्रस्ताव . .	२२८१—२३००
भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव .	२३००–२३०१
खंड १ और २ . .	२३०१
पारित करने का प्रस्ताव . .	२३०१
भारत में खेल कूद के बारे में प्रस्ताव	२३०२—१७
दैनिक संक्षेपिका	२३१९—२३

विषय	पृष्ठ
अंक २०—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९६०/१८ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८०५ से ८०७, ८०९ से ८११, ८१३ से ८१५ और ८१७ से ८१९	२३२५—४९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . .	२३४९—५१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१२, ८१६ और ८२० से ८२९ . .	२३५१—५७
अतारांकित प्रश्न संख्या १५५९ से १६२० . .	२३५७—८३
स्थगन प्रस्ताव—	
कांगो में भारतीय सैनिक दल	२३८३—८४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२३८४—८५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत पाकिस्तान व्यापार वार्ता	२३८५—८६
सभा का कार्य . . .	२३८७
विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६०—पारित .	२३८७—८८
वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	२३८८—२४०५
खंड २ से २२ और १ . .	२३९९—२४०५
पारित करने का प्रस्ताव .	२४०५
सदस्य की गिरफ्तारी	२४०५
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक (श्री तंगामणि का) पुरस्थापित .	२४०५
नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक—अस्वीकृत—	
विचार करने का प्रस्ताव	२४०६—११
भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक—	
परिचालित करने का प्रस्ताव	२४११—१६
दैनिक संक्षेपिका	२४१७—२२

नोट—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GIPND—LS III—1623(Ai)LSD—30-12-60—115.

लोक-सभा

गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९६०

१७ अग्रहायण, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कपड़ा मिलों का बन्द होना

†*७७९. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो कपड़ा मिलें बन्द थीं क्या उनमें से कुछ और फिर चालू की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी मिलें हैं; और

(ग) क्या ये मिलें सरकार से प्राप्त प्रविधिक और वित्तीय सहायता से चालू की गयी हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (ग). जी, हां। चार और बन्द मिलों में भी काम फिर से चालू हो गया है और इस प्रकार से इस प्रकार की मिलों की संख्या १२ तक पहुंच गयी है जिन्हें इस वर्ष से पुनः चालू कर दिया गया है। चार मिलों में से एक महाराष्ट्र सरकार की वित्तीय सहायता से चालू की गयी है और शेष मिलें सरकार के सीधे हस्तक्षेप के बिना ही चालू हो गयी हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** पहले के एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि सरकार ने तीन मिलों—एक अहमदाबाद और दो राजस्थान की मिलों—के नियंत्रण को अपने हाथ में ले लेने के लिये एक प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया है । क्या सरकार द्वारा उन मिलों को अपने हाथ में ले लिया गया है और यदि हां, तो क्या उन का कार्य चालू कर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : किन मिलों के सम्बन्ध में पूछा जा रहा है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : तारांकित प्रश्न संख्या ५३५ के उत्तर में यह बताया गया था कि सरकार एडवर्ड मिल्स कम्पनी, लिमिटेड, राजस्थान, मेवाड़ टेक्सटाईल मिल्स लिमिटेड, राजस्थान और हथीसिंग मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, लिमिटेड, अहमदाबाद को अपने हाथ में ले रही है । क्या अब उन मिलों को अपने हाथ में ले लिया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: एडवर्ड मिल्स कम्पनी, लिमिटेड, ब्यावर, राजस्थान और मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड भीलवाड़ा, राजस्थान के लिये नियंत्रक नियुक्त कर दिया गया है । हथीसिंग मैनुफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, अहमदाबाद का मामला अब उच्चतम न्यायालय तक जा रहा है ।

†**श्री तंगामणि** : उन चार मिलों में से कितनी पुनः चालू कर दी गयी हैं । पिछली बार जब प्रश्न पूछा गया था, उसके बाद कई और मिलें भी बन्द हो गयी हैं, जैसे कि गणपति मिल्स, मद्रास । क्या सरकार को इस बारे में कुछ जानकारी प्राप्त है ?

†**श्री कानूनगो** : गणपति मिल्स के बारे में तो मुझे ज्ञात नहीं है । परन्तु मैंने जिन चार मिलों का उल्लेख किया है वे हैं—राय बहादुर बंसीलाल अबीरचन्द मिल्स, हिंगमघाट; सावंतराम राम प्रसाद मिल्स, अकोला; जैस प्रिंसेस आफ बेल्स स्पिनिंग मिल्स, आगरा और सीतराम स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, त्रिचूर ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : अभी तक कुल कितनी मिलें बन्द हैं और उन्हें चालू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री कानूनगो** : स्पष्टतया जितनी भी मिलें बन्द हुई हैं, वे सभी की सभी नहीं चाल की जा सकती हैं । कुछ एक ऐसी हैं जिन्हें पुनः चालू करना असंभव होता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं तो केवल उन मिलों की संख्या पूछना चाहता हूं जो कि इस समय तक बन्द हैं ।

†**श्री कानूनगो** : लगभग २७ मिलें ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या यह सच है कि देश में चल रही कुल मिलों में से लगभग एक-तिहाई मिलें अलाभप्रद रूप से चल रही हैं ? यदि हां, तो सरकार उन्हें वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता देने के लिये क्या क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री कानूनगो** : यह कहना सच नहीं है कि एक-तिहाई मिलें अलाभप्रद रूप से चल रही हैं । इस समय कुल लगभग ४८० मिलें हैं और यह कभी भी नहीं हो सकता कि उनमें से एक-तिहाई मिलें अलाभप्रद हों । जो मिलें अलाभप्रद हैं और जिनको पुनः स्थापित किया जा सकता है, उन्हें सरकार अतिरिक्त तकुवे देकर लाभप्रद बनाने का अवसर देती है और जिस मिल को उधार दिया जा सकता है उसे राष्ट्रीय विकास निगम की ओर से ऋण भी दिया जाता है ।

†**श्री वारियर** : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि सीताराम स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स को पुनः चालू कर दिया गया है । क्या उसके सभी सेक्शनों को पुनः चालू कर दिया गया है या केवल वीविंग सेक्शन को ही चालू किया गया है, कताई सेक्शन को नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री **कानूनगो** : मुझे इस बारे में ज्ञात नहीं है। पहले तो मुझे यह सूचना मिली थी कि सारी मिल जल गयी है और अब यह जानकारी मिली है कि उस मिल को फिर चालू कर दिया गया है। परन्तु यह ज्ञात नहीं कि कौन कौन से सेक्शन अभी बन्द हैं।

फिज़ो के लिये ब्रिटिश नागरिकता

+

†*७८०. { **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री राम गरीब :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा विद्रोही नेता श्री ए० जेड० फिजो ने ब्रिटिश नागरिकता के लिए ब्रिटिश सरकार को अभी हाल में आवेदन पत्र दिया है ;

(ख) क्या ब्रिटिश सरकार ने इस बारे में कोई बात भारत सरकार से पूछी है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या राय है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग). ब्रिटिश सरकार द्वारा लन्दन स्थित हमारे उच्चायोग को सूचित किया गया था कि उस सरकार के लिये अब यह आवश्यक हो गया है कि वह श्री फिजो के इस दावे के बारे में कोई निर्णय करे कि उसे ब्रिटिश नागरिक मान लिया जाये।

ब्रिटिश प्राधिकारियों ने इस बारे में हमारे उच्चायोग के पदाधिकारियों से चर्चा की है और उन्होंने यह निर्णय किया है कि वे श्री फिजो द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर यह मान लेने के लिये तैयार हैं कि वह भूतपूर्व ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुआ था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान के अधीन वह भारत का नागरिक बन गया था, और वहां का नागरिक होने के नाते ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम, १९४८ के अधीन उसे ब्रिटिश नागरिक होने का दर्जा प्राप्त हो गया था।

भारतीय उच्चायोग के पदाधिकारियों तथा ब्रिटिश प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों में हुई एक बैठक में यह निर्णय किया गया कि श्री फिजो को भारतीय नागरिकता के आधार पर ही विशिष्ट रूप से ब्रिटिश नागरिक का दर्जा दे दिया गया था और यदि वह पारपत्र के लिये आवेदन करेगा, तो वह कार्य भारतीय प्राधिकारियों को सौंप दिया जायेगा।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह नागरिकता केवल एक वर्ष के लिये ही दी गयी है और उसके बाद उस पर फिर विचार किया जायेगा या कि यह नागरिकता स्थायी रूप से दे दी गयी है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : ब्रिटेन में जो भी व्यक्ति एक साल तक रह लेता है वह वहां की नागरिकता का अधिकारी बन जाता है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : जब श्री फिजो लन्दन में पहुंचे तो क्या उनके पास एल-सलवडर पारपत्र था ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : उनके पास एक एल-सलवेडर पारपत्र था। परन्तु उन्हें रेवरेन्ट माइकल स्कॉट और मिसिज़ उरसूला बौवरज़ द्वारा इस साक्ष्य के आधार पर वहां उतरने दिया गया था कि वे उन्हें पहचानते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह : फ़िज़ो को ब्रिटिश सिटिज़नशिप का जो अधिकार दिया गया है उस को देखते हुए उनके ऊपर जो केसिस हैं, जो चार्जिज़ हैं, उन के कारण क्या उन्हें हिन्दुस्तान में लाया जायेगा ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अभी जो आप ने जवाब सुना उसमें यह नहीं कहा गया कि ब्रिटिश सिटिज़नशिप का उन को अधिकार दिया गया है । यह कहा गया कि इंडियन सिटिज़न वह हैं, ब्रिटिश कानून से उनका स्टेटस और हैसियत इंडियन सिटिज़न की है, लेकिन विलायत में ब्रिटिश सबजैक्ट का एक स्टेटस दिया जाता है और वह ब्रिटिश सबजैक्ट नहीं हुए लेकिन उनको इस का स्टेटस दिया गया, जैसे कोई हिन्दुस्तानी वहां जाय या कामनवैल्थ के और मुल्क से भी जाये तो उसको स्टेटस मिलता है । चुनांचे वह वहां इस स्टेटस से रह सकते हैं । लेकिन अगर पास्पोर्ट की उन को जरूरत हो, तो वह उनको यहां से गवनमेंट आफ इंडिया से मांगना पड़ेगा । ब्रिटिश सिटिजन होने के दूसरे माने हैं जबकि वह पास्पोर्ट वहां से ले सकते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : ब्रिटेन और भारत के बीच इस वक्त जो परस्पर स्नेहपूर्ण वातावरण है उसको देखते हुए और फ़िज़ो के भारतीय नागरिक होते हुए, ब्रिटिश सरकार ने जो उनको सुविधायें देने का वचन दिया है, क्या भारत भी यह मुनासिब समझता है कि जब उनके विरुद्ध दोषारोपण हैं, उन दोषारोपणों को ब्रिटिश सरकार को बताया जाये और उस से मांग की जाये कि वह उनको वापिस यहां भेज दे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह बहुत पेचीदा बात माननीय सदस्य ने कही । इस वक्त अगर कोई भारतीय नागरिक, इंडियन सिटिज़न, इंग्लैंड में हो तो न वे उसको निकाल सकते हैं और न हम उनसे निकलवा सकते हैं । उन को निकलवाने का कोई कानून नहीं है । जैसे वह कामनवेल्थ के और लोगों को नहीं निकाल सकते हैं वैसे ही एक भारतीय नागरिक को नहीं निकाल सकते, यह उनका कानून है, जब तक कि कोई खास एक्स्ट्राडिशन ट्रिटी इस बारे में, हमारे और उनके बीच में न हो । वह नहीं है चुनांचे इस में काफी पेचीदा कानूनी सवाल उठ आते हैं ।

श्री ब्रजराज सिंह : जानने की बात यह है कि भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार से कोई इस तरह की मांग की है या नहीं कि फ़िज़ो को, जिन पर कि हिन्दुस्तान के कानून के मुताबिक कई मुकदमे चलने हैं, यहां भेजा जाये । क्या हमारी तरफ से यह मांग गई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : आप यह आम बात पूछ रहे हैं या श्री फिज़ो के बारे में ?

श्री ब्रजराज सिंह : श्री फ़िज़ो के बारे में ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं, हमने सोच समझ कर मांग नहीं की है । नमुनासिब समझा और न जरूरत समझी ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या प्रधान मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने एक्स्ट्राडिशन ट्रिटी करने के सिलसिले में इस दौरान में इंग्लैंड से कोई वार्तालाप किया है ? यदि हां, तो उस का फल क्या निकला और कब तक यह एक्स्ट्राडिशन ट्रिटी होने की संभावना है । और इस सम्बन्ध में जबकि भारत के कानून के अनुसार श्री फ़ीजो एक दंडनीय व्यक्ति हैं, क्या कारण है कि ब्रिटेन की सरकार उन्हें रक्षण दे रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जवाहरलाल नेहरू : फिर वही दो बातें मिलाई जाती हैं । यह श्री फ़िज़ो के निस्बत सवाल है या आम सवाल है एक्स्ट्राडिशन ट्रिटी का ?

श्री म० ला० द्विवेदी : एक्स्ट्राडिशन ट्रिटी के बारे में तो श्री फ़िज़ो के सम्बन्ध में पूछा जा रहा है, लेकिन यह एक आम सवाल है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी नहीं, ऐसे नहीं पूछा जा सकता, जब तक कि आम ट्रिटी न हो इस के बारे में । एक आदमी के लिये कानून नहीं बनता है, कानून बनता है फिर उसमें आदमी आता है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरे पूछने का मतलब यह था कि अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रिटी कर ली गई होती तो फ़िजो को वहां से बुलाया जा सकता था । मैं जानना चाहता हूं कि १२, १३ सालों में एक्स्ट्राडिशन ट्रिटी के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान की सरकार और इंग्लैंड की सरकार के बीच कोई लिखा पढ़ी हुई है या नहीं, और उसका क्या फल हुआ ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, मैं श्री फ़ीज़ो के अलावा जवाब दे रहा हूं । इसके बारे में कई दफे बातचीत हुई है । ये सवाल हालांकि एक माने में सादे से मालूम होते हैं, लेकिन पेचीदा होते हैं । खाली वहीं नहीं बल्कि और मुल्कों के साथ हमारी ट्रिटी नहीं है, और इसके बारे में कुछ उनसे बातचीत हुई, कुछ हमारे दफ्तरों में बड़े बड़े नोट लिखे गये हैं, बहुत काफी कागज और स्याही खर्च हुई है इस पर, लेकिन अभी तक जहां तक मुझे याद है यह मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है ।

†**श्रीमती मफ़ीदा अहमद :** क्या यह सच है कि श्री फ़िज़ो ने कुछ ब्रिटिश निवासियों की सहायता से भारत के विरुद्ध एक प्रकार का आन्दोलन सा प्रारम्भ कर दिया है और "नागा लोगों का भाग्य—विश्व से अपील" नाम की एक पुस्तिका खुले आम बांटी जा रही है । यदि हां, तो इस कुप्रचार के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** ज्यों ही श्री फ़िज़ो वहां पहुंचे, हमने ब्रिटिश सरकार का ध्यान उस की गतिविधियों की ओर आकृष्ट कर दिया था । उस सरकार ने यह उत्तर दिया है कि यदि वह ब्रिटेन की विधि के अनुसार चलता है तो वह सरकार उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकती, क्योंकि इस प्रकार का प्रचार, विज्ञापन तथा आन्दोलन करने वाले व्यक्तियों को वे कुछ रियायतें दे देते हैं । उन्हों ने लिखा है कि "यदि वह हमारी विधि के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो हम उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे, अन्यथा हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते ।"

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है कि क्या श्री फ़िज़ो ने विद्रोही नागाओं से सम्पर्क बनाया हुआ है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** उस के सीधे सम्पर्क के सम्बन्ध में हमें कोई नई जानकारी तो प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु अनुमान है कि उसका उन लोगों से सम्पर्क अवश्य होगा । पहले तो उसका उन लोगों से कुटिल ढंगों से सम्पर्क स्थापित था । अब सीधा सम्पर्क तो कठिन है, परन्तु परोक्ष रूप से सम्पर्क अवश्य होगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कैलाश और मानसरोवर जाने वाले भारतीय तीर्थयात्री

+

*७८१. **श्री भक्त दर्शन :**
डा० राम सुभग सिंह ।
श्री ज० ब० सिं० बिष्ट :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कितने भारतीयों ने तिब्बत में स्थित कैलाश और मानसरोवर की तीर्थ-यात्रा की ;

(ख) उत्तरी सीमा पर स्थित प्रत्येक दर्रे म से हो कर कितने-कितने तीर्थयात्री गये ;

(ग) उन्हें तिब्बत के प्रवास में किस प्रकार की कठिनाइयों व असुविधाओं का सामना करना पड़ा; और

(घ) उन कठिनाइयों व असुविधाओं को दूर करने के लिये क्या पग उठाये गये या अभी उठाये जा रहे हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां): (क) से (घ). एक ब्योरा सदन की मेज़ पर रख दिया है ।

विवरण

स्थानीय अधिकारियों की इस राय पर कि भारतीय तीर्थयात्रियों को अपने प्राणों की रक्षा के हित में पश्चिमी तिब्बत की यात्रा नहीं करनी चाहिये, केवल ३६ तीर्थयात्री (लिपुलेख से १५, कुंगरी बिंगरी दर्रे से १७ और माना दर्रे से ४) कैलाश और मानसरोवर गये । तीर्थयात्रियों को कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं, जैसे—अच्छे विश्राम घरों का न होना, उचित दरों पर सवारी गाड़ी का अभाव, कैलाश की परिक्रमा पर पाबंदी आदि । भारत-चीन संबंधों के विषय पर श्वेत-पत्रों में दिये गये नोटों से यह पता चलेगा कि स्थानीय अधिकारियों और चीन की सरकार के पास कई शिकायत-पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन उन का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला ।

श्री भक्त दर्शन : इस वक्तव्य के प्रारम्भ में यह कहा गया है कि स्थानीय अधिकारियों की इस राय पर कि भारतीय तीर्थयात्रियों को अपने प्राणों की रक्षा के लिये पश्चिमी तिब्बत की यात्रा नहीं करनी चाहिये, मैं जानना चाहता हूं कि जो ३६ यात्री गये थे, क्या किसी के साथ कोई हादसा हुआ, किसी की जान गई ? अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या चीनी अधिकारियों के ध्यान में यह बात लाई जायेगी कि चूंकि यह भय आधारहीन था, बेसलेस था, इसलिये आगे से इस के बारे में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये और अधिक से अधिक यात्रियों को निमंत्रित किया जाना चाहिये ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): जहां तक मुझे मालूम है कोई हादसा नहीं हुआ । लेकिन इस बात का ध्यान हम तिब्बत के अधिकारियों को दिलायें कि हमारे आदमियों के साथ कोई हादसा नहीं हुआ, एक अजीब बात मालूम होती है । अव्वल तो हमारे मालूम होने के पहले उनको मालूम हो जाता है अगर हादसा हो जाये । अगर हम कहें कि चूंकि अभी तक हादसा नहीं हुआ इसलिये आइन्दा पूरी आजादी दी जायें लोगों को वहां जाने की, तो यह अजीब बात है जो समझ में नहीं आती है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

डा० रामसुभग सिंह : जैसा माननीय भक्त दर्शन जी ने कहा, इस में दिया गया है कि भारतीय तीर्थयात्रियों को अपने प्राणों की रक्षा के हित में पश्चिमी तिब्बत की यात्रा नहीं करनी चाहिये। क्या तिब्बत के अधिकारियों ने यह बतलाया कि इन अधिकारियों की ओर से उनके प्राणों को खतरा था या किसी दूसरों की ओर से। और यदि दूसरों की ओर से था तो जो यह ३६ यात्री गये थे उनमें से एक ब्रह्मचारी जी को क्यों उन लोगों ने अरेस्ट किया और उनका सारा सामान जब्त किया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : चीनी हुकूमत ने हमसे कहा था कि आज कल इस यात्रा के रास्ते की हालत ऐसी है कि वे इत्मीनान नहीं दिला सकते कि वह लोगों की रक्षा कर सकेंगे, अगर कुछ हो तो। इस लिये उन्होंने सलाह दी कि वे न आयें तो अच्छा है। हमने उनकी सलाह को यहां शाया कर दिया ताकि लोग जान जायें। कोई रुकावट नहीं डाली कि उन्हें न जाने दें। लेकिन सलाह दी थी। जब वहां की हुकमत कहती है कि वहां पर खतरा है तो लोगों को मालूम होना चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन भारतीय तीर्थयात्रियों को धार्मिक कर्त्तव्य निभाने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, क्या चीनी सरकार द्वारा इसके कोई कारण बताये गये हैं ? क्या यह तिब्बत की असाधारण स्थिति के कारण से है या कि यह भारत के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं समझता कि अन्य देशों में यात्रा करने का लोगों का क्या अधिकार है।

†**श्री हेम बरुआ :** १९५४ के करार के अधीन .....

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस सम्बन्ध में कोई पूर्व अधिकार प्राप्त नहीं है। संभव है कि वहां पर कोई बीमारी फैली हुई हो जिसकी वजह से रोक लगा दी गई हो। वहां पर सैंकड़ों समस्याएं हो सकती हैं। वहां की स्थिति खराब हो सकती है। जब चीनी प्राधिकारी कहते हैं कि वहां की स्थिति ठीक नहीं है और वे सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते तो, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि वे सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। बस यहां मामला खत्म हो जाता है।

†**श्री हेम बरुआ :** भारतीय यात्रियों को पहले जो सामान्य सुविधायें दी जाती थीं—अर्थात् विश्राम गृह परिवहन आदि की सुविधायें दी जाती थी—क्या वे अब भी दी जाती हैं या नहीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यदि वहां विश्राम गृह थे तो वे वहीं पर होंगे, छः मास के लिये वे वहां से हटाये थोड़े ही जा सकते हैं। परन्तु अधिकांश वहां विश्राम गृह बने ही नहीं थे।

सेठ गोबिन्द दास : इस मामले में एक सवाल और उठता है, जो मैंने पहले भी पूछा था और जिसका सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला, कि हमारे पुराने साहित्य के अनुसार मानसरोवर और कैलाश यह दोनों भारत के भाग थे, और अब जबकि चीन की और हमारी सीमा का सवाल उठा हुआ है, क्या सरकार इस बात की मांग करेगी कि मानसरोवर और कैलाश को वापस भारत की सीमा में शामिल कर दिया जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य उस जमाने की बात करते हैं जबकि जम्बू द्वीप था ।

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या माननीय प्रधान मंत्री इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि क्या इस रिपोर्ट में कुछ सत्यता है कि इन स्थानों पर अब चीनी लोगों ने अपना पक्का कब्जा जमा लिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरी तो यही धारणा थी कि न ही केवल इस क्षेत्र पर अपितु सम्पूर्ण तिब्बत पर चीनी लोगों ने पक्का कब्जा जमा लिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि क्या उन लोगों ने इन स्थानों पर अपने सैनिक कैम्प स्थापित कर लिये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** उस सम्बन्ध में मैं यह भी कह सकता हूं कि तीर्थयात्रा के उस मार्ग में केवल ये स्थल ही नहीं अपितु सम्पूर्ण तिब्बत ही या तिब्बत का अधिकांश भाग स्वयं ही सैनिक कैम्पों से भरा हुआ है ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या सरकार ने मानसरोवर या कलाश से वापिस आने वाले किसी यात्री से सम्पर्क स्थापित किया है और यह पूछा है कि चीनी प्राधिकारियों ने यात्रियों द्वारा कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने के सम्बन्ध में आपत्ति क्यों की थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं समझ नहीं पात कि किसी अन्य देश में उतनी अधिक कठिनाइयों, आन्दोलनों और विद्रोहों के होने पर भी उस देश में यात्रा करने का किसी का क्या अधिकार है। वहां से वापिस आने वाले यात्रियों से तो पूछताछ नहीं की है, परन्तु जिन लोगों ने उनसे पूछताछ की है, उन्होंने हमें बताया है कि उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । फिर भी वे वहां गये थे और वहां से वापिस आगये हैं ।

पूर्व पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति

+

†*७८२. **श्री दी० चं० शर्मा**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **प्रधान मंत्री** ७ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व पाकिस्तान स्थित चल और अचल सम्पत्ति के बारे में बात-चीत पूरी हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) और (ख). भारतीय सम्पत्ति स्वामी संस्था के आनरेरी सेक्रेटरी ने २२ सितम्बर, १९६० को ढाका में पूर्वी पाकिस्तान के राजस्व बोर्ड के सदस्य से भेंट की थी । सिवाय इसके कि सदस्य ने यह वचन दिया है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

वह उन्हें भेजे गये सम्पत्ति मालिकों के व्यक्तिगत मामलों पर विचार करेगा, इस सम्बन्ध में और कोई प्रगति नहीं हुई है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या ढाका स्थित हमारे उप-उच्चायुक्त उस संबन्ध में पाकस्तान सरकार से कोई बातचीत कर रहे हैं ?

†**श्री सादत अली खां :** जी, हां । पूर्वी पाकिस्तानी प्राधिकारियों से राजनयिक स्तर पर इस बारे में निरन्तर प्रयत्न जारी रहते हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** वह सेक्रेटरी राजस्व मंत्री या किसी और व्यक्ति से अन्तिम बार कब मिले थे, और क्या उसके बाद कोई बात हुई है ?

†**श्री सादत अली खां :** आनरेरी सेक्रेटरी राजस्व बोर्ड के सदस्य से पहले मई, १९५९ में मिले थे और फिर सितम्बर, १९६० में मिले थे । उसके बाद मेरे ख्याल में वे उनसे नहीं मिले हों । दूसरी ओर से तो इस सम्बन्ध में विशेष रूप से कुछ भी नहीं किया गया है ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नहरी पानी सन्धि के कारण पाकिस्तान से अब हमारी नयी मित्रता ही स्थापित हो गयी है, क्या अब पाकिस्तान में इस सम्बन्ध में अधिक उदार हृदय की भावना जाग्रत हो रही है और यदि हां,तो क्या शीघ्र ही इस समस्या के हल की कोई आशा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** उत्तर दिया जा चुका है । माननीय सदस्य भविष्य के बारे में पूछ रहे हैं । उसके बारे में उत्तर देना तो केवल अनुमान लगाना होगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या अभी तक पूर्वी पाकिस्तान में चल रही भारतीय कम्पनियों को लाभ-राशियों को भेजने के प्रश्न पर बात-चीत की गयी थी, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कोई प्रगति हुई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे ज्ञात नहीं है कि क्या इस समय इस सम्बन्ध में कोई बातचीत चल रही है या नहीं । परन्तु जब पहले बातचीत की गयी थी, उस समय इस बारे में भी प्रश्न उठाया गया था ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है कि पूर्वी पाकिस्तान में रह गयी कुल कितनी कीमत की चल तथा अचल सम्पत्ति, जिसके सम्बन्ध में लोग दावे कर रहे हैं, रह गई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस समय मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता । परन्तु रा ख्याल है कि इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया जा चुका है । इस बारे में निश्चित आंकड़े निकालने कठिन हैं, क्योंकि वे उन लोगों द्वारा दिये गये बयानों पर आधारित है और यह स्वभा क ही है कि उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर बताया हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य व्यापार निगम

+

†*७८४. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री मुरारका :
श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री खीमजी :
श्री विमल घोष :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ३० अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम को सौंपे जाने वाले कामों के सम्बन्ध में नयी व्यापार नीति के प्रश्न की जांच इस बीच हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम को सौंपे जाने वाले कामों के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति द्वारा ८६वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशें अभी तक विचाराधीन हैं। आशा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या सरकार भविष्य में राज्य व्यापार निगम द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में नीति संबंधी एक घोषणा करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है, और यदि हां, तो क्या भविष्य में सरकारी घोषणा में उसकी घोषणा भी की जायेगी ?

†**श्री कानूनगो :** जी, नहीं। जैसे कि प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की है पहले उसके कार्यों के बारे में निर्णय करना होगा। फिर उसके बाद नीति घोषित करने का प्रश्न उत्पन्न होगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के काम की वजह से कई बन्दरगाहों पर बहुत माल का नुक्सान हो गया और हानि उठानी पड़ी ? क्या इसमें सचाई है, यदि हां, तो इसकी व्यवस्था कैसे होगी ? स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन में क्या सुधार करने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री कानूनगो : जो खबर माननीय सदस्य को मिली है वह बिल्कुल गलत है।

श्री म० ला० द्विवेदी : गलत नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय सदस्यों को एक सुझाव दे देना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्य राज्य व्यापार निगम के अस्तित्व के ही विरुद्ध हैं और कुछ उसके पक्ष में हैं। कुछ सदस्यों का मत है कि इस निगम को अधिक से अधिक काम दिया जाये। मैं इस बात की अनुमति नहीं दे सकता कि प्रश्न काल का उपयोग नीति जानने अथवा नीति की घोशणा करने के लिये किया जाये।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या राज्य व्यापार निगम के कार्यों में से कुछ कार्य किसी ऐसे सहायक निगम को भी दिये जायेंगे जोकि अप्राप्य कच्चे माल की व्यवस्था करेगा और उसका वितरण करेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह एक सुझाव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो :** यह कार्य इस समय राज्य व्यापार निगम द्वारा ही किया जा रहा है। इसके लिये एक अलग सहायक निगम की कोई जरूरत नहीं है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या इस बात की कोई सम्भावना है कि राज्य व्यापार निगम उन देशों के अतिरिक्त जहां पर सब क्षेत्रों में सरकार का अधिकार है, पूंजी वादी देशों के साथ भी व्यापार प्रारम्भ करेगी ?

†**श्री कानूनगो :** यह निगम केवल कुछ एक देशों के लिये ही प्रारम्भ नहीं किया गया था। वस्तुतः, विश्व के सारे देशों के साथ व्यापार किया जा रहा है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या सरकार को ज्ञात है कि यह राज्य व्यापार निगम देश के वास्तविक व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के बजाय बीच के लोगों को ही अधिक प्रोत्साहन देता है जिसका कारण उसे ही ज्ञात है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस प्रकार के आरोपों की अनुमति नहीं दे सकता। मैं यत्न कर रहा हूं कि राज्य व्यापार निगम की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिये इस सभा को अवसर दिया जाये। सभी महत्व-पूर्ण रिपोर्टों पर चर्चा की जा रही है। सभा को अधिक समय तक बैठने के लिये कहा जा रहा है। अन्य सभा में भी इस पर चर्चा की गई है यहां पर भी उस पर चर्चा की जायेगी। परन्तु प्रश्न काल इस प्रकार के प्रश्नों से कोई लाभ न होगा।

†**श्री त्यागी :** क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा कच्ची सामग्री या अन्य प्रकार की वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में आयात करने से पहले सम्बन्धित मंत्रालय से परामर्श किया जाता है और आयात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा के सम्बन्ध में तथा उन वस्तुओं के यहां पर विक्रय की दरों के सम्बन्ध में मंजूरी ली जाती है ?

†**श्री कानूनगो :** जी, हां। कोई भी वस्तु मंगाने के लिये सरकार की ओर से ही हिदायतें दी जाती हैं। कोई भी कार्य निगम अपनी इच्छा से नहीं करता। जैसे कि निर्यात की मात्रा आदि के सम्बन्ध में निर्णय किया जाता है वैसे ही वितरण के तरीके और दरों के सम्बन्ध में भी निर्णय किया जाता है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या सरकार को ज्ञात है कि राज्य व्यापार निगम के कार्यों के कारण बाजारों में एक अनिश्चितता सी उत्पन्न हो गई है ? . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस प्रकार की अनुमति नहीं दे सकता।

†**श्री महन्ती :** क्या यह सरकार की और राज्य व्यापार निगम की गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी आयात कर्त्ताओं को प्राधिकार के पत्र जारी करने की नीति है ?

†**श्री कानूनगो :** जी, हां। प्रमुख आयात नियंत्रक से जब हिदायत प्राप्त होती है तब उस समय प्राधिकार के पत्र जारी कर दिये जाते हैं।

†**श्री महन्ती :** मैं संगत प्रश्न पूछना चाहता हूं। राज्य व्यापार निगम ने राज्य व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश किया है क्या . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। माननीय सदस्य को मुझ से तर्क नहीं करना चाहिये। यदि वे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वे सीधा प्रश्न पूछें कि उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो :** आयात सम्बन्धी लाइसेंस देने में यह तो एक सामान्य तरीका है। राज्य व्यापार निगम भी एकपार्टी है जिसे लाइसेंस दिया गया है। जिस भी पार्टी को कोई लाइसेंस दिया जाता है उसे किन्ही विशिष्ट परिस्थितियों में इस बात की भी अनुमति दी जाती है कि वह इस में से कुछ वस्तुओं के आयात का कार्य किसी दूसरे को भी दे सकता है।

†**श्री महन्ती :** क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में व्यक्ति और व्यक्ति तथा पार्टी और पार्टी में भेद भाव रखा जा रहा है ?

†**श्री कानूनगो :** जी, नहीं।

दिल्ली में राजस्थान सरकार की सम्पत्ति

†*७८५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **क्या निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में (१) राजस्थान सरकार और (२) राजस्थान नरेशों की क्या-क्या अचल सम्पत्ति है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार इस सम्पत्ति को किस तरह काम में लाती है और वह मालिकों को एवज़ में क्या देती है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा):** (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२]**

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** ये किराये किस आधार पर निर्धारित किये गये हैं और भूतपूर्व नरेशों को दिये जाने वाले अंश के बारे में निर्णय कैसे किया गया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जहां तक राज्य सरकार और भूतपूर्व नरेशों में किराया बांटने का सम्बन्ध है, यह मामला पूर्णरूपेण उनका अपना है। उस सम्बन्ध में राज्य सरकार और भूतपूर्व रियासतों में एक करार किया गया है। उससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है मोटे तौर पर सिवाय जयपुर रियासत के जो कि पच्चास प्रतिशत प्राप्त करती है, शेष सभी रियासतों की सम्पत्तियों के किराये में से राज्य सरकार दो तिहाई और वे रियासतें एक तिहाई भाग प्राप्त करती हैं। जहां तक किरायों की राशि का सम्बन्ध है, ये इमारतें पिछले कई वर्षों से सरकारी कब्जे में हैं और इनका किराया मूलतः वही है जो उस समय हुआ करता था जब कि सरकार ने पहली बार इन इमारतों को किराये पर लिया था।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मेरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मेरा प्रश्न यह था कि इन इमारतों के किराये किस आधार पर निर्धारित किये गये हैं। वे इमारतें सरकारी कब्जे में थीं और किराया अभी हाल ही में निर्धारित किया गया है। उस से पहले किराया निर्धारित नहीं किया गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि इस दौरान में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार में किन बातों के बारे में विचार विमर्श किया जाता रहा ? उनके बारे में फैसला कब किया गया था और किस आधार पर किराये निर्धारित किये गये हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** ये किराये उपयुक्त तथा उचित हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** ये किस आधार पर निर्धारित किये गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**एक माननीय सदस्य :** मार्केट दर के आधार पर ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा । किराया प्रत्येक मकान का और सुविधाओं की उपलब्धि आदि के अनुसार भिन्न २ होता है । सब मकानों और सब सम्पत्तियों के लिये एक ही आधार कैसे हो सकता है ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** कुछ कसौटियों के अनुसार किराये निश्चित किये जाते हैं । हमें वे कसौटियां जानने का हक है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं ऐसी सूचना प्राप्ति के लिये प्रश्न काल का उपयोग करने की अनुमति नहीं दूंगा । माननीय सदस्य को कसौटी मालूम है और वह माननीय मंत्री से उसे पूछना चाहते हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मुझे कसौटी कैसे मालूम है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता कि विशिष्ट बंगले का किराया कैसे निश्चित किया जाता है । यह केवल एक युवराज का मामला नहीं है परन्तु कितने ही युवराजों के अपने मकान हैं और प्रत्येक के मामले में प्रश्न उत्पन्न होगा कि केन्द्र और राज्य के बीच अनुपात क्या है । क्या वे सब मामले यहां लाये जाने चाहियें जैसा कि वे सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनमें कन्याकुमारी के लोगों को भी दिलचस्पी है ? मैं ऐसा नहीं समझता । मैं सामान्यतया केवल उन प्रश्नों की अनुमति दूंगा जो अखिल भारतीय महत्व के हैं और केवल असाधारण मामलों में जहां इस सभा का क्षेत्राधिकार है व्यक्तिगत मामलों सम्बन्धी प्रश्नों की अनुमति दूंगा । मैं प्रत्येक छोटी चीज़ के बारे में प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा कि ब्यौरा क्या है आदि । मैं एक दो सामान्य प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं परन्तु मैं अग्रेतर ब्यौरा में पड़ने वाले प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा कि आधार क्या है आदि । आधार सामान्य है । दूसरे माननीय सदस्य ने बाजार दर को आधार कहा है । अब हम इस में नहीं पड़ सकते ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** यह सर्वथा व्यक्तिगत मामला नहीं है । यह राजस्थान सरकार और केन्द्र के बीच का मामला है । मैं ऐसे मामलों में दिलचस्पी नहीं रखता । यह राजस्थान सरकार और केन्द्र के बीच का प्रश्न है । राजस्थान सरकार के लगभग दस बड़े मकान हैं और उनका किराया राजस्थान सरकार को मिलता है । हमें राज्य सरकार का आशय जानने का हक़ है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह और क्या है ? चाहे दस मकान हों या सौ । क्योंकि राजस्थान सरकार का हित है और माननीय सदस्य राजस्थान के हैं, इस लिये मैं उनमें से प्रत्येक मकान के बारे में ब्यौरा सम्बन्धी प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता । मुझे वास्तव में इस पर आश्चर्य है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : भारत सरकार और राजस्थान के राजाओं के बीच एक समझौता हुआ है जिसे क्वनेंट कहते हैं उसके अनुसार वहां के राजाओं को प्रिवी पर्स मिल रही हैं, मैं जानना चाहता हूं कि प्रिवी पर्स के अलावा उन मकानों का किराया उन्हें क्यों दिया जा रहा है जब कि यह मकान राजस्थान के हैं तो यह किराया राजाओं को कैसे दिया जा रहा है ?

†**अनिल कु० चन्दा :** मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस मामले का फैसला राजस्थान सरकार और युवराजों को करना है ।

†**श्री नि ० बि० माइती :** क्या केन्द्रीय सरकार इन मकानों का किराया लगातार और समय पर दे रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** यह पुस्तक-समायोजन का प्रश्न है। मुझे विश्वास है कि हम किराया देते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि राजस्थान तथा अन्य कुछ राज्यों के महाराजाओं की ऐसी सम्पत्ति भी दिल्ली में है जिसके कि खरीदने में भारत सरकार से कुछ बातचीत चल रही है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** हम भूतपूर्व राजे महाराजों के मकान खरीदने के लिये राजस्थान तथा कुछ अन्य राज्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

†**श्री तंगामणि :** विवरण से पता चलता है कि इन सात मकानों के लिये लगभग २८००० रुपये किराया दिया जाता है। क्या पिछले पांच वर्षों में किराये में कुछ अन्तर हुआ है और यह वही किराया है जो पांच वर्ष पूर्व दिया जाता था ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मैं समझता हूं कि कुछ समय पूर्व किराये का अन्तिम रूप में फैसला किया गया था। मुझे ठीक वर्ष का पक्का पता नहीं है।

†**श्री हरिचन्द्र माथुर** : क्या राजस्थान सरकार पिछले कितने ही वर्षों से कुछ क्षेत्रों को अपने काम के लिये छुड़ाना चाहती है, परन्तु उन की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा रहा और यदि हां, तो उस के लिये क्या कारण हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** हम इन से कुछ सम्पत्तियों को खरीदने के लिये राज्य सरकार से बातचीत कर रहे हैं और अभी हाल में हम ने कुछ समझौता किया है। इन में से चार मकान राज्य सरकार हमें बेचेगी। मूल्य निश्चित हो चुके हैं। अब हमारे लिये नई दिल्ली में उनके लिये कुछ भूमि देने का प्रश्न है जहां वे राज्य गैस्ट हाउस बना सकें। हम उपयुक्त स्थान की तलाश कर रहे हैं। यह वर्तमान स्थिति है।

बड़ा होती का खाली किया जाना

†***७८७. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ा होती (उत्तर प्रदेश) के निवासियों ने चीनी दबाव के कारण वह जगह खाली कर दी है; और

(ख) क्या उन्हें किसी जगह फिर बसाया गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) और (ख). जी, नहीं, बड़ा होती जो १५००० फुट की ऊंचाई पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के नवीन उत्तराखण्ड डिवीज़न के चमोली जिले में केवल एक शिविर स्थल है। इस स्थान पर कोई गांव या कोई निवासी नहीं है। ग्रीष्म कालीन महीनों में हमारे राजस्व कर्मचारियों का दल वहां ठहरता है और भारतीय तिब्बती व्यापारी आते हैं और तिब्बत को जाते हैं।

चीनियों के साथ एक करार है कि न तो भारत और न चीन बड़ा होती में अपने सशस्त्र सैनिक भेजेगा जब तक कि इस क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों में समझौता न हो जाये। तथापि हम प्रति वर्ष

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्व दल वहां भेजते रहते हैं । शरद ऋतु के महीनों में वहां सख्त ठंड पड़ने के कारण राजस्व दल भी वापिस आ जाते हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** यह मान कर कि बड़ा होती केवल शिविर लगाने का मैदान है क्या वे भारतीय जो पहले वहां ठहरा करते थे, पिछली ग्रीष्म ऋतु में तथा उससे पहले भी वहां ठहरे थे ?

†**श्री सादत अली खां :** जी, हां; वे पिछली ग्रीष्म ऋतु में वहां ठहरे थे ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, पिछली बार जहां तक मुझे याद है यह आश्वासन दिया गया था कि जाड़ों में भी हमारे आदमी वहां रहेंगे और मुझे जहां तक पता लगा है इस बार इस का प्रयत्न किया गया है और क्या यह सत्य है कि अभी तक भी हमारे आदमी वहां मौजूद हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मुझे याद नहीं है कि यह आश्वासन कब और कैसे दिया गया था । कुछ मुझ वजह नहीं मालूम होती कि वह वहां निहायत परेशानी में ५, ६, ७ या ८ महीने दुनिया से अलग हो कर रहें और वहां पर उनके लिए खास इंतजाम करना पड़े । लेकिन यह जरूर हुआ था कि वे जरा पहले जांय और जरा ज्यादा देर तक वहां रहें ।

†**श्री महन्ती :** क्या इस समय बड़ा होती भारतीय कब्जे में है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** बड़ा होती छोटा क्षेत्र है, जिस के बारे में चीन के साथ इस बड़े विवाद के आरम्भ होने से पूर्व, विवाद चल रहा था, अर्थात् कई वर्षों से और इस दशाब्दि के ठीक आरम्भ होने से विवाद चल रहा था और इस के बारे में बातचीत हो रही थी ।

जैसा कि कहा गया है, यह फैसला किया गया था कि इस विशिष्ट चरागाह क्षेत्र पर कोई भी सशस्त्र सेना कब्जा न करे, चाहे वह चीन की हो या भारत की । निस्शस्त्र लोग वहां जा सकते हैं और हम ग्रीष्म कालीन महीनों में अपने राजस्व कर्मचारियों को वहां भेजते रहे हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या वे ढोर पालने वाले जो वहां जाया करते थे, पिछली ग्रीष्म ऋतु में अपने ढोरों को वहां ले गये थे ?

चरागाह हैं वहां पर तो मवेशियों को चराने के लिये भेड़ बकरियों को चराने के लिए वह लोग वहां पर पिछली समर में गये थे कि नहीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कितने मवेशी और कौन गये थे मेरे पास उसका हिसाब नहीं है लेकिन इंसान गये थे । हमारी तरफ से हमारी रेवेन्यु पार्टी वहां गई और वह वहां कायम रही । सारा ७, ८ महीने कायम रही । जब वहां के हालात सर्दी के मौसम के हालात बहुत खराब हो जाते हैं तब वहां से लौट आई । कोई भी नहीं रहा ।

डा० राम सुभग सिंह : मूल प्रश्न यह है कि जो आदमी वहां जाते थे और जो बड़ा होती मैदान को अपने प्रयोग में लाते थे, उन लोगों को अब चीनी प्रैशर के कारण वहां रहने नहीं दिया जा रहा है । क्या यह बात सही है और यदि नहीं, तो उन लोगों की उचित व्यवस्था के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी, ताकि वे वहां रहें, या दूसरी जगह उसी तरह काम करें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जवाहरलाल नेहरू : रहने का तो कोई सवाल नहीं है। वहां भेड़-बकरियां ले जाने का सवाल था। मैं यकायक तो इस का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मेरा ख्याल था कि वे दूसरी जगह से आते थे वहां, इधर से नहीं।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या यह सच है कि हमारे समझौते के बावजूद चीनी वहां बड़ा होती की पठार पर शरद ऋतु में अपनी सशस्त्र सेना रखते रहे हैं ? क्या सरकार को कोई सूचना मिली है कि क्या उनके सशस्त्र सैनिक इस शरद ऋतु में अभी भी वहां हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी, नहीं; जहां तक मुझे मालूम है, यह सच नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह बड़ा होती विवाद वर्तमान भारत-चीन विवाद से पहले आरम्भ हुआ था, क्या इस बड़ा होती सम्बन्धी मामले पर चीनी अफसरों के साथ यहां दिल्ली में चर्चा की गई थी और उन अफसरों ने मानने से इनकार कर दिया तथा वे अपने मानचित्र इकट्ठे कर के यहां से चल दिये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यदि माननीय सदस्य जारी किये गये विभिन्न श्वेत पत्रों का उल्लेख करेंगे, तो उन को बड़ा होती के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी। हम ने तीन वर्ष पूर्व इस मामले पर चर्चा करने के लिये चीनी अफसरों को पृथक बुलाया था—मैं समझता हूं कि यह २$^{१}/_{२}$–३ वर्ष पहले की बात है। उन्होंने इस पर पूरी चर्चा की थी। इसका कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकला। इसलिये वे चर्चाएं निलंबित कर दी गई थीं और चर्चा पुनः होनी थी। हाल की चर्चाओं के दौरान, बड़ा होती के बारे में विशेष रूप से चर्चा नहीं की गई थी।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जहां तक मेरी जानकारी है, बड़ा होती में रहना उतना कठिन नहीं है, जितना कि वहां पहुंचना और वहां से वापस आना, क्योंकि करीब उन्नीस हज़ार फीट की ऊंचाई का एक दर्रा पार करना पड़ता है। इसलिये, गवर्नमेंट बहुत दिनों से विचार कर रही है कि एक नदी के किनारे-किनारे एक सड़क ऐसी बनाई जाये कि बारह महीने वहां यातायात खुला रहे मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस बारे में कोई व्यवस्था की जा रही है, ताकि हमारा कैम्प वहां बना रह सके ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यकायक इस का जवाब नहीं दे सकता। यूं तो हम पहाड़ों में बहुत जगह रास्ते बना ही रहे हैं। मुझे खास याद नहीं है कि पहाड़ों के आर-पार ले जाने के लिए कोई रास्ता बनाये जाने की तजवीज़ है। मुझे कुछ शक होता है कि उस की ज़रूरत है या नहीं, और उस पर जो खर्च होगा, वह कारामद होगा या नहीं।

कोयला खान भविष्य निधि

†*७८९. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७७०-घ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान भविष्य निधि के सदस्यों को वर्ष १९५८ के सदस्यों के लेखे का वार्षिक विवरण देने में देरी के क्या कारण हैं;

(ख) उन विवरणों के कब तक दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि वापसी के दावे निबटाने में काफी देर हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) बहुत सी कोयला खानों द्वारा अंशदान कार्ड देने में विलम्ब तथा उन कार्डों में अनेक गलतियों के कारण उन में शोधन करने के लिये कार्डों को कोयला खानों को वापिस भेजने की जरूरत पड़ी । लगभग २०० कोयला खानों ने कार्ड नहीं भेजे ।

(ख) १९५८ के विवरण १,२२,६६९ कर्मचारियों को भेजे जा चुके हैं । अवशिष्ट विवरण यथाशीघ्र भेज दिये जायेंगे ।

(ग) दावों का निबटारा यथाशीघ्र किया जाता है, परन्तु जिन मामलों में सदस्यों द्वारा तथा कोयाला खानों द्वारा उचित नामांकन नहीं किया होता और पूरी जानकारी और दस्तावेज़ नहीं दिये जाते, उन में विलम्ब हो जाता है ।

†श्री त० ब० विठ्ठल राव : पिछली बार बताया गया था कि विवरण भेजने में विलम्ब का कारण यह था कि कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त थी और कुछ दूसरे कर्मचारी भर्ती करने का विचार था । क्या तब से कोयला खान भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी बढ़ा दिये गये हैं ?

†श्री ल० ना० मिश्र : हम ने कर्मचारी बढ़ा दिये हैं । विलम्ब के तीन मुख्य कारण हैं : पहला यह कि कोयला खान मालिकों ने अपने विवरण समय पर नहीं भेजे, दूसरे उन्होंने जो कार्ड भेजे वे त्रुटिपूर्ण थे, तीसरे दशमलव प्रणाली अपनाई जाने के कारण पिछले वर्ष कुछ विलम्ब हो गया ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : विवरण से मैं देखता हूं कि २०० कोयला खान मालिकों ने विवरण नहीं भेजे । उन खानों में कितने कर्मचारी हैं ?

†श्री ल० ना० मिश्र : २०० ने नहीं भेजे, ८०० ने भेज दिये हैं ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिये निरीक्षक नियुक्त करने वाला औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र लगातार छानबीन करता रहता है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : उसी छानबीन के द्वारा हमें इस स्थिति का पता चला है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : विवरण के भाग (ग) में कहा गया है :

"दावों का निबटारा यथ शीघ्र किया जाता है, परन्तु जिन मामलों में सदस्यों तथा कोयला खानों द्वारा उचित नामांकन नहीं किया होता और पूरी जानकारी और दस्तावेज़ नहीं दिये जाते, उन में विलम्ब हो जाता है ।"

प्रक्रिया को सरल करने के लिये और बिना विलम्ब भुगतान हों इस के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : वर्तमान पद्धति ठीक चल रही है । जैसा मैं पहले कह चुका हूं, विलम्ब के मुख्य दो या तीन कारण थे । हम उन पर अभियोग चला रहे हैं, जो इसके लिये दोषी हैं ।

†श्री तंगामणि : क्या यह तथ्य है कि यह जो लेखा विवरण दिया जाता है, उसमें केवल ६५ प्रतिशत मजदूर आते हैं ? यदि हां, तो किस समय तक सब मजदूर इसमें आ जाएंगे ? जब इस

†मूल अंग्रेजी में

मामले की चर्चा यहां की गई थी, हमें बताया गया था कि सामान्यतया सब मजदूरों को विवरण ति वर्ष भेजे जाते हैं ।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मैं ६५ प्रतिशत नहीं कहता । ३ लाख से अधिक सदस्य हैं और हमारे पास १,२२,००० के विवरण हैं । हमें शेष के बारे में शीघ्र ही विवरण मिलने की आशा है । मैं उस के लिये कोई निश्चित समय नहीं बता सकता ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : माननीय मंत्री ने कहा है कि अभियोग चलाये जा रहे हैं । २०० कोयला खानों ने विवरण नहीं भेजे इसे ध्यान में रखते हुए कितने अभियोग चलाये गये हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मैं ठीक संख्या नहीं बता सकता । परन्तु प्रतिदिन ३–४ अभियोग चलाये जाते हैं ।

आयरलैंड के साथ चाय का व्यापार

+

†*७९०. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० गं० देव :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयरलैंड के साथ चाय के व्यापार का क्या भविष्य है और आयरलैंड के चाय प्रतिनिधि मंडल के दो सप्ताह के दौरे का क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : आशा है कि आयरलैंड के प्रतिनिधि मंडल के आगमन से उत्पन्न सद्भावना के परिणामस्वरूप, आयरलैंड को भारतीय चाय का निर्यात भविष्य में बढ़ जाएगा ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : इस समय आयरलैंड को कितनी भारतीय चाय का निर्यात होता है और पश्चिमी यूरोपीय बाजार में भारतीय चाय के साथ कौन प्रतियोगिता करता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं उसका उत्तर दे सकता हूं परन्तु प्रश्न का आयरलैंड के साथ व्यापार से विशेष रूप से संबंध है और सब पश्चिम यूरोपीय बाजारों से नहीं । आयरलैंड को हमारा औसत निर्यात १५०–१६० लाख पौंड प्रतिवर्ष है, जब कि वहां की कुल खपत लगभग २००–२४० लाख पौंड है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि आयरलैंड के इस प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि आयरलैंड भारत से पिछले वर्ष के १६० लाख पौंड के चाय के आयात का अपना अभ्यंश बढ़ाने को तैयार है यदि भारत कम दामों पर काय देने को तैयार हैं और उसने यह भी सुझाव रखा है कि व्यापार का संतुलन करने के लिये भारत को आयरलैंड से घोड़े और शराब खरीदना चाहिये ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : आयरलैंड में कोई अभ्यंश प्रणाली नहीं है । वे किसी भी देश से कम दामों पर माल खरीदते हैं । हम आयरलैंड को सब से अधिक भेजते हैं और अब भी हमारी स्थिति वही है । इस वर्ष एक विशिष्ट प्रकार की चाय की कमी के कारण, जिसकी मांग अधिक है, कुछ कठिनाई थी । इसका कारण यह था कि इस वर्ष के पहले भाग में सूखा था । आयरलैंड साधारणतया आसामी चाय लेता है । स्थिति शीघ्र ही ठीक हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि इस समय आयरलैंड भारत से केवल अच्छी किस्म की चाय ले रहा है और वह आम चाय लेने को तैयार है यदि यह कम दामों पर मिले, क्योंकि वह आम चाय लंका और अफ्रीका से खरीदता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह सच है कि हमारी आम चाय दूसरे देशों की आम चाय की तुलना में हमेशा सस्ती नहीं होती। कारण स्पष्ट है। हमारी जनसंख्या बड़ी है और अधिकतर आम चाय घरेलू उपयोग में आ जाती है।

†**श्री मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : चाय प्रतिनिधिमंडल किन निश्चित प्रस्तावों के साथ आया था ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : एक प्रतिनिधि मंडल कुछ समय पूर्व आयरलैंड गया था और यह प्रतिनिधि-मंडल चाय बोर्ड के प्रधान के निमंत्रण पर, पारस्परिक सद्भावना के नाते आया था।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : आयरलैंड के प्रतिनिधिमंडल के आगमन के फलस्वरूप हम अपनी आम चाय का किस मात्रा तक निर्यात करने की आशा करते हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : आयरलैंड के प्रतिनिधिमंडल का प्रयोजन आम चाय खरीदना नहीं था, बल्कि हमारे चाय बागानों में घूमना और हमारी विक्रय व्यवस्था को देखना, विशेषकर यह देखना था कि क्या वे अधिक चाय खरीद सकते हैं। वे अपनी आवश्यकता का लगभग ७० प्रतिशत भारत से खरीद रहे हैं। हम अपना निर्यात बढ़ाने को उत्सुक हैं।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या यह सच नहीं है कि आयरलैंड के उपभोक्ता बढ़िया किस्म की चाय चाहते हैं और क्या हम उस किस्म की चाय निर्यात कर सकते हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : बढ़िया किस्म और आम तुलनात्मक शब्द है। निस्सन्देह आयरलैंड और इंगलिस्तान में लोग बहुत बढ़िया किस्म की चाय चाहते हैं और हम उनको बढ़िया किस्म की चाय निर्यात कर रहे हैं। उन्हें मिलाने के लिये भी कुछ आम चाय की जरूरत होती है। अत : वे हमसे बढ़िया चाय खरीदते हैं और अन्य देशों से आम जहां वह सस्ते दामों पर मिल सकती है।

पटसन का मूल्य

†*७९१. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में पटसन का मूल्य और बढ़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मूल्य में अत्यधिक वृद्धि रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां।

(ख) मूल्य वृद्धि का कारण अंशत: संभरण की कमी और अंशत: सट्टेबाजी है।

(ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

पटसन के दामों म अत्याधिक वृद्धि को रोकने के लिये की गई कार्यवाइयां

(१) पाकिस्तान से पटसन की कतरनों के आयात पर उदारतापूर्वक अनुमति दी जाती है ।

(२) भारतीय पटसन मिल संस्था के सदस्यों द्वारा मिलों से पटसन के विक्रय का विनियमन संथा द्वारा निर्धारित अभ्यंशों के आधार पर किया जाता है ।

(३) संथा के सदस्य मिलों को, उपलब्ध संभरण के अनुसार कच्चे पटसन के उपयोग का समायोजन करने के लिये, पटसन के माल का उत्पादन घटाने की अनुमति दी गई है ।

(४) ईस्ट इंडिया जूट एण्ड हेशियन ऐक्सचेंज' को पटसन और पटसन माल के हस्तांतरणीय विशिष्ट डिलीवरी संविदाओं के किसी भी डिलीवरी के कारण का विनियमन करने की शक्ति दे दी गई है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : सभा-पटल पर जो विवरण रखा गया है और जिसमें यह बताया गया है कि पटसन की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि वायदा बाजार आयोग ने भी विशेष रूप से सट्टा रोकने के लिये कोई कदम उठाया है या नहीं । क्या माननीय मंत्री इस विषय में कुछ बताने की कृपा करेंगे ?

†**श्री कानूनगो** : अंत में यह कहा गया है :

> "कि ईस्ट इंडिया जूट एण्ड हेशियान एक्सचेंज को पटसन और पटसन के माल के हस्तान्तरणीय विशिष्ट डिलीवरी संविदाओं में किसी भी डिलीवरी के व्यापार का विनियोमन करने की शक्ति दे दी गई है ।"

'मार्जिन्स' निर्धारित कर दिये गये हैं और नान ट्रांसफरेबल डिलीवरी कन्ट्रैक्ट्स पर नियंत्रण रखने के निदेश जारी कर दिये गये हैं । सच तो यह है कि सभा में एक विशेष संशोधक विधेयक रखा जाने वाला है । जिसका उद्देश्य कुछ ऐसी गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना होगा जिन पर इस समय नियन्त्रण नहीं रखा जा सकता ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या माननीय मंत्री को पता है कि पिछले महीने—१० नवम्बर को ही—सरकार द्वारा २०,००० बोरियों का आर्डर दिये जाने के कारण सट्टा बढ़ गया और दो दिन में ही दामों में ५ रुपये प्रति १०० बोरी वृद्धि हो गई ? इन बोरियों की जरूरत शायद अनाज रखने के लिये है जो कि पुरानी बोरियों में भी रखा जा सकता था ।

†**श्री कानूनगो** : उसका कीमत पर असर जरूर पड़ा । परन्तु संभरण तथा निपटान के महानिदेशक को उतने माल की अत्यन्त आवश्यकता थी और उसे देर तक रोका नहीं जा सकता ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि पटसन बाजार में पिछले कुछ वर्षों में, मूल्यों का उतार चढ़ाव हुआ है क्योंकि मूल्य अधिक थे और फिर ७ अक्तूबर से मूल्य में बड़ी कमी हो गई है। पटसन बाजार में अस्थिर स्थिति है । इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार सट्टा बाज़ी को रोकने के लिये, जो पटसन बाजार की अस्थिरता के लिये जिम्मेदार है, क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**श्री कानूनगो** : मैं कहूंगा कि मूल्यों में अत्यधिक मंदी और तेजी पिछले १८ महीनों में हुई है । इससे पूर्व बाजार स्थिर था । निस्सन्देह, सामान्यता, कुछ अन्तर होता है और वह होता रहेगा । मूल समस्या यह है कि उचित किस्म का कच्चा पटसन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता । हम वांछित किस्म के पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिये हर प्रयत्न कर रहे हैं और अभी तक प्रयत्न सफल रहे हैं । परन्तु हमारी मांग हमारे संभरण से कहीं अधिक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**कुछ माननीय सदस्य**: अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

†**श्री त्यागी** : हमें अगला प्रश्न लेना चाहिये, जो बहुत महत्वपूर्ण है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मुझे एक और प्रश्न पूछ लेने दीजिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने उन्हें कितने ही प्रश्न पूछने की अनुमति दी है । उन्हें एक प्रश्न और पूछ लेने दीजिये ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : भावों में अत्यधिक उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, जिसका माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है, जिसका हमारी विदेशी पंजी की कमाई पर अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ा है ; क्या इस प्रकार के अभाव के समय में पटसन माल अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री कानूनगो** : हमने अभी अधिग्रहण करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया है, क्योंकि इस समय अभ्यंश क्रय की यह स्वैच्छिक प्रणाली लागू है और इसके परिणाम अच्छे रहे हैं ।

पाकिस्तान के कब्जे में त्रिपुरा का क्षेत्र

†*७९२. **श्री दशरथ देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व पाकिस्तान ने त्रिपुरा में अमरपुर और सबरूम सब–डिविजन में एक बहुत बड़े क्षेत्र पर, जिसे जलैया क्षेत्र कहते हैं, कब्जा जमा लिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकर ने अभी हाल में आदिम जातियों को बहुत बड़ी संख्या में निकाल बाहर किया है; और

(ग) त्रिपुरा के उस क्षेत्र को जो एक लम्बे अर्से से त्रिपुरा के संघ राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत रहा है, अपने अधीन कायम रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) और (ख) त्रिपूरा प्रशासन इस प्रकार की खबरों की जांच कर रहा है ।

(ग) जांच समाप्त होने पर इस पर विचार किया जायेगा कि आगे कार्यवाही क्या की जाये ।

†**श्री दशरथ देव** : क्या यह सच नहीं है कि इस क्षेत्र में १९५२ से विवाद चल रहा है और पाकिस्तानी अफसरों तथा त्रिपुरा के एस० डी० ओ० के बीच कुछ निर्णय हो गये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह एक पुराना मामला है । यह पश्चिम में फेनी नदी तथा रंगा-फेनी नदी के बीच एक छोटे से क्षेत्र के बारे में है । भारत-पाकिस्तान सीमा विवाद के संबंध में गत वर्ष किये गये निर्णयों में इस मामले के बारे में यह तय किया गया था कि इस सम्बन्ध में इस विशिष्ट क्षेत्र से सम्बन्धित दोनों ओर के राजस्व अभिलेखों आदि के अग्रेतर अध्ययन की आवश्यकता है और तब सरकारें इस के बारे में अग्रेतर विचार करेंगी । अतः यह कहा जा सकता है कि इस छोटे से क्षेत्र का मामला विवादास्पद है और विचाराधीन है । हमें मालूम हुआ है कि त्रिपुरा और पूर्वी पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों ने अभी अभिलेखों का पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है इस में दो या तीन मामले संलग्न हैं। एक इस क्षेत्र के बारे में है। दूसरा एक दम दूसरा मामला है और वह यह है कि पाकिस्तान सरकार द्वारा आदिमजाति के कितने लोग अन्य क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं। चिटगांव पहाड़ी क्षेत्रों से भारतीय प्रदेश में आदिमजातियों के २५ परिवार आये हैं। वे निकाले गये हैं या नहीं यह कहना ठीक नहीं है। संभवत: बड़े-बड़े चक्रवातों के आने के कारण वे वहां से आये हैं। कुछ व्यक्ति शायद इसलिये आये हैं कि वे यहां अधिक अच्छी तरह रह सकते हैं।

†**श्री त्यागी** : त्रिपुरा के अफसरों को ही इस मामले की जांच करने का काम क्यों दिया गया है ? वैदेशिक कार्य मंत्रालय स्वयं इस बड़ी समस्या की, जो एक दूसरे देश द्वारा किये गये कब्जों के बारे में है, जांच क्यों नहीं करता ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : त्रिपुरा के लोग इस समस्या को तय नहीं करेंगे। वे राजस्व अभिलेखों आदि से इस मामले की जांच कर रहे हैं और उस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। प्रारम्भिक जांच पड़ताल करने के लिये यहां से किसी को भेजने में कोई फायदा नहीं है। इस के बाद वे अपनी रिपोर्ट देंगे और फिर इस मामले पर उस स्तर पर विचार किया जायेगा।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : इस समय वह क्षेत्र किस के अधिकार में है, भारत के कब्जे में है अथवा पाकिस्तान के ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह बताना कठिन है कि वह दो नदियों के बीच का एक छोटा सा स्थान किस के कब्जे में है। जो थोड़े लोग वहां रहते हैं, उन्हीं के कब्जे में वह है। उस समय यह सुझाव दिया गया था कि पाकिस्तान या भारत से वहां कोई न जाये और न वहां रहे। इस प्रकार यह एक विवादास्पद मामला है जो अभी तय नहीं हुआ है और हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वहां कोई झगड़ा न हो और मामले की पूरी तरह से जांच कर ली जाये। नदियां अपना मार्ग बदलती हैं और भूमि जल से बाहर आ जाती है और जल के भीतर चली जाती है। यह सारी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।

†**श्री प्र० चं० गुह** : क्या भूमि अब भी पाकिस्तान के अधिकार में है, क्या भारत सरकार इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से बातचीत करेगी ताकि अन्तिम निर्णय होने तक पाकिस्तान इस भूमि को खाली कर दे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जैसा मैं ने कहा, मुझे खेद है कि मैं ठीक-ठीक उत्तर नहीं दे सकता। किन्तु जहां तक मैं समझता हूं, वहां भारतीय या पाकिस्तानी किसी भी सरकार का अधिकार नहीं है। यह तय हुआ था कि जब तक मामला तय न हो जाये, वहां कोई हस्तक्षेप न करे, अर्थात् किसी भी ओर से और लोग वहां न जायें। मामले के तय होने तक के लिये यही निर्णय हुआ था और समझौता हुआ था।

†**डा० राम सुभग सिंह** : त्रिपुरा एक देशी राज्य था और वह भारत में मिल गया। त्रिपुरा प्रदेश के बारे में, जिस के बारे में सब को मालूम था, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा सम्बन्धी कोई विवाद कैसे उठ सकता था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि विवाद का मूल कारण क्या था। मैं उस के बारे में और कुछ तो नहीं बता सकता केवल इतना कह सकता हूं कि यह विवाद कई वर्षों से चल रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : क्या नेहरू नून समझौते में यह भी एक बात थी और क्या यह तय किया गया था कि इस मामले के बारे में आगे जांच की जायेगी तथा उस के बाद कोई समझौता किया जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा ऐसा ख्याल है कि ऐसा गत वर्ष किया गया था जबकि कई अन्य मामले तय किये गये थे। यह एक वर्ष पूर्व अक्तूबर, १९५९ में किया गया था।

†**श्री बांगशी ठाकुर** : क्या सरकार फेनी नदी के उद्भव तथा क्षेत्र के बारे में बता सकती है जो इस समय पाकिस्तान के अधिकार में है और जो त्रिपुरा राज्य का, जोकि इस भारत का संघ राज्य क्षेत्र है, अभिन्न भाग थी और जिसे ब्रिटिश शासन काल में तत्कालीन बंगाल सरकार ने भी त्रिपुरा का अभिन्न भाग माना था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इस जटिल प्रश्न को नहीं समझ पाया हूं। यदि माननीय सदस्य मुझ को लिख कर दें तो मैं मालूम कर के उन्हें बता दूंगा।

†**श्री दशरथ देब** : क्या यह सच है कि वहां जो सीमान्त चुंगियां थीं उन्हें पाकिस्तानी गार्डों ने हटा दिया और हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने उस क्षेत्र में आदिम जातियों के १६० परिवारों को पुनः बसाया और क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तानी गार्डों ने उन लोगों को वहां नहीं घुसने दिया ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य एक दम दूसरी बातें पूछ रहे हैं। पहली समस्या तो यह है कि वह भूमि का टुकड़ा किस का है। मैं ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। इस से अधिक और मैं क्या कह सकता हूं ? दूसरी समस्या उन आदिम जाति लोगों के बारे में है जो यहां आये हैं।

†**श्री दशरथ देब** : क्या उन के द्वारा सीमान्त चुंगियां नहीं हटाई गईं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उस विवाद में यह तर्क की बात है। जब उन बातों पर विचार किया जा रहा है, तब मैं कुछ कैसे कह सकता हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

निर्यात

†*७८३. **श्री राजेन्द्र सिंह** :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने देश से यह अनुरोध किया है कि निर्यात से अपनी आय बढाने के लिये देश को कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं का उपयोग छोड़ देने के लिये तैयार रहना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही और उपाय किये गये हैं और उन के क्या परिणाम निकले हैं या निकट भविष्य में निकलने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) प्रधान मंत्री ने १८ सितम्बर, १९६० की राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में अपील की थी ।

(ख) धन सम्बन्धी नीतियां बनाते समय इस को ध्यान में रखा जायेगा । यदि उपभोक्ता स्वेच्छा से नियंत्रण करने लगें तो उस से भी बड़ा लाभ हो सकता है ।

असम में मिकिर पहाड़ियों से निकाले गये विस्थापित व्यक्ति

†*७८६. **श्री प्र० के० देव :**
श्रीमती रेणुका राय :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में मिकिर पहाड़ियों से निकाले गये विस्थापित व्यक्तियों को बसाया जा चुका है ;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें मिकिर पहाड़ियों में उन की नष्ट हुई सम्पत्ति के लिये पूरी पूरी क्षतिपूर्त्ति देने का वचन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें कहां तक क्षतिपूर्त्ति दी जा चुकी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) से (ग): मिकिर पहाड़ियों में भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले अर्हत विस्थापित परिवारों की कुल संख्या १८०० है । आसाम सरकार ने मिकिर पहाड़ियों के जिले में ही ३३४० बीघे भूमि पर लगभग ५०० परिवार बसाने की व्यवस्था की है । नौगांव तथा शिवसागर के जिलों में २८५ परिवार बसाने की योजनायें भी मंजूर कर ली गई हैं । शेष परिवार मिकिर पहाड़ी जिले से ५ से ६ मील की दूरी पर ५४०० बीघे वन भूमि में बसाये जायेंगे ।

क्योंकि इन परिवारों ने मिकिर पहाड़ियों में भूमि पर विधिवत रूप से कब्जा नहीं किया था, अतः उन्हें कोई प्रतिकर देने का प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि निकालने से पूर्व उन्हें अपनी धान की फसल काटने तथा उसे बेचने की अनुमति दे दी गई थी ।

टेपिओका

†*७८८. **श्री कोडियान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में तैयार किये गये टैपिओका का औद्योगिक उपयोग बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) इस के लिये केन्द्रीय सरकार ने अब तक कितना खर्च किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) टेपीओका के उत्पादों का औद्योगिक रूप से उपयोग में लाने में लगे हुए एककों को सभी संभव सहायता दी जा रही है । टैपीओका स्टार्च, तरल ग्लूकोस, डेक्सट्रोज पावडर, टैपीओका ग्लोवूल्स (सभूधान) आदि बनाने के लिये कच्चे पदार्थ के रूप में काम आता है ।

(ख) यह एक गैर-सरकारी क्षेत्र में है और केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यापक-प्रशासकों का प्रशिक्षण

†*७९३. **श्री तंगामणि :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ३० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्यापक-प्रशासकों के प्रशिक्षण का तीसरा कोर्स चालू हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो कहां ;

(ग) बोर्ड ने कितने छात्र चुने हैं और प्रत्येक केन्द्रीय कार्मिक संघ ने कितने छात्रों की सिफारिश की है; और

(घ) वह कोर्स कितनी अवधि का है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). इसका कोर्स १९६१ के आरम्भ में बम्बई में चालू होगा ।

(ग) अभी प्रशिक्षार्थियों का चुनाव नहीं किया गया है । इस कोर्स के लिये ४० उम्मीदवार भर्ती करने का विचार है जिसमें से २० बोर्ड द्वारा चुने जायेंगे और २० कार्मिक संघों द्वारा नामजद किये जायेंगे, जिनमें १० केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठनों द्वारा नामजद किये गये व्यक्ति होंगे ।

(घ) पांच से छः महीने ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की नागरिक सेना

†*७९४. **श्री अ० मु० तारिक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैदेशिक-कार्य उपमंत्री ने २५ अक्तूबर, १९६० को बम्बई में रोटरी महिला दिवस मध्यान्ह-भोज में भाषण देते हुये "संयुक्त राष्ट्र संघ की नागरिक सेना" के निर्माण के बारे में सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस सुझाव पर विचार किया और उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के पास भेज दिया ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) नहीं, ीमान् । ऐसा कोई सुझाव नहीं किया गया था । माननीय उपमंत्री "संयुक्त राष्ट्र संघ के भविष्य" के बारे में बोल रहीं ीं, ारत की विदेश नीति के सम्बन्ध में नहीं । अपने भाषण के दौरान में उन्होंने बताया कि कुछ ो ों का यह मत है कि एक संयुक्त राष्ट्र सेना का होना आवश्यक है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

औषधि के कारखानों की देखभाल के लिये निगम

†*७९५. **श्री आचार :**
श्री तंगामणि :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में खोले जाने वाले औषधि के नये कारखानों की देखभाल के लिये एक नया निगम कायम करने का सरकार का विचार है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या पिम्परी स्थित पेनिसिलिन कारखाना भी इस नये निगम के साथ सम्बद्ध कर दिया जायेगा ; और

(ग) नये कारखानों में कुल कितनी पूंजी लगाई जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग) . सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ग) . सोवियत रूस के सहयोग से औषधि की चार नई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये एक पृथक कम्पनी स्थापित करने का विचार है । यह चार कारखाने इस प्रकार हैं (१) ऋषिकेश में एण्टीबायोटिक्स एकक, (२) सनतनगर, हैदराबाद में संश्लिष्ट औषधि एकक, (३) मद्रास में शल्यक्रिया के औजारों तथा मेडिकल उपकरणों का एकक, और (४) मुनार (केरल) फाइरोकेमिक्ल एकक । भमि, टाउनशिप तथा सक्रिय पूंजी के अलावा अनुमानत: लगभग २८ करोड़ रुपये की कुल पूंजी लगेगी ।

(ख) क्योंकि पिम्परी में पेनिसिलिन का कारखाना एक प्रथक समवाय है और क्योंकि पेनिलिन बनाने के लिये संयुक्त राष्ट्र अर्न्तराष्ट्रीय बाल आपात निधि तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन का सहयोग प्राप्त है तथा स्ट्रेप्टोमाइसीन के उत्पादन के लिये मेसर्स यर्क शार्पे एण्ड ढोम का सहयोग प्राप्त है, अत: इसे एक प्रथक समवाय के रूप में रखा जायेगा । इस कम्पनी के साथ हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिन्स लिमिटेड, पिम्परी को मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि सोवियत रूस के सहयोग से औषधि परियोजना और हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड पिम्परी तथा जर्मनी के सहयोग से आर्गेनिक इंटरमीडियेट्स संयंत्र, पानवेल की प्राविधिक त ा प्रशासनिक समस्यायें लगभग एक सी होंगी अत: इन कारखानों की आम समस्याओं के बारे में च र्चा करने के लिये इन तीनों समवायों के सभापतियों तथा प्रबन्ध संचालकों की एक समन्वयकारी समिति स ापित करने का विचार है ।

बर्मा में भारतीय

†*७९६. **श्री सुब्बैया अम्बलम्** : क्या **प्रधान मंत्री** १२ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा में भारतीयों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनके बारे में हमने जो अभ्यावेदन दिया था उसका उत्तर क्या हमारे दूतावास को बर्मा की सरकार से प्राप्त हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) और (ख) . भारतीय उद्भव के उन व्यक्तियों को विदेशी पंजीयन प्रमाणपत्रों की अवधि बढ़वाने में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई थीं, जो इतने गरीब थे कि उसकी फीस भी नहीं दे सकते थे । बर्मा सरकार से यह उत्तर प्राप्त हुआ है कि वह अपने स्थानीय प्राधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों के मामलों की जांच करने के लिये जो अपने पंजीयन प्रमाणपत्रों की अवधि न बढ़वा सकने के कारण जेल में हैं तथा पंजीयन की फीस की छट देने के लिये उपयुक्त प्राधिकारियों की सिफारिश करने के लिये लिख रही है । जो भारतीय जेल में नहीं हैं किन्तु पंजीयन की फीस नहीं दे सकते हैं, उनके बारे में भी स्थानीय प्राधिकारियों को यह हिदायत दी

†मूल अंग्रेजी में

जायेगी कि उन मामलों की जांच करें तथा उपयुक्त प्राधिकारियों को अपनी सिफारिश भेजें । हमारा राजदूतावास इस विषय में पूरी कोशिश कर रहा है और जो मदद आवश्यक होगी बराबर देता रहेगा ।

भारतीय रेडियो ब्राडकास्ट में चीन द्वारा रुकावटें डालना[1]

†*७९७. **श्री प्र० गं० देव ।**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे हिमालय में चीन सरकार के शक्तिशाली रेडियो स्टेशन भारत के रेडियो ब्राडकास्ट में रुकावटें डाल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) और (ख) गत जुलाई में यह समाचार मिले थे कि रुकावटें डालने के परिणामस्वरूप आकाशवाणी के कैन्टीनीज़ तथा क्वायू के प्रसारण नहीं सुने गये । इन रुकावटों के मूल स्थान का पता नहीं लगाया जा सका है । मूल स्थान का पता लगाने के बाद ही इस बाधा को दूर किया जा सकता है । हाल ही में हमने कन्टोनीज़ तथा क्वायू के प्रसारणों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है । इन दिनों गड़बड़ की कोई खबर नहीं मिली है तथापि जांच पड़ताल चल रही है ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में प्लाईवुड का कारखाना

†*७८९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** ७ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरपूर्वी सीमान्त अधिकरण (नेफा) में प्लाइवुड का कारखाना और उसी तरह के दूसरे कारखाने खोलने के लिये ब्रिटिश सरकार के साथ इस बीच अन्तिम रूप से करार हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)**: (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३]**

तिब्बती शरणार्थी

†७९९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने तिब्बती शरणार्थी हैं जो भारत में अपने शिविरों को छोड़ कर चले गये हैं ;

---

[1]Jamming.

†मूल अंग्रेजी में

(ख) शिविरों को छोड़ कर चले जाने वाले ये शरणार्थी इस समय कहां हैं ; और

(ग) क्या इस विषय में नैपाल सरकार से कोई सन्देश प्राप्त हुआ है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) और (ख). शिविर छोड़ कर बहुत कम लोग भागे हैं। हाल ही में लगभग २००० शरणार्थी सिक्किम में अपने काम के स्थान को छोड़ कर चले गये। कुछ तीर्थ स्थानों की ओर चले गये और दूसरे भारत तथा नैपाल में अपने रिश्तेदारों से मिलने चले गये ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

फेनी नदी

†*८००. **श्री दशरथ देब :**
श्री बांगशी ठाकुर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व पाकिस्तान सरकार ने फेनी नदी का जो त्रिपुरा और पूर्व पाकिस्तान को अलग करती है, उपयोग करने देने का एकतरफा फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) पाकिस्तान सरकार से इस विषय में बातचीत की गयी है ।

आयात नियंत्रकों की भरती

†*८०१. **श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात नियंत्रकों और सहायक नियंत्रकों की भरती के लिये नियम अभी तक नहीं बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) इन के कब तक तैयार किये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) वे किस तारीख से लागू किये जायेंगे ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क), (ख) और (घ). जब तक अन्तिम रूप से नियम नहीं बन जाते तब तक के लिये सहायक नियंत्रक तथा नियंत्रक के पदों पर भर्ती करने के लिये अस्थायी नियम संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से बनाये गये हैं। इन नियमों के अनुसार सहायक नियंत्रक की श्रेणी में ७५% पद और नियंत्रक की श्रेणी में ५०% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं और शेष पद विभागीय पदोन्नति के द्वारा भरे जाते हैं ।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग के साथ इन नियमों पर चर्चा की जा रही है और उन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप देने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बंगलौर में अस्पताल

†*८०२. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बंगलौर में १७० पलंग वाले एक अस्पताल का निर्माण इस समय किस प्रक्रम पर है ;

(ख) अब तक उस पर कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ; और

(ग) उसके कब तक बनकर तैयार हो जाने की सम्भावना है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) ३१ अक्तूबर, १९६० को निचली मंजिल का ऊपरी ढ़ांचा बनाने का काम चल रहा था और कुछ भागों पर छत बनाने का काम पूरा हो गया था ।

(ख) ३१ अक्तूबर, १९६० तक ६,७३,९३१ रुपये ।

(ग) दिसम्बर, १९६१ ।

निष्क्राम्य चल सम्पत्ति

†*८०३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० के० देव :
श्री आसर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री २२ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विस्थापित व्यक्तियों की चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच अनिर्णीत मामले निबटाने के बारे में इस बीच यदि कोई प्रगति हुई है तो क्या ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** भारत-पाकिस्तान चल सम्पत्ति करार के अन्तर्गत कार्यान्विति समिति की एक बैठक नई दिल्ली में २९ और ३० नवम्बर, १९६० को हुई थी । बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि अप्रैल, १९५८ में नई दिल्ली में हुई गत बैठक के बाद से चल सम्पत्ति करार की कार्यान्विति के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है । लाकरों तथा सेफ डिपाजिटों के हस्तान्तरण, विस्थापित बैंकों की स्थिति तथा ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियों की आस्तियों की जांच के कुछ मामले रावलपिंडी में १७ और १८ जनवरी, १९६१ को होने वाली समिति की अगली बैठकों के लिये स्थगित कर दिये गये ।

कोयला खानों में दुर्घटनायें

†*८०४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों के मुख्य निरीक्षक के प्रतिवेदन से कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या दुर्घटनाओं को रोकने के लिये किन्हीं विशेष कार्यवाहियों पर विचार किया जा रहा है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां । यद्यपि हाल के वर्षों में दुर्घटनायें अधिक नहीं हुई हैं, सरकार ने सोचा क्योंकि कोयले का खनन कार्य अत्यधिक बढ़ता जा रहा है तथा बराबर काम की दशायें दुरूह होती जायेंगी, अतः सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं का एक विशेष सर्वेक्षण करना ठीक ही होगा । तदनुसार अगस्त १९५८ में एक सुरक्षा सम्मेलन बुलाया गया जिसमें सभी सम्बन्धित पार्टियों के लोग आये थे तथा अनुसन्धान कार्य में लगे विशेषज्ञ भी आये थे । उसकी सिफारिशों के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रविधिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिये गत वर्ष छः विशेषज्ञ समितियां स्थापित की गईं । उनमें से एक ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है; अन्यों की रिपोर्टें प्रविधिक अध्ययन समाप्त होते ही प्राप्त हो जायेंगी । इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप, सरकार सुरक्षा सम्बन्धी विधान में संशोधन करने, विधान लागू करने की एजेन्सी को सुदृढ़ बनाने, प्रशिक्षण, शिक्षा तथा प्रचार के लिये उपाय निकालने और सुरक्षा सम्बन्धी विनियमों को सामान्यतः दृढ़ बनाने के बारे में विचार कर रही है ।

नीलोखेरी में उद्योग

†१४९७. श्री वी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नीलोखेरी के जिन उद्योगों ने १९५९–६० और १९६०–६१ में अब तक संघ सरकार से ऋण लिये हैं, उनमें कितने विस्थापित व्यक्ति काम करते हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : १९५९–६० और १९६०–६१ में किसी औद्योगिक एकक ने संघ सरकार से ऋण नहीं लिया । अतः प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अमोनियम सल्फेट

†१४९८. श्री मुरारका : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिसमें निम्न जानकारी दी गयी हो :—

(क) १९५०–५१ में अमोनिया सल्फेट का उत्पादन (स्थिर नाइट्रोजन के रूप में) कितना था ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य रखा गया, उसे कहां तक पूरा किया गया तथा प्रथम योजना में इस कार्य के लिये कितनी रकम निर्धारित की गयी और कुल कितना धन व्यय किया गया ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित है, अब तक उसे कहां तक प्राप्त किया गया है, दूसरी योजना में इसके लिये कितना वित्तीय आवंटन किया गया और अब तक कुल कितना व्यय किया गया है; और

(घ) यदि लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई कमी रही है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (घ). एक विवरण [देखिए परिशिष्ट संख्या ३, अनुबन्ध संख्या १४] संलग्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सुपर फास्फेट्स

†१४९९. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०–५१ में सुपर फास्फेट्स का उत्पादन कितना था;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था; इस अवधि में इसे कहां तक पूरा किया, इस कार्य के लिये कितनी रकम रखी गयी थी और कितनी खर्च की गयी;

(ग) दूसरी योजना में क्या लक्ष्य रखा गया है, अब तक इसे कहां तक पूरा किया गया है, इस कार्य के लिये कितनी राशि आवंटित की गयी है तथा अब तक उस में से कितना व्यय किया गया है; और

(घ) यदि लक्ष्य प्राप्ति में कोई कमी रह गयी है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (घ). दो विवरण संलग्न हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १५]**

गंधक का तेजाब

†१५००. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिसमें निम्न जानकारी दी गयी हो :

(क) १९५०–५१ में गन्धक के तेजाब का उत्पादन कितना था;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य रखा गया, उसे कहां तक पूरा किया गया तथा प्रथम योजना में इस कार्य के लिये कितनी रकम निर्धारित की गयी और कुल कितना धन व्यय किया गया ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित है; अब तक उसे कहां तक प्राप्त किया गया है, दूसरी योजना में इसके लिये कितना वित्तीय आवंटन किया गया और अब तक कुल कितना व्यय किया गया है ; और

(घ) यदि लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई कमी रही है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अपेक्षित जानकारी नीचे दी जा रही है :—

(क) १९५०–५१ में गन्धक के तेजाब का उत्पादन ९९१५३ टन था।

(ख) उत्पादन-क्षमता सम्बन्धी लक्ष्य . . २,२०,७९१ टन

उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

जितनी स्थापित-क्षमता प्राप्त की गयी . . . २,४२,००० टन

जितना उत्पादन हुआ . . . . १,६६,२०० टन

---

†मूल अंग्रेजी में

इस सम्बन्ध में वित्तीय आवंटन नहीं किया गया था, क्योंकि यह उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में था। इस सम्बन्ध में लगभग २ करोड़ रु० व्यय किया गया।

(ग) उत्पादन-क्षमता सम्बन्धी लक्ष्य .	५,००,००० टन
उत्पादन का लक्ष्य	४,७०,००० टन
उत्पादन-क्षमता सम्बन्धी लक्ष्य की प्राप्ति	४,७५,४८४ टन
१९५९–६० में उत्पादन	३,१५,४५४ टन

यह उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में है अतः इसके लिये कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया गया। दूसरी योजना की अवधि में लगभग ३.५० करोड़ रु० व्यय किया गया।

(घ) पहली योजना की अवधि में उत्पादन-क्षमता सम्बन्धी निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक प्रगति हुई। उत्पादन का कोई लक्ष्य नहीं रखा गया था। गंधक के तेजाब का उत्पादन कम होने का मुख्य कारण यह था कि फास्फेटयुक्त उर्वरकों के उत्पादन की मांग कम थी, जिसमें कि गंधक के तेजाब का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है।

सोडा एश

†१५०१. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिसमें निम्न जानकारी दी गयी हो :

(क) १९५०–५१ में सोडा ऐश का उत्पादन कितना था ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य रखा गया, उसे कहां तक पूरा किया गया तथा प्रथम योजना में इस कार्य के लिये कितनी रकम निर्धारित की गयी और कुल कितना धन व्यय किया गया ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित है; अब तक उसे कहां तक प्राप्त किया गया है, दूसरी योजना में इसके लिये कितना वित्तीय आवंटन किया गया और अब तक कुल कितना व्यय किया गया है ; और

(घ) यदि लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई कमी रही है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अपेक्षित जानकारी नीचे दी जा रही है :—

(क) १९५०–५१ में सोडा ऐश का उत्पादन ४४,६५० टन था।

(ख) प्रथम पंच वर्षीय योजना की अवधि में सोडा ऐश उद्योग के विकास का ब्योरा निम्नलिखित है :

	क्षमता (टनों में)	उत्पादन (टनों में)
लक्ष्य	९०,०००	८०,०००
वास्तविक	९०,०००	८०,५२४

यह उद्योग गर-सरकारी क्षेत्र में है इसलिए इसके लिए वित्तीय आवंटन नहीं किया मया था। इस पर अनुमानतः ७५ लाख रुपया व्यय किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में सोडा ऐश उद्योग के विकास का ब्योरा निम्नलिखित है :

	क्षमता (टनों में)	उत्पादन (टनों में)
लक्ष्य	२,५३,०००	२,३०,०००
सफलता	३,०४,०००	१,८०,००० (१९६०–६१ का अनुमान)

अनुमान है कि इस पर अनुमानतः कुल १७ करोड़ रुपया व्यय किया गया है। यह उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में है अतः वित्तीय आवंटन नहीं किया गया।

(घ) उत्पादन-क्षमता सम्बन्धी निर्धारित लक्ष्य से प्रगति अधिक हुई है किन्तु उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ है, क्योंकि :

(एक) वर्तमान कारखानों के विस्तार का कार्य देर से शुरू हुआ ; और

(दो) नये कारखानों में परीक्षण-काल में उत्पादन कम रहा। किन्तु स्थापित क्षमता के अनुसार काम शुरू होते ही उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य की पूर्ति हो जायेगी।

कास्टिक सोडा

†१५०२. **श्री मोरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिसमें निम्न जानकारी दी गई हो :

(क) १९५०–५१ में कास्टिक सोडा का उत्पादन कितना था ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य रखा गया, उसे कहां तक पूरा किया गया तथा प्रथम योजना में इस कार्य के लिए कितनी रकम निर्धारित की गयी और कुल कितना धन व्यय किया या ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित है ; अब तक उसे कहां तक प्राप्त किया गया है, दूसरी योजना में इसके लिये कितना वित्तीय आवंटन किया गया और अब तक कुल कितना व्यय किया गया है ; और

(घ) यदि लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई कमी रही है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अपेक्षित जानकारी नीचे दी जा रही है :—

(क) १९५०–५१ में कास्टिक सोडा का उत्पादन ११,३७५ टन था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में कास्टिक सोडा उद्योग का विकास इस प्रकार हुआ :

	क्षमता (टनों में)	उत्पादन (टनों में)
लक्ष्य	४४,३००	३६,०००
वास्तविक	४४,३००	३५,४७१

यह उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में है, अतः इस बारे में कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया गया ।

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कास्टिक सोडा उद्योग के विकास का ब्योरा इस प्रकार रहा :—

	क्षमता (टनों में)	उत्पादन (टनों में)
लक्ष्य	१,५०,४००	१,३५,४००
उपलब्धि	१,६५,०००	१,२०,००० (१९६०–६१ का अनुमान)

इस उद्योग पर लगभग १५ करोड़ रु० व्यय किया गया । यह उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र है इसलिए इसके लिये कोई विशेष वित्तीय आवंटन नहीं किया गया ।

(घ) स्थापित-क्षमता सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है किन्तु उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ है क्योंकि अभी हाल ही में लगाये गये कारखानों को शुरू करने में देर हो गई थी और विदेशी मुद्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों के कारण मशीनें मंगवाने में भी विलम्ब हो गया था ।

सल्फा औषधियां

†१५०३. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिसमें निम्न जानकारी दी गई हो :

(क) १९५०–५१ में सल्फा औषधियों का उत्पादन कितना था ;

(ख) प्रथम पंच वर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य रखा गया, उसे कहां तक पूरा किया गया तथा प्रथम योजना में इस कार्य के लिए कितनी रकम निर्धारित की गयी और कुल कितना धन व्यय किया गया ;

(ग) दूसरी पंच वर्षीय योजना के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित है; अब तक उसे कहां तक प्राप्त किया गया है, दूसरी योजना में इसके लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया और अब तक कुल कितना व्यय किया गया है ; और

(घ) यदि लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई कमी रही है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). १९५०–५१ में सल्फा औषधियों का उत्पादन कुछ नहीं था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में उत्पादन का लक्ष्य क्रमश: १८० टन और ४५० टन रखा गया था। इन योजनाओं में इन औषधियों के लिये अलग से रकमें निर्धारित नहीं की गयी थीं। १९५५ में वास्तविक उत्पादन ८० टन था और १९६० में १३३ टन उत्पादन होने का अनुमान है। उत्पादन विदेशों में मंगवाये जाने वाले 'लेट (late)' मध्यवर्ती पदार्थों पर आधारित है।

१९६० में उत्पादन इसलिए कम हुआ क्योंकि 'लेट' मध्यवर्ती पदार्थों के आयात पर प्रतिबन्ध लगे हुए हैं क्योंकि इन पदार्थों के आयात पर तैयार दवाइयों के आयात से भी अधिक विदेशी मुद्रा व्यय होती है।

जो कारखाने 'लेट' मध्यवर्ती पदार्थों से सल्फा-औषधियों का उत्पादन कर रहे थे और जिससे विदेशी मुद्रा में कोई बचत नहीं होती, वे इस बात के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि भास्मिक पदार्थों (base) का उत्पादन यहीं किया जाये ताकि पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके। मैसर्स मे एण्ड बेकर भास्मिक कच्चे पदार्थों से १५० टन औषधियों का उत्पादन करने के लिये यंत्र लगा रहे हैं और अतुल प्राडक्ट्स प्रति वर्ष १८६ टन सल्फा औषधियों का निर्माण करने के लिये यंत्र लगा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में सोवियत सरकार के सहयोग से एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है जिसमें अन्य संश्लिष्ठ दवाइयों के अतिरिक्त, कच्चे भास्मिक पदार्थों से प्रति वष ५३५ टन सल्फा औषधियों का उत्पादन होगा। जब १९६३ के अन्त तक ये सभी संयंत्र चालू हो जायेंगे तो देश इन औषधियों के बारे में आत्मनिर्भर हो जायेगा।

पैनिसिलीन

†१५०४. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें निम्न जानकारी दी गयी हो :

(क) १९५०–५१ में पैनिसिलीन का उत्पादन कितना था ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य रखा गया, उसे कहां तक पूरा किया गया तथा प्रथम योजना में इस कार्य के लिये कितनी रकम निर्धारित की गयी और कुल कितना धन व्यय किया गया ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अब तक उसे कहां तक प्राप्त किया गया है, दूसरी योजना में इसके लिये कितना वित्तीय आवंटन किया गया और अब तक कुल कितना व्यय किया गया है ; और

(घ) यदि लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई कमी रही है, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण [**देखिये परिशिष्ट ३ अनुबन्ध संख्या १६**] संलग्न है।

डी० डी० टी०

†१५०५. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न जानकारी दी गयी हो :

(क) १९५०–५१ में डी० डी० टी० का उत्पादन कितना था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य रखा गया, उसे कहां तक पूरा किया गया तथा प्रथम योजना में इस कार्य के लिये कितनी रकम निर्धारित की गयी और कुल कितना धन व्यय किया गया ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अब तक उसे कहां तक प्राप्त किया गया है , दूसरी योजना में इसके लिये कितना वित्तीय आवंटन किया गया और अब तक कुल कितना व्यय किया गया है ; और

(घ) यदि लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई कमी रही है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ) एक. विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १७]** ।

बैन्जीन हैक्साक्लोराइडे

†**१५०६. श्री मोरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्न जानकारी दी गई हो :

(क) १९५०-५१ में बैन्जीन हैक्साक्लोराइड का उत्पादन कितना था ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस सबन्ध में क्या लक्ष्य रखा गया, उसे कहां तक पूरा किया गया तथा प्रथम योजना में इस कार्य के लिये कितनी रकम निर्धारित की गई और कुल कितना धन व्यय किया गया ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अब तक उसे कहां तक प्राप्त किया गया है, दूसरी योजना में इसके लिये कितना वित्तीय आवंटन किया गया और अब तक कुल कितना व्यय किया गया है ; और

(घ) यदि लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई कमी रही है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) १९५०-५१ में बैन्जीन हैक्साक्लोराइड का बिल्कुल उत्पादन नहीं हुआ क्योंकि भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र में पहला कारखाना १९५३ में लगाया गया ।

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना

लक्ष्य (वार्षिक, टनों में)	जितनी क्षमता का लाइसेंस दिया गया	कुल उत्पादन	वित्तीय आवंटन	कुल व्यय
५००	२५००	१६०३ (१९५५ में)	अलग से कुछ नहीं	

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना

२,५००	६,६००	२६०९ (१९५९ में)	अलग से कुछ नहीं	

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Benzene Hexachloride.

पैरा अमीनो सैली सिलिक एसिड

†१५०७. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न जानकारी दी गई हो :

(क) १९५०-५१ में पैरा अमीनो सैली सिलिक एसिड का उत्पादन कितना था ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस सबन्ध में क्या लक्ष्य रखा गया, उसे कहां तक पूरा किया गया तथा प्रथम योजना में इस कार्य के लिये कितनी रकम निर्धारित की गई और कुल कितना धन व्यय किया गया ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अब तक उसे कहा तक प्राप्त किया गया है, दूसरी योजना में इस के लिये कितना वित्तीय आवंटन किया गया और कब तक कुल कितना व्यय किया गया है ; और

(घ) यदि लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई कमी रही है, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : (क) से (घ). १९५०-५१ में पैरा अमीनो सैली सिलिक एसिड का उत्पादन बिल्कुल कुछ नहीं था ।

पहली पंचवर्षीय योजना में इस चीज़ के लिये कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं रखा गया था और १९५५ में भी इस का कुछ उत्पादन नहीं हुआ ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये ११३·३ टन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और अनुमान है कि १९६० में ९० टन उत्पादन होगा ।

अनुमान है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक वार्षिक स्थापित क्षमता लक्ष्य से अधिक बढ़ जायेगी ।

ऊन विकास परिषद्

†१५०८. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १७ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊन विकास परिषद की अन्य सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन के बारे में क्या फैसला किया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) इन सिफारिशों पर अभी विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राजस्थान में औद्योगिक विकास

†१५०९. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में औद्योगिक विकास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई ५·१५ करोड़ रु० की रकम में से अब तक कुल कितनी रकम खर्च की है ; और

(ख) शेष रकम का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

Para Amino Salicylic Acid.

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

एक मंजिले मकान

†**१५१०. श्री आसर** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री २० अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली की किन बस्तियों में इस प्रकार के एक मंजिले मकान हैं, जिनका उल्लेख पुनर्वास मंत्रालय द्वारा जारी किये गये १ जून, १९५६ के प्रेस-नोट में किया गया है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** :

१. कालका जी
२. मालवीय नगर
३. जंगपुरा
४. लाजपत नगर
५. पटेल नगर
६. मोती नगर
७. तिलक नगर
८. विजय नगर
९. मल्कागंज
१०. नरेला ।

विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में नागरिक सेवाओं का हस्तान्तरण

†**१५११ श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री १८ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली की विस्थापित बस्तियों की नागरिक सेवाओं को दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित करने की प्रस्थापना के बारे में आज तक क्या प्रगति हुई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : दिल्ली नगर निगम ने जंगपुरा और सराय रोहेला नामक दो अन्य बस्तियों की सेवाओं को पूर्णतया अपने हाथ में ले लिया है । शेष बस्तियों में इस बारे में कदम उठाये जा रहे हैं ।

विद्युदणु उपकरण

†**१५१२. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** १८ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्राम्बे में स्थित अणुशक्ति प्रतिष्ठान में विद्युदणु उपकरणों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की प्रस्थापना के बारे में क्या प्रगति हुई ताकि यह प्रतिष्ठान न केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके बल्कि देश भर की अन्य वैज्ञानिक, औद्योगिक, मेडिकल और शिक्षा संस्थाओं की मांग भी पूरी कर सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करने और अतिरिक्त साजसामान की खरीद करने की मंजूरी दे दी गई है इस के परिणामस्वरूप १९६० में अब तक १४०० उपकरण बनाये जा चुके हैं जबकि १९५९ में ८७१ निर्माण हुए थे। दिसम्बर, १९६० के अन्त तक १६०० उपकरणों के उत्पादन का लक्ष्य पूरा हो जाने की आशा है। विभाग के अतिरिक्त बाहर की अन्य संस्थाओं को अब तक लगभग २०० उपकरणों की सप्लाई की जा चुकी है।

रूस को चाय का निर्यात

†**१५१३. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में रूस को कितनी मात्रा में चाय का निर्यात किया गया ;

(ख) १९५८-५९ में कितनी मात्रा का निर्यात किया गया था ;

(ग) रूस को निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) वहां पर चाय के मूल्यों में भारत के मूल्यों से कितना अन्तर है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). रूस को १९५९-६० में २३,२६१,००० पौंड भारतीय चाय का निर्यात किया गया था और १९५८-५९ में २९,०८१,००० पौंड का निर्यात किया गया था।

(ग) (१) रूस के साथ किये गये द्विपक्षीय व्यापार करार के अधीन उस देश को भारतीय चाय के निर्यात की व्यवस्था है।

(२) रूस के चाय के एक प्रतिनिधिमंडल को भारत बुलाया गया था।

(३) चाय बोर्ड ने रूस के लिए तथा पूर्व योरोपीय देशों के लिए एक प्रादेशिक निर्यात संवर्द्धन तालिका बनाई है।

(घ) भारत रूस को इकट्ठी 'अनब्लेन्डेड' चाय भेजता है। वहां पर उसको भिन्न भिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है और वहां की जनता की रुचि के अनुसार उसको पैक किया जाता है। रूस तथा भारत के मूल्यों की तुलना करना संभव नहीं है।

यूरेनियम के निक्षेप

†**१५१४. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** १८ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९५७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैलम ज़िले में यूरेनियम निक्षेपों की खोज के अन्तिम प्रतिवेदन मिल गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार के हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां।

(ख) सैलम ज़िले के पक्कानाई, इरुपल्ली, तथा ओरावापट्टी गावों का ब्योरेवार सर्वेक्षण करने पर पता लगा कि कैल्क-नीज़िक चट्टानों (Calc-gneissic rocks) में कहीं कहीं पर रेडियो धर्मिता है। रेडियो धर्मिता मुख्यत: यूरेनिफेरस एलैनाइट (Uraniferous Allanite)

---

†मूल अंग्रेजी में

के कारण है। इन क्षेत्रों के कुछ प्रारंभिक नमूनों का विश्लेषण करने से पता लगा कि इनमें यूरेनियम ग्रौकसाइड ०.१ प्रतिशत है ग्रौर यूरेनियम सेयोरियम की मात्रा ग्रधिक है ।

ड्रिलिंग के द्वारा सतह के नीचे खोज की जा रही है ग्रौर ग्रब तक पांच सूराख किये गये हैं। कम गहराई से २५० फुट की ग्रधिक गहराई में गामा रे लॉगिंग' से पता लगा कि ०.०४ प्रतिशत से ०.०९ प्रतिशत U_3O_8 ग्रयस्क हैं ।

काम ग्रभी हो रहा है।

तिहाड़ गांव (दिल्ली) का नवनिर्माण

†१५१५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास तथा ग्रल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री १८ ग्रगस्त १९६० के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या ९७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के एक शरणार्थी उपनगर तिहाड़ गांव के नवनिर्माण में ग्रब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : दिल्ली नगर निगम से प्राप्त पुनरीक्षण प्राक्कलनों में ग्रतिरिक्त क्षेत्र के ग्रर्जन ग्रौर विकास की व्यवस्था शामिल है जिसकी जिम्मेदारी पुनर्वास मंत्रालय नहीं ले सकता है । इसलिए निगम से मूल क्षेत्र ४०.३४ एकड़ के पुनरीक्षित प्राक्कलन देने को कहा गया था । वह ग्रभी हाल में ही मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है ।

पंजाब में चमडा उद्योग

†१५१६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में चमड़े उद्योग के विकास के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं ; ग्रौर

(ख) ग्रनुसूचित जातियों तथा ग्रन्य संगठनों को धन देने में क्या परिवर्तन किए गए हैं जिससे वह चमड़ा उद्योग में लग सकें ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ग्रौर (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है ग्रौर समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में कार्य ग्रौर प्रशिक्षण केन्द्र

†१५१७. श्री **दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम ग्रौर रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९६० में पंजाब में कार्य ग्रौर प्रशिक्षण केन्द्र (वर्क एण्ड ग्रोरियैन्टेशन सैंटर) ग्रारंभ करने की कोई योजना स्वीकार की है ;

(ख) यदि हां, तो उपरिलिखित ग्रवधि में कितने केन्द्र चालू किए जायेंगे ; ग्रौर

(ग) इस बारे में राज्य सरकार को किस प्रकार की तथा कितना वित्तीय सहायता दी जायेगी;

†**श्रम ग्रौर रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी हां ।

(ख) तीन ।

(ग) भारत सरकार समस्त ग्रावर्त्तक व्यय वहन करती है ग्रौर भवन निर्माण तथा सामान की खरीद के लिए व्यय का ६० प्रतिशत ग्रनुदान देती है । १९६०-६१ में इन मदों पर क्रमश: १.२२८ लाख रुपये ग्रौर ४.५७५ लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाने की ग्राशा है ।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

इटारसी में उर्वरक संयंत्र

†१५१८ **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १००७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इटारसी में सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्र लगाने के प्रस्ताव के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : प्रश्न में निर्देशित उत्तर में यह बताया गया था कि यह बताना कठिन है कि उर्वरक संयंत्र सरकारी अथवा गैर सरकारी किस क्षेत्र में लगाया जायेगा । यह संसाधनों की अविलम्ब उपलब्धता पर निर्भर करेगा । राज्य सरकार तथा कुछ गैर सरकारी व्यक्तियों से बातचीत जारी है ।

नागा विद्रोहियों द्वारा मुक्त किये गये व्यक्ति

१५१९. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्रोही नागाओं ने गत तीन मासों में कितने भारतीय सैनिक तथा नागरिकों को मुक्त किया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : नागा पाहिड़यों में जो डकोटा हवाई जहाज २६ अगस्त १९६० को दुर्घटना के कारण उतरा था, और जिसमें पांच सदस्य—भारतीय हवाई सेना का एक अफसर और हवाई जहाज के चार अन्य कर्मचारी थे—वे १९ सितम्बर १९६० को छोड़ दिए गए ।

एक मंडल (सर्कल) अफ़सर, एक इलाका अधीक्षक (एरिया सुपरिंटेंडेंट), एक स्कूल का अध्यापक और एक ग्राम सेवक जो सब नागा थे और जिन्हें नागा विद्रोहियों ने १० अक्टबर १९६० को पकड़ लिया था—१५ अक्टूबर १९६० को छोड़ दिए गए ।

मजूरी बोर्ड

†१५२० **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम और मजूरी बोर्ड बनाये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या चमड़ा और इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए भी मजूरी बोर्ड बनाये जायेंगे ?

†**श्रम उपमंत्री** (श्री आबिद अली) : (क) चाय बागान उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड बना है दिया गया है । काफी और रबड़ बागानों के लिए अलग मजूरी बोर्ड बनाये जायेंगे ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल का सर्वेक्षण

†१५२१ **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम और रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री आर० एल० मेहता ने केन्द्रिय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल का सर्वेक्षण आरंभ कर दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने कुछ स्थानों का दौरा किया है ; और

(ग) क्या विभिन्न संघों तथा फेडरेशनों ने ज्ञापन दे दिए हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)**: (क) और (ख). जी हां ।

(ग) कुछ संगठनों ने इस विषय पर टिप्पण (नोट) भेजे हैं ।

खादी मूल्यांकन समिति

†१५२२ **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधारमण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी मूल्यांकन समिति के निर्णयों पर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में क्या प्रतिक्रिया हुई है ; और

(ख) मूल्यांकन समिति के सुझावों पर कार्यवाही करने के बारे में क्या क़दम उठाये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) खादी मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन पर आयोग की टिप्पणियों की एक प्रति १४-११-१९६० को सभा पटल पर रख दी गई थी ।

(ख) मूल्यांकन समिति के सुझाव तथा खादी उत्पादन के भविष्य के कार्यक्रम से संबंधित मामलों पर राज्य बोर्डों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में विचार किया गया था । इस सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर, आयोग ने यह निर्णय किया है कि खादी तथा ग्रामोद्योगों के संगठन वाले गांवों में नये विस्तार केन्द्र अथवा ग्राम इकाइयां बड़ी संख्या में बनाई जायें जिनको एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम का एक अंग बना दिया जाये ।

हैदराबाद भवन, नई दिल्ली

१५२३. श्री भक्त दर्शन : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २२ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०१९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली स्थित हैदराबाद-भवन को खरीदने के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ जो बातचीत चल रही थी, उसका क्या परिणाम निकला ?

निर्माण, आवास और संभरण उप मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : इस विषय पर अभी तक आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ बातचीत चल रही है ।

कस्तूरबा नगर नई दिल्ली में जल संभरण

१५२४. श्री भक्त दर्शन : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नई दिल्ली के कस्तूरबा नगर स्थित सरकारी क्वार्टरों में पानी की सुविधा बढ़ाने के प्रश्न के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : कस्तूरबा नगर स्थित सरकारी क्वार्टरों में जल संभरण का दबाव बढ़ाने के लिए निर्माण कार्य की मंजूरी दी जा चुकी है और आगामी ग्रीष्म ऋतु से पहले उसके पूरा हो जाने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पैट्रो-कैमिकल परियोजना

†१५२५ { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री आसर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ७ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तब से मलभूत 'पैट्रो-कैमिकल्स' के निर्माण के लिए 'पैट्रो-कैमिकल' परियोजना बनाने का कोई ठोस प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी हां । सरकार को कुछ प्रस्ताव मिले हैं, जो विचाराधीन हैं ।

सिंदरी में मेथानोल संयंत्र

†१५२६ { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उउद्योग** मंत्री ७ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंदरी के मैथानोल संयंत्र का उपयोग करने के लिए तब से क्या क़दम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : संयंत्र को बेच देने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

दिल्ली में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए होस्टल

†१५२७ { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १२ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में अकेली रहने वाली महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक होस्टल बनाने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : प्रस्तावित होस्टल की योजना और प्राक्कलन बना लिये गये थे । इनके अनुसार २५०–५०० रुपये के वेतन वर्ग के लि किराये बहुत अधिक लग जब कि होस्टल इन्हीं के लिए बनाने का विचार था । इसलिये योजना का पुनः परीक्षण करके किरायों को कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

पुनर्वास मंत्रालय में छंटनी

†१५२८ { **श्री बहादुर सिंह :**
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री पद्म देव :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६० को पुनर्वास मंत्रालय के कितने गजटेड अफसरों की छंटनी हो जाने की आशा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त (क) के कितने पदाधिकारी राज्य पुनर्वास विभाग सेवा से मूलतः आये हैं;

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के कितने पदाधिकारियों को अक्तूबर, १९६० के अन्त तक छंटनी के नोटिस मिल चुके हैं;

(घ) उपरोक्त (ग) के कितने छंटनी किये गये पदाधिकारियों को पुनः नियुक्त कर लिया गया है;

(ङ) क्या (क) और (ख) के सभी पदाधिकारियों को केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पुनः नियुक्त कर लिया जायेगा; और

(च) यदि नहीं, तो भारत सरकार उनको काम दिलाने के लिए क्या क़दम उठा रही है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) १ जनवरी, १९६० को पदासीन ३१२ गज़टेड पदाधिकारियों में से अक्तूबर, १९६० के अन्त तक १३० पदाधिकारियों का प्रत्यावर्तन/छंटनी कर दी जायेगी ।

(ख) तेरह ।

(ग) पचास । बाकी को उनके मूल विभागों अथवा नीचे पदों पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है ।

(घ) एक दूसरे मंत्रालय में पुनः नियक्त कर दिया गया है तथा १६ पुनर्वास मंत्रालय की रिक्तियों में पुनः नियुक्त कर दिये गये हैं ।

(ङ) और (च). छंटनी किये गये गज़टेड पदाधिकारियों को केन्द्र सरकार के कार्यालयों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पुनः नियक्त कर लिया जायेगा । परन्तु उनकी पुनः नियुक्ति उनके पिछले काम पर तथा उपयुक्त पद की उपलब्धता पर आधारित है ।

आकाशवाणी के संवाददाता

†१५२९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कुछ मोफस्सिल केन्द्रों में आकाशवाणी के अंश-कालिक स्थानीय संवाददाताओं की नियुक्ति की योजना के ब्यौरे बना लिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन रेडियो संवाददाताओं को कहां कहां पर नियुक्त किया जायेगा; और

(ग) उनको कब नियुक्त किया जायेगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) से (ग). योजना के कुछ ब्यौरों पर अब भी विचार हो रहा है और इन पर अन्तिम निर्णय लेने के बाद नियुक्तियां की जायेंगी । अंशकालिक संवाददाताओं को भेजने के लिए उड़ीसा में पूरी, बरहामपुर, कोटापुर तथा सम्बलपुर केन्द्रों की जांच की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शुद्ध मापयंत्रों का निर्माण

†१५३०. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुद्ध मापयंत्रों के निर्माण के लिए प्रस्तावित केन्द्र के बारे में आगे बातचीत ई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). भारत आये हुए फ्रांसीसी शिष्ट-मंडल से इस विषय पर बातचीत हो रही है ।

एयर राइफलें

†१५३१. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितना एयर राइफलों की मांग है; और

(ख) किन देशों से एयर राइफलों का आयात किया जाता है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) स्कूल तथा कालिजों में नौसिखियों को एय राइफलों का प्रशिक्षण देने की योजना दूसरी योजना में लागू करने के कारण राज्य सरकारों ने सितम्बर १९५८ से मार्च १९६१ की अवधि में लगभग ६४,००० एयर राइफलों की आवश्यकता का अनुमान लगाया था ।

(ख) क्योंकि एयर राइफलों के आयात के सम्बन्ध में अलग वर्गीकरण नहीं किया गया है, इसलिए यह जानकारी उपलब्ध नहीं है । ब्रिटेन, अमरीका, पश्चिम जर्मनी तथा चैकोस्लोवाकिया देशों से मुख्यतः बन्दूकों आदि का आयात होता है ।

बर्मा में भारतीय

१५३२. **श्री पद्म देव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा में कितने भारतीय राष्ट्रजन हैं;

(ख) क्या बर्मा में भारतीय राष्ट्रजनों को बर्मा के नागरिक बनने का अधिकार है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने भारतीय नागरिक बर्मा के नागरिक बन गये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) बर्मा में भारतमूलक लोगों की कुल संख्या अनुमानतः साढ़े पांच लाख होगी । जो लोग भारतीय नागरिकों के रूप में रजिस्टर-दर्ज हैं, उनकी संख्या लगभग १,४०,००० है ।

(ख) बर्मा में भारतमूलक लोगों को बर्मी नागरिकता अधिनियम के खंड ४(२) और ७(१) के अन्तर्गत बर्मी नागरिकता मिल सकती है ।

(ग) जिन भारतमूलक लोगों को बर्मी नागरिकता दे दी गई है उनकी संख्या अनुमानत : ६,५०० के लगभग होगी । इसके ठीक-ठीक आंकड़े सुलभ नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

बेरूत में भारतीय व्यापार केन्द्र

†१५३३ { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री रा० चं० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बेरुत में भारतीय व्यापार केन्द्र खोलने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : स्थिति बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

प्रदर्शन कक्षों को बनाने के लिए भवन में कुछ संरचनात्मक हेर-फेर करने का काम आरम्भ हो चुका है । नवम्बर १९६० में निम्नलिखित वर्गों की वस्तुयें प्रदर्शन के लिये भेज दी गई हैं ।

(क) इंजीनियरिंग और बिजली का सामान ।

(ख) लोहे का सामान ।

(ग) वस्त्र-सूती, रेशमी, रेयन, मिल के बने तथा हथकरघे के बने ।

(घ) प्लास्टिक की वस्तुयें ।

(ङ) जूट ।

(च) खाद्य पदार्थ ।

(छ) खेल का सामान ।

(ज) हस्तशिल्प ।

आशा है कि प्रदर्शन कक्ष का शीघ्र ही उद्घाटन हो जायेगा ।

बिजली से चलने वाले खेती के यंत्र

†१५३४. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) बिजली से चलने वाले पम्प (सैंट्रीफ्यूगल) (२) डीज़ल इंजन और (३) खेती के ट्रैक्टरों का विशेष हवाला देते हुए बिजली से चलने वाले खेती के यंत्रों के निर्माण में लगे हुए उद्योगों की वर्तमान स्थिति क्या है और वे कहां पर स्थित है, उनकी क्षमता क्या है, उनका उत्पादन क्या है तथा उनकी समस्यायें, विकास कार्यक्रम क्या हैं ;

(ख) क्या सभी क्षेत्रों में समान मूल्यों पर सस्ते कृषि यंत्रों को उपलब्ध करके उद्योग का विकास करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है ;

(ग) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में उपरोक्त उद्योगों के लिए निश्चित लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनूभाई शाह)**: (क) बिजली से चलने वाले खेती के यंत्रों का उत्पादन करने में लगे हुए उद्योगों की स्थिति नीचे दी जाती है :—

उद्योग	यूनिटों की संख्या	लाइसेंस प्राप्त वार्षिक क्षमता	उत्पादन १९५९	सितम्बर १९६० तक उत्पादन
		संख्या	संख्या	संख्या
१. बिजली से चलने वाले पम्प	६३	१४००९४	८५०६७	७२९००
२. डीज़ल इंजन	२६	५३४५५	३०३३५	३०७९०
३. खेती के ट्रैक्टर	४	१००००	—	२०*
४. ट्रेक्टरों से चलने वाले खेती के औज़ार	२	क्योंकि इस वर्ग में कितनी ही वस्तु आती हैं इसलिए क्षमता और उत्पादन के ब्यौरे देना संभव नहीं है ।		

*यह आंकड़े ऐसी फर्म के हैं जिसने सितम्बर १९६० में उत्पादन आरंभ किया था ।

ये उद्योग निम्नलिखित स्थानों पर स्थित है :—

१. बिजली से चलने वाले पम्प	पश्चिम बंगाल, मद्रास, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरल, बिहार, तथा महाराष्ट्र ।
२. डीज़ल इंजन	महाराष्ट्र, मद्रास, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश ।
३ खेती के ट्रैक्टर और ट्रैक्टरों से चलने वाले औज़ार	महाराष्ट्र, मद्रास, पंजाब तथा गुजरात ।

बिजली से चलने वाले पम्पों तथा डीज़ल इंजनों के उद्योगों के हितों का ध्यान उद्योग (डी० एण्ड आर० अधिनियम, १९५१ के अधीन स्थित विकास परिषद् रखती है इन दोनों उद्योगों का विकास ८५ से ९५ प्रतिशत देसी वस्तुओं से किया गया है । खेती के ट्रैक्टरों का देश में हाल में ही उत्पादन आरंभ हुआ है और स्वीकृत क्षमता तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश की आवश्यकता पूरी कर सकेगी । उद्योग की मुख्य कठिनाई इस्पात तथा धातु मिश्रित इस्पात के कच्चे माल का न मिलना है । इस्पात परियोजना का आरंभ हो जाने पर समस्या हल हो जायेगी ।

(ख) जी हां ।

(ग) दूसरी योजना में बिजली से चलने वाले पमपों तथा डीज़ल इंजनों के लक्ष्य पूरे हो चुके हैं । खेती के ट्रैक्टरों के लक्ष्य सदस्य निश्चित नहीं थे ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†मूल अंग्रेज़ी में

आकाशवाणी में हिन्दी

१५३५. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के केन्द्रों से होने वाले प्रसारणों में हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिए गत छ: मास में कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या हिन्दी को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में कुछ नई नियुक्तियां की गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से अधिकांश कार्यक्रम क्षेत्र विशेष की अपनी भाषा में प्रसारित होते हैं । कुछ समाचार बुलेटिनों और छिटपुट वार्ताओं के अतिरिक्त, अंग्रेजी में कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं होता ।

जिन केन्द्रों की प्रादेशिक भाषा हिन्दी है, वहां से उपर्युक्त अंग्रेजी कार्यक्रमों को छोड़ कर शेष सभी कार्यक्रम हिन्दी में ही प्रसारित होते हैं, जिन क्षेत्रों में राज्य की भाषा हिन्दी नहीं है, वहां लोगों की हिन्दी जानकारी बढ़ाने का हर तरह से प्रयत्न किया जा रहा है । हिन्दी-पाठ प्रसारित किए जाते हैं और समय समय पर हिन्दी साहित्य से संकलन भी प्रसारित होते हैं ।

(ख) दिल्ली केन्द्र में एक हिन्दी प्रोड्यूसर की नियुक्ति हुई है ।

कारखाने की इमारतों का नक्शा

†१५३६. { **श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १२ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६६६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या प्रविधिक सहयोग मिशन के अन्तर्गत कारखाने की इमारत का नक्शा और उसके निर्माण की विधि का अध्ययन करने के लिए भेजे गए दल का प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो व सिफारिशें किस प्रकार की हैं ; और

(ग) उनके संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) प्रतिवेदन राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद को प्राप्त हो गया है और इस समय छप रहा है ।

(ख) प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें संलग्न सूची में दी गई हैं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १८]**

(ग) छपी हुई प्रतियां प्राप्त हो जाने पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद उन सिफारिशों की जांच करेगी और उसके बाद परिषद आवश्यक समझी जाने वाली सिफारिशें सरकार को निर्दिष्ट करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंडोनेशिया के साथ व्यापार करार

†१५३७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५०० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडोनेशिया के साथ व्यापार करार के नवीकरण के संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : इंडोनेशिया के साथ व्यापार करार के पुनरीक्षण के लिए फरवरी/मार्च, १९६१ में बातचीत होने की संभावना है। इस बीच में करार को ३१ मार्च, १९६१ तक बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ?

जलद्वारों[1] और स्विच गियरों का निर्माण

†१५३८. **श्री कोडियान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत में जलद्वारों और स्विच गियरों के निर्माण के लिए कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) उसमें कितना व्यय होगा ;

(घ) क्या कारखाने के लिए कोई स्थान चुन लिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो वह स्थान कौन सा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) नहीं, श्रीमान्। स्विच गियरों का निर्माण हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल, जो एक भारत सरकार का उपक्रम है, के निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित है। जलद्वारों का निर्माण अनेक इंजीनियरिंग कर्मशालाओं द्वारा पहले ही किया जा रहा है।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

२४-परगना (पश्चिमी बंगाल) में अस्पताल

†१५३९. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १२ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४२६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के २४ परगना में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अस्पताल का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो अक्टूबर, १९६० के अन्त तक कुल कितनी राशि व्यय हुई ; और

(ग) उसके कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी, नहीं। पश्चिमी बंगाल सरकार वह निर्माण कार्य फरवरी, १९६१ में शुरू करने की आशा कर रही है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) इस अवस्था में यह बताना संभव नहीं है कि वह निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Suice Gates.

ग्रामीण आवास योजना

†१५४०. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार को ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत १९६०–६१ के लिए कुल कितनी राशि आवण्टित की गई है ; और

(ख) क्या सरकार ने समस्त राशि दे दी है ?

†**निर्माण आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) २७.९५ लाख रुपए (जिसमें ग्रामीण आवास कोष्ठी के लिए ०.३५ लाख रुपए का अनुदान भी सम्मिलित है) ।

(ख) केन्द्रीय सहायता दिए जाने की पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार, जो मई, १९५८ में चालू की गई थी, वर्ष के लिए आवण्टित राशि का तीन चौथाई भाग वित्तीय वर्ष के अन्त में अंतिम समायोजन के अधीनस्थ, एकमुश्त मार्गोपाय पेशगियों के रूप में नौ समान मासिक किश्तों में राज्य सरकार को स्वयमेव उपलब्ध कर दिया जाता है ।

कहवा का उत्पादन

†१५४१. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५९–६० में कहवा का कुछ अतिरिक्त उत्पादन हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना और उसका निपटारा किस प्रकार किया जाएगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) २०,६०० मीट्रिक टन । यह मात्रा निर्यात के लिए आवण्टित की गई थी । २३-११-६० तक १५,९३५ मीट्रिक टन बिक चुका है । शेष भी उस समय तक बिक जाने की आशा है जब तक कि १९६०–६१ की फसल आयेगी ।

कोयला खनिकों में ऋणिता

†१५४२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खनिकों में ऋणिता के विस्तार के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराने का विचार किया जा रहा है ; और

(ख) क्या यह सच है कि रानीगंज क्षेत्र के कुछ भागों में साहूकारों द्वारा कोयला खानों के श्रमिकों पर अत्याचार के कारण गंभीर घटनायें घटित हुई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी नहीं, परन्तु १९५९ में एक सर्वेक्षण किया गया था ।

(ख) हाल में एक घटना की सूचना मिली थी ।

दिल्ली में होटल

†१५४३. **श्री राधा रमण** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटकों की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए दिल्ली में और अधिक होटल बनाने का विचार कर रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितने और वे कहां बनाए जायेंगे तथा उनके निर्माण में कितना समय लगेगा ।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: राजधानी में जनता होटल, जो मिन्टो रोड क्षेत्र में बनाने का प्रस्ताव है, के अतिरिक्त होटल बनाने का और कोई प्रस्ताव नहीं है। जनता होटल का नक्शा और प्राक्कलन अभी अंतिम रूप से तैयार नहीं हुआ है।

गुजरात में उद्योग

†१५४४. { **श्री पु० रा० पटेल :**
श्री मा० म० गांधी :
श्री क० उ० परमार : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में गुजरात में उद्योगों की स्थापना के लिये कितने प्रार्थनापत्र तथा किन किन तारीखों को प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उन में कौन कौन से उद्योगों की स्थापना का उल्लेख किया गया है ;

(ग) उन में से कितने स्वीकार किये जा चुके हैं ; और

(घ) उन में से कितनों को मंजूर किये गये उद्योग के लिये आवश्यक मशीनों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा दी गई ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क), (ख) और (घ). राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत प्रतिमाह मंजूर किये जाने वाले लाइसेंसों की सूची उद्योग तथा व्यापार पत्रिका में प्रकाशित की जाती है जिस में माननीय सदस्य द्वारा चाही गई समस्त जानकारी सम्मिलित है ।

सरकारी मुद्रणालय

†१५४५. { **श्री तंगामणि :**
श्री कोडियान :
श्री मणियंगाडन : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण के दो मुद्रणालयों, अर्थात् कोयम्बटूर और कोराठी की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उनकी स्थापना का कार्य कब तक पूरा होगा ;

(ग) कोयम्बटूर में अभी तक कितना खर्च किया गया और क्या प्रगति हुई है ;

(घ) कोराठी में कितना खर्च किया गया है और क्या प्रगति हुई है ; और

(ङ) विलम्ब, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) कोयम्बटूर और कोराठी में दो मुद्रणालयों की स्थापना का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है ।

(ख) विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के अधीनस्थ दोनों मुद्रणालयों की स्थापना तीसरी पंच-वर्षीय योजना में हो जायगी ।

(ग) अभी तक कोयम्बटूर में लगभग १,९०,००० रुपये खर्च किये गये हैं । मुद्रणालय तथा कर्मचारियों के रहने की बस्ती के निर्माण के लिये भूमि खरीद ली गई है, नकशे तथा प्राक्कलन तैयार हो गये हैं और मशीनों की पहली किश्त का व्यादेश भेजा जा चुका है ।

(घ) कोराठी में अभी तक लगभग २,४०,००० रुपये खर्च किये गये हैं । मुद्रणालय तथा कर्मचारियों के रहने की बस्ती के लिये भूमि खरीद ली गई है ।

(ङ) दोनों मुद्रणालयों की स्थापना में विलम्ब का मुख्य कारण पिछले कुछ वर्षों में विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति रहा है ।

विदेशी पाठ्यपुस्तकों का आयात

†१५४६. **श्रीमती सकीना अहमद** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री निम्न सूचना प्रदान करने वाला विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में विदेशी पाठ्यपुस्तकों की खरीद के लिये खर्च की गई राशि ; और

(ख) जिन देशों से वे आयात की गई उन के नाम तथा उसमें अन्तर्ग्रस्त विदेशी मुद्रा की राशि ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). देश के आयात व्यापार वर्गीकरण में पाठ्यपुस्तकों को अलग नहीं दिखाया जाता है । परन्तु १९५९-६० में विभिन्न देशों से आयात की गई 'पुस्तकों तथा पुस्तिकाओं' का मूल्य निम्न प्रकार है :

देश	मूल्य '०००' रुपयों में
ब्रिटेन . .	८,५३६
पश्चिमी जर्मनी	२२७
नीदरलैंड	५५
फ्रान्स	२३
इटली	५४
पाकिस्तान	४५
जापान .	३५९
संयुक्त राज्य अमेरिका .	६,९५०
अन्य देश .	२११
योग	१६,४६०

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान के कामदिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध प्रविधिक कर्मचारी

†१५४७. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के विभिन्न कामदिलाऊ दफ्तरों में १ अक्टूबर, १९५८ और ३० सितम्बर, १९६० को पंजीबद्ध प्रविधिक कर्मचारियों की संख्या क्या थी ; और

(ख) १ अक्टूबर, १९५८ से ३० सितम्बर, १९६० की अवधि के अन्त में रोजगार में लिये गये प्रविधिक कर्मचारियों की क्या संख्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) १ अक्टूबर, १९५८ को १,०८७ । ३० सितम्बर, १९६० को १,७२५ ।

(ख) १ अक्टूबर, १९५८ से ३० सितम्बर, १९६० तक की अवधि में २,२९३ व्यक्ति रोजगार में लिए गए ।

स्टेशनरी का आयात

†१५४८. **श्री आसर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सरकारी दफ्तरों के लिये विदेशों से स्टेशनरी का आयात कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो १९५८-५९ और १९५९-६० में आयात की गई स्टेशनरी का मूल्य कितना है ; और

(ग) कौन कौन सी चीजें आयात की गईं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां ।

(ख) १९५८-५९ और १९५९-६० में क्रमश: १,०१,७६३ रुपये और ६,८५० रुपये के मूल्य की स्टेशनरी आयात की गई थी ।

(ग) सूची संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १९]**

संयुक्त राज्य अमेरिका को हथकरघा वस्त्र का निर्यात

†१५४९. **श्री तंगामणि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के १.४५ करोड़ रुपये के हथकरघा वस्त्र के व्यादेश को पूरा कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो उस के क्या कारण हैं ; और

(घ) अभी तक भेजे गये कपड़े की मात्रा और मूल्य राज्यवार क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). संयुक्त राज्य अमेरिका के १.४५ करोड़ रुपये के हथकरघा वस्त्रों के व्यादेश पर फरवरी, १९६० के अन्त तक १३,५४,५८६ रुपये के मूल्य के वस्त्र निर्यात किये गये थे ।

(ग) शेष के व्यादेश क्रियान्वित नहीं किये जा सके क्योंकि अमरीकी आयातकों ने अपने व्यादेश रद्द कर दिये थे ।

(घ) अभी तक भेजे गये वस्त्रों की राज्यवार मात्रा और मूल्य उपलब्ध नहीं है क्योंकि वस्त्र विदेशी आयातकों की आवश्यकतानुसार समय समय पर देश के विभिन्न भागों से प्राप्त किये गये थे ।

हिन्दी के फार्म

१५५०. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्वार्टरों के सम्बन्ध में जांच करते समय उन के निवासियों से जो बयान लिये जाते हैं उन के लिये कोई फार्म निर्धारित हैं ;

(ख) क्या यह बयान केवल अंग्रेज़ी में लिखवाये जाते हैं ; और

(ग) क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये ये फार्म हिन्दी में उपलब्ध हैं और क्या उन के बयान हिन्दी में लिखवाये जाते हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) बयान समान्यतया अंग्रेज़ी में लिखे जाते हैं, पर यदि कोई पक्ष चाहे, तो हिन्दी में बयान लिखने पर कोई रोक नहीं है ।

(ग) और (ख). इस समय प्रपत्र (फार्म) केवल अंग्रेज़ी में ही उपलब्ध हैं, किन्तु उन का हिन्दी में अनुवाद करवाने के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है ।

हिन्दी में पत्र, परिपत्र आदि

१५५१. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३१ अगस्त, १९६० तक इस मंत्रालय ने बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों को आवास योजनाओं के बारे में कितने पत्र, परिपत्र आदि भेजे हैं ; और

(ख) इन में से कितने पर पत्र, परिपत्र आदि हिन्दी में भेजे गये अथवा कितनों के साथ उन का हिन्दी अनुवाद भेजा गया ।

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा) : (क) इन में से प्रत्येक राज्य को प्रति मास औसतन १७ से २५ तक पत्र/परिपत्र इत्यादि भेजे जाते हैं ।

(ख) कोई नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

बिना पारपत्र के यात्रा

†१५५२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों में कितने भारतीय नागरिक भारतीय प्राधिकारियों अथवा अन्य विदेशी प्राधिकारियों द्वारा बिना पारपत्र के विदेशों में यात्रा करते पकड़े गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पिछले तीन महीनों में ऐसा कोई भी मामला पकड़ में नहीं आया है और न किसी विदेशी प्राधिकारी द्वारा भारत सरकार की जानकारी में लाया गया है ।

कपूर का कोटा

१५५३. श्री पद्म देव : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८, १९५९ और १९६० में हिमाचल प्रदेश को सरकार द्वारा कपूर का कितना कोटा स्वीकृत किया गया ; और

(ख) हिमाचल प्रदेश में कपूर के इस कोटे का विक्रय कौन-सी एजेन्सी करेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हिमाचल प्रदेश के लिये कपूर का अलग से कोई कोटा निश्चित नहीं किया गया है ।

(ख) चूंकि हिमाचल प्रदेश में कपूर की टिकियों के कोई निर्माता नहीं हैं इसलिये उस क्षेत्र की जनता की कपूर की टिकियों की आवश्यकता अन्य क्षेत्रों में स्थित कपूर की टिकियों के उन निर्माताओं से सामान्य व्यापारी तरीकों द्वारा पूरी करनी पड़ेगी जिन्हें राज्य व्यापार निगम द्वारा कपूर दिया जा चुका है । वास्तविक उपयोक्ताओं, अर्थात् छोटे औषधि निर्माताओं आदि की कपूर के चूर्ण की आवश्यकता राज्यों के उद्योग निर्देशक की सिफारिश पर, राज्य व्यापार निगम द्वारा सीधी पूरी की जाती है । हिमाचल प्रदेश के उद्योग निर्देशक के पास से अभी तक ऐसा कोई सिफारिश नहीं आई है ।

मद्रास में नारियल जटा उद्योग

†१५५४. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा बोर्ड ने मद्रास राज्य के तंजोर और रामनाथपुरम् जिलों में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कदम किस प्रकार के हैं;

(ग) क्या इस उद्योग के विकास के लिए उस क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). विवरण नीचे दिया जा रहा है ।

विवरण

(क) और (ख). नारियल जटा उद्योग का अपने अपने राज्यों मे विकास के लिए कार्यवाही करना मूलतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । परन्तु नारियल जटा बोर्ड नारियल जटा

†मूल अंग्रेजी में ।

उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक परामर्श देता है । कीलाकराई (रामनाथपुरम् जिला) और अधिरामपटनम् (तंजोर जिला) में प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की योजना मद्रास सरकार द्वारा १९६०-६१ में मंजूर की गई है । राज्य सरकार ने ४ नारियल जटा सहकारी समितियों की स्थापना की मंजूरी भी दे दी है जिन में से एक रामनाथपुरम् जिले में होगी और ३ तंजोर जिले में ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राजसहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

†१५५५. **श्री एन्थनी पिल्ले :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिक आवास सहकारी समितियों द्वारा राज सहायताप्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत १ अप्रैल १९६० से अब तक कितनी योजनायें भारत सरकार को पेश की गई हैं; और

(ख) उनके अन्तर्गत कितने मकान बनाये जायेंगे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) और (ख). औद्योगिक श्रमिकों की सहकारी समितियों द्वारा राजसहायताप्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित की गई परियोजनायें सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त एवं मंजूर की जाती हैं । सहकारी समितियों द्वारा समस्त राज्य सरकारों को पेश की गई परियोजनाओं का आवश्यक ब्यौरा भारत सरकार के पास नहीं है परन्तु राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये मंजूरी पत्रों की प्रतियों से ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने १ अप्रैल, १९६० से अब तक सहकारी समितियों की ८०९ मकानों के निर्माण की ९ परियोजनायें उनके द्वारा मंजूर की गई हैं ।

जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, भारत सरकार को ऐसी कोई भी परियोजना इस अवधि में प्रत्यक्षतः अथवा संघ प्रशासन के माध्यम से प्राप्त नहीं हुई है ।

हथकरघा उद्योग के लिये संविहित निकाय

†१५५६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उद्योग के लिए कोई संविहित निकाय बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वह प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आन्ध्र प्रदेश का आर्थिक तथा औद्योगिक सर्वेक्षण

१५५७. **श्री म० वें० कृष्णराव :**
श्री रामी रेड्डी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में आर्थिक तथा औद्योगिक सर्वेक्षण किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उसका कोई विवरण प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). जुलाई, १९५९ में आन्ध्र प्रदेश का प्रविधार्थिक (टेक्नो-इकानॉमिक) सर्वेक्षण किया गया था और अनेक मूल्याकन प्रतिवेदनों के अतिरिक्त एक प्रारम्भिक आर्थिक प्रतिवेदन भी आन्ध्र सरकार को प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रतिवेदन को राज्य सरकार से विभिन्न अध्यायों पर प्राप्त टिप्पणों के अनुसार अन्तिम रूप दिया जायेगा। फिर राष्ट्रीय परिषद की सिफारिशों पर कार्यवाही करना आन्ध्र प्रदेश सरकार और उद्योगपतियों पर रह जायेगा।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विदेशों के लिये आकाश वाणी से प्रसारण

१५५८. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से किन-किन विदेशी भाषाओं में भारतीय कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं; और

(ख) कितने देशों से भारतीय भाषाओं में भारतीय श्रोताओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित होते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) दिल्ली केन्द्र से विदेशी भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित नहीं होते। आकाशवाणी के विदेशी सेवा विभाग से अंग्रेजी के अतिरिक्त नीचे लिखी विदेशी भाषाओं में कार्य-क्रम प्रसारित किये जाते हैं :—

अरबी, बर्मी, कैंटोनी, फ्रांसीसी, इंडोनेशी, कोयू, फ़ारसी, पुर्तगाली, पश्तो, स्वाहिली, तिब्बती और नेपाली।

(ख) भारतीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करने वाले देशों की सही संख्या मालूम करने के लिये और जांच की आवश्यकता होगी। लेकिन, जहां तक हमारी जानकारी है, नीचे लिखे देश भारतीय भाषाओं में भारतीय श्रोताओं के लिये कार्यक्रम प्रसारित करते हैं :—

(१) इंग्लैंड
(२) रूस
(३) अमरीका
(४) पाकिस्तान
(५) चीन
(६) संयुक्त अरब गणराज्य
(७) अफगानिस्तान
(८) लंका
(९) जापान
(१०) इंडोनेशिया
(११) आस्ट्रेलिया
(१२) गोआ
(१३) इटली
(१४) बर्मा
(१५) नैपाल।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

चीनी उद्योगों के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन और चाय बागान उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड की नियुक्ति के बारे में संकल्प

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) चीनी उद्योग के केन्द्रीय मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन (१९६०) ।

(२) चाय बागान उद्योग के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की स्थापना करने वाला दिनांक ५ दिसम्बर, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी—३(१२)/५९ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या क्रमशः एल० टी० २५०८/६०, और २५०९/६०]

†**श्री स० मो० बनर्जी** :(कानपुर) : रबड़ तथा काफी बोर्ड के मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का भी निर्णय किया गया था ।

†**श्री आबिद अली** : कुछ समय बाद अन्य दो बागान उद्योगों के लिए भी मजूरी बोर्ड नियुक्त हो जायेंगे ।

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश मिले हैं कि लोक सभा द्वारा १४ नवम्बर, १९६० को पारित बिलासपुर वाणिज्यिक निगम (निरसन) विधेयक, १९६० तथा २१ नवम्बर, १९६० को पारित महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक, १९६० को राज्य-सभा ने अपनी ६ दिसम्बर, १९६० की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

आविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

राष्ट्रमंडल में गणराज्य बनने का दक्षिण अफ्रीका का निर्णय

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"अल्प संख्यक गोरों के विभक्त मत के आधार पर राष्ट्रमंडल में एक गणतंत्र बनने के दक्षिण अफ्रीका के निर्णय को मान्यता देने के बारे में भारत का अननुमोदन ।'

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : भारत सरकार, दक्षिण अफ्रीका संघ सरकार की वर्णभेद नीति तथा जातिभेद नीति के सख्त खिलाफ रही है और है । राष्ट्र मण्डल के मान्य सिद्धान्तों में से एक सिद्धान्त जातीय समता है । स्पष्ट है कि जातीय भेदभाव अन्यथा वर्णभेदभाव की नीति राष्ट्र मण्डल की इस मूल नीति के प्रतिकूल है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यद्यपि दक्षिण अफ्रीका में गणतन्त्र के बारे में मतदान किया गया है परन्तु अन्य कोई औपचारिक कार्यवाही नहीं की गई है। न ही, जहां तक भारत सरकार को पता है, दक्षिण अफ्रीका सरकार ने राष्ट्रमण्डल के सदस्यों के विचारार्थ कोई अनुरोध किया है। जब ऐसा कोई अनुरोध होगा तब भारत सरकार उस अनुरोध के संदर्भ में तथा उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उस पर विचार करेगी।

विनियोग (संख्या ५) विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक के बारे में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : मेरी प्रार्थना है कि कार्य सूची की मद संख्या ४ को मद संख्या ३ से पहले लिया जाये। मेरे मित्र ने तो इसके लिये अपनी सहमति दे दी है और यदि सभा इस प्रस्ताव से सहमत हो जाये तो पहले इस पर विचार किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों ही विधेयक छोटे छोटे हैं। अतः माननीय मंत्री महोदय पहले अपना विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

†**डा० प० सुब्बरायन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय डाकघर अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्रीमान् यह एक छोटा सा विधेयक है जो दशमलव प्रणाली को लागू करने के लिये . . . . . (**अन्तर्बाधायें**)

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : इस विधेयक पर विचार करने के लिये हम तैयार नहीं हैं। क्योंकि ऐसी आशा थी कि मद संख्या ३ में जो विधेयक दिखाया गया है उसी पर सारे दिन चर्चा होगी। आज मद संख्या ४ के विधेयक के लिये जाने की तो कोई आशा ही नहीं थी। अतः इस विधेयक पर अब विचार करना ठीक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री महोदय ने प्रार्थना की थी चूंकि उन्हें कहीं जाना है अतः यह विधेयक पहले ले लिया जाये । यही सोच कर मैंने इसकी अनुमति दी थी । चूंकि माननीय सदस्य इस समय इस पर विचार करने के लिये तैयार नहीं हैं । इसलिये यह हो सकता है कि इस विधेयक पर ३ बजे विचार किया जाय और तब तक वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक पर विचार किया जाये ।

वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक लोक-सभा में १८ नवम्बर, १९६० को पुरस्थापित किया गया था और सभा तथा जनता के सामने आये हुए इसे तीन सप्ताह हो चुके हैं । यह देखने में आया है कि अधिनियम की विनियमनकारी शक्तियां इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिये अपर्याप्त हैं अतः विधि के अनुसार जब तक कठोर दण्ड की व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक इन प्रवृत्तियों पर प्रतिबन्ध लगाना कठिन है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

बाद में यह भी देखने में आया कि वस्तुओं के क्रय विक्रय, विशेष रूप से जूट और तिलहन तथा जूट का बना सामान, में सट्टेबाजी का प्रभाव बढ़ रहा है जिसके कारण इस बात की सम्भावना है कि कहीं मूल्यों के बढ़ जाने से निर्यात पर इसका प्रभाव न पड़े । यह बात सच है कि मौसम के कारण संभरण में कमी आ गई लेकिन इससे इस व्यापार में सट्टेबाजी बढ़ी । अधिनियम की विनियमनकारी शक्तियां सट्टेबाज़ी की इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने में अपर्याप्त रही और यह सोचा गया कि जब तक विधि के अनुसार कठोर दण्ड की व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक इन प्रवृत्तियों को रोकना एक दम कठिन है । विधि के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार यह भी सम्भव नहीं है कि ऐसे सौदों के बारे में, जिनके निपटारे की तिथि निश्चित तिथि से आगे नहीं बढ़ायी जा सकती, (नोन ट्रांसफरेबिल डिलीवरी कान्ट्रेक्ट्स) जिनका आगे चल कर वैध प्रयोजनों के अतिरिक्त उपयोग किया जाता है, कोई जानकारी एकत्रित की जा सके । इसलिये यह आवश्यक हो गया कि इस विधि के उपबन्धों को और शक्तिशाली बनाया जाये ताकि इस व्यापार पर और भी अधिक प्रभावी नियन्त्रण एवं विनियमन हो सके ।

मान्यताप्राप्त संस्थाओं में तालिकानुसार चुनाव की व्यवस्था करने की दृष्टि से वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम में संशोधन करने वाले छोटे से विधेयक पर जब १० सितम्बर, १९५७ को चर्चा हो रही थी तो इस बात पर जोर दिया गया था कि इस अधिनियम में और संशोधनों की आवश्यकता है ताकि वायदे के सौदे का विनियमन और भी प्रभावी हो सके । उस समय मैंने वचन दिया था कि इस प्रयोजनार्थ मैं एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करूंगा । वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भी ३१ मार्च, १९६० को लोक-सभा में वायदा विपणन आयोग के कार्य-संचालन सम्बधी कटौती प्रस्ताव की चर्चा के दौरान में ऐसा ही संकेत दिया था । १८-११-१९६० को जो विधेयक मैंने पुरःस्थापित किया है उसका प्रारूप इसी उद्देश्य से किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक, १९६० उद्देश्य और कारणों के विवरण सहित तथा विधेयक के खण्डों पर टिप्पणी में संक्षेप से उन प्रक्रियाओं, को बताया गया है जिनके अनुसार मुख्य अधिनियम के उपबन्धों में संशोधन किया जायेगा ताकि वायदे के सौदों का विनियमन और भी प्रभावी हो सके। सन् १९५३ में जबकि यह मुख्य अधिनियम लागू किया गया था तब से लेकर अब तक वायदा विपणन आयोग तथा केन्द्रीय सरकार ने वायदे के सौदे के विनियमनों के प्रयोग से जो कुछ लाभ उठाया है उसको ध्यान में रख कर ही इन उपबन्धों की व्यवस्था की गई है।

इस प्रस्तावित संशोधन विधेयक के उपबन्धों के उद्देश्य और लक्ष्य बताने से पूर्व कुछ प्रारम्भिक बातों का उल्लेख कर देना चाहता हूं।

वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम २६ दिसम्बर, १९५२ को पारित हुआ था। इस अधिनियम की धारा ३ के अनुसार वायदा विपणन आयोग की स्थापना २ सितम्बर, १९५३ को हुई थी जिस में प्रारम्भ में एक सभापति और एक सदस्य थे और बाद में चल कर एक अतिरिक्त सदस्य की नियुक्ति और भी की गई। अधिनियम की धारा ४ में इस आयोग के कर्तव्यों और कार्यों का उल्लेख किया गया है। मुख्यत: वे ये हैं : (१) संस्थाओं की मान्यता के बारे में केन्द्रीय सरकार को को परामर्श, (२) वायदा विपणन की देखभाल और ऐसे विपणनों में होने वाले महत्वपूर्ण उतार चढ़ावों के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना, जहां कि आयोग ऐसा करना ठीक समझे, (३) ऐसी सिफारिशें करना जिससे कि इस संगठन का विकास हो और वायदा विपणन का कार्य संचालन ठीक हो, (४) मान्यताप्राप्त संस्थाओं के लेखाओं तथा अन्य दस्तावेजों की सामयिक जांच, और (५) उन वस्तुओं के, जिनके बारे में कि अधिनियम में व्यवस्था की गई है, संभरण, मांग और मूल्यों के बारे में आंकड़े एकत्रित करना और मान्यताप्राप्त वायदा विपणनों के कार्य के बारे में सरकार को आकस्मिक प्रतिवेदन देना। यह आयोग स्वतन्त्र रूप से काम कर सके और उपचारात्मक परिस्थितियों में अधिक तत्परता से एवं प्रभावी रूप से काम कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम की धारा २६ के अधीन केन्द्रीय सरकार ने आयोग को ये अधिकार घोषित किये हैं: (१) मान्यताप्राप्त संस्थाओं के नियमों में संशोधन का अनुसमर्थन (संस्थाओं के ज्ञापन और निर्देश), (२) प्रत्यक्ष नियम बनाना एवं संशोधन करना, (३) मान्यता प्राप्त संस्थाओं के उपनियम बनाना अथवा उनमें संशोधन करना, (४) मान्यताप्राप्त संस्थाओं के सभी मामलों, जिसमें इसके सदस्यों के मामले भी सम्मिलित हैं, के बारे में व्याख्या मांगना, (५) मान्यताप्राप्त संस्था के कार्य को स्थगित करना।

वायदे के सौदे (विनियमन) नियम, १९५४ के नियम ७(२) के अधीन आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि वह मान्यताप्राप्त संस्थाओं को निदेश जारी कर सके। गत सात वर्षों में इस आयोग ने बड़े ही अच्छे ढंग से बड़ा कठिन कार्य किया है और हालांकि उसके पास उपरोक्त शक्तियां थीं लेकिन फिर भी उसने उनमें से कुछ शक्तियों का ही उपयोग किया है और वह भी उस समय जबकि उनके उपयोग करने के अतिरिक्त उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। इस आयोग ने इस अधिनियम की धारा ४ में जिन कार्यों एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है उनका पूरा पूरा पालन किया है और सरकार उससे सन्तुष्ट है।

सन् १९५३ से जब कि इस आयोग की स्थापना हुई थी, हमने विभिन्न दिशाओं में निश्चित प्रगति की है। वायदा विपणन आयोग की सिफारिशों के आधार पर देश भर की २६ संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई है। उत्तर में अमृतसर से लेकर दक्षिण में अलप्पी तक पश्चिम में राजकोट से

[श्री कानूनगो]

पूर्व में कलकत्ता तक ये संस्थायें व्याप्त हैं और १५ वस्तुओं में ये व्यापार करती हैं तथा ४४ बाजारों में इनका कारबार फैला हुआ है । इन बाजारों में जूट, कपास, मूंगफली, केस्टरसीड, बिनौला, तिलहन, रेशे, सरसों, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, कालीमिर्च, आदि का व्यापार होता है । लाख, खाद्यान्न आदि में वायदे के सौदे जनहित की दृष्टि से बन्द कर दिये गये हैं । मान्यताप्राप्त संस्थाओं में व्यापार का विनियमन करने के अतिरिक्त आयोग ने और दूसरे वायदे के बाजारों पर भी कड़ी निगरानी रखी है और महत्वपूर्ण विकासों के बारे में, जहां कहीं भी उनकी आवश्यकता है, के द्रीय सरकार का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया है ।

वायदे के सौदे करने वाली संस्थाओं को मान्यता देने के लिये एक शर्त यह होती है कि उनका कार्य केवल व्यापार के हित की दृष्टि से ही नहीं होगा बल्कि जनहित की दृष्टि से भी होगा । इसलिये सरकार मान्यता प्राप्त वायदा बाजारों को अपने कर्तव्यों का पालन करने में सहायता दे रही है और उनका उनका कार्य अच्छी तरह से चल सके इसलिये उचित संविधान एवं उपनियम बना रही है । संविधान भी इस दृष्टि से तैयार किया जा रहा है कि ताकि उत्पादकों, मध्यवर्ती लोग, कारबार करने वाले, निर्यातक, उपभोक्ता एवं दलालों का लाभ हो । व्यापार सम्बन्धी उपनियम इस दृष्टि से बनाये जा रहे हैं ताकि वस्तुओं का मूल्य यथा संभव स्थिर रहे और किसी भी वाणिज्यिक वर्ग को रोजाना के कारोबार में एकाधिकार प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो ।

गत सात वर्षों में वायदे के सौदों का विनियमन करने का पूरा प्रयत्न किया गया है लेकिन यह कुछ लचकीला अवश्य रहा है जो कि स्वाभाविक है क्योंकि आयोग को नयी आधार भूमि तैयार करनी थी तथा व्यापार और देश के हित को ध्यान में रख कर अपनी निजी नीति एवं प्रक्रिया बनानी थी । फिर भी देश तथा व्यापार को हित को ध्यान में रख कर सरकार ने इस के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, और यदि कहीं किया भी हो तो वह भी बहुत थोड़ा सा जैसे १९५६ में कपास का तथा १९५९ में गुड़ के बाजार को बन्द करना । बृहदरूप में इस आयोग की नीति यह रही है कि विनियमन का कार्य मान्यताप्राप्त संस्थाओं के निदेशक मण्डल पर छोड़ दिया जाये और जब कभी वे पथभ्रष्ट हों तो उनको रास्ता बताया जाये और जब वे निश्चित रूप से ही भूल पर हों तो उनको कसा जाये । मान्यता-प्राप्त संस्थाओं में सरकार द्वारा नाम निर्देशित चार निदेशक होने के कारण इस नीतिको सफलता-पूर्वक चलाने की पूरी आशा है ।

वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम, १९५२ की वर्तमान योजना का आधार यह है कि वस्तुओं के सामान्य व्यापार की दृष्टि से वायदे की सौदेबाजी आवश्यक है और उन वस्तुओं के वायदे के व्यापार पर ही नियंत्रण किया जाये जो किसी व्यापार विशेष अथवा जनहित में न हो । अधिनियम की धारा १५ में यह बात पूर्णतः स्पष्ट कर दी गई है । फिर भी खली, कृत्रिम सिल्क सूत, आदि में खुले रूप से वायदे के सौदे किये जाते हैं । वस्तुओं का तीसरा वर्ग वह है जिन में वायदे के सौदे इस अधिनियम की धारा १७ के अनुसार बिल्कुल ही बन्द कर दिये गये हैं जैसे सभी प्रकार के खाद्यान्न ।

मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान अधिनियम के अनुसार विनियमन द्वैध रक्षण के लिये है । आज की वर्तमान परिस्थितियों में जब कि आर्थिक प्रवृत्तियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं द्वैध रक्षण की सुविधा स्वतः ही एक बहुत अच्छा साधन है । वर्ना इसके बिना उत्पादक को एक या दो सप्ताह के भीतर अपने उत्पाद का विपणन करना नितांत असंभव हो जायेगा । और उद्योग के लिये अपने पूरे वर्ष की आवश्यकता का सामान जुटाना भी संभव न होगा ।

मैं तो यह दावा नहीं करता कि यह द्वैध रक्षण सदैव ही व्यापार और लोकहित में होता है लेकिन इसकी असफलता के कारण कुछ दूसरे ही होते हैं। लेकिन वर्तमान कृषि की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुये द्वैध रक्षण विपणन नितांत आवश्यक है ।

अत्यधिक विकसित देशों में भी वायदे के विपणन को काफी महत्व दिया जाता है और इसका उपयोग मूल्यों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण पाने की दृष्टि से किया जाता है। इन विनियमनों का मुख्य उद्देश्य वायदे के विपणनों में होने वाली अत्यधिक सट्टेबाजी को रोकना है। और मूल्यों में होने वाली वृद्धि पर नियंत्रण करना है। मूल्यों की वृद्धि मांग और संभरण के अतिरिक्त अन्य बातों जैसे भावना, सट्टेबाजी की मनोवृत्ति आदि पर निर्भर करती है। जब वस्तुओं की कमी होती है तो वायदे के विपणनों में उन के मूल्य सटोरियों की मनोवृत्ति पर निर्भर होते हैं। यदि पूर्णतः समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की स्थापना कर दी जाती है तो मूल्यों के उतार चढ़ाव का सुनिश्चयन करने के लिये वायदे विपणनों की बिल्कुल भी आवश्यकता न होगी, ऐसी स्थिति में सरकार हर समय मूल्य निर्धारित करेगी तथा उनका वितरण भी निश्चित करेगी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसी उद्देश्य से सहकारी संस्थाओं पर बल दिया जा रहा है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि यह बात अच्छी होगी यदि इस प्रकार ही मूल्य आगामी कई वर्षों तक चलते रहे। तीसरी योजना में यह आवश्यक है कि मूल्य स्थिर रहें। और इसके लिये वायदे के विपणन ही सहायक होंगे। चाहे वायदे के विपणन हों या न हों लेकिन मूल्यों में वृद्धि उस समय अनिवार्य है जब कि माल तो कम होगा लेकिन मांग अधिक होगी। मेरे विचार में ऐसा सोचना भूल होगी कि वायदा विपणन बंद करने से ऐसा नहीं होगा। वायदा विपणन मंदी के समय तो मूल्यों की स्थिरता बनाने में सहायता करता है। विनियमनों के अधीन वायदा विपणन मौसमी मूल्यों के उतार चढ़ाव में कमी करता है अतः उस दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

आयोग ने अपनी शक्तियों के अधीन अत्यधिक सट्टेबाजी को रोकने के लिये विशेष प्रतिबन्ध सीमा की व्यवस्था की है और बाजार की स्थिति के अनुसार समय समय पर समेकन करने की व्यवस्था की है। इस प्रक्रिया का परिणाम यह होता है कि सारे देश में एक वस्तु विशेष के मूल्य में स्थिरता बनी रहती है जो कि उस समय संभव नहीं था यदि प्रत्येक संस्था विशेष प्रतिबंध सीमा की व्यवस्था स्वयं करती ।

अत्यधिक सट्टेबाजी को रोकने के लिये आयोग ने एक कार्यवाही यह की है कि मान्यताप्राप्त संस्था के एक सदस्य के वायदे के सौदे करने पर उपरिसीमा उस स्थिति में लगा दी है जब कि बाजार में वस्तु का संभरण कम है और ऐसी स्थिति में वह और नये सौदे नहीं कर सकता। इन उपबन्धों से भी काफी सफलता मिली है ।

कुल मिलाकर विद्यमान अधिनियम ने अच्छे प्रकार से ही काम किया है और अब तक के हमारे अनुभव में कोई ऐसी बात नहीं आई है जिस से इस बात का संकेत मिले कि या तो यह समय की आवश्यकताओं के बिल्कुल अनुरूप नहीं है या कि उसके आधार पर गलत है। उसकी आवश्यक रूपरेखा अनुभव की कसौटी पर खरी उतरी है और यह सिद्ध हो गया है कि अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उसमें काफी लचक है। संशोधन विधेयक का उद्देश्य यह है कि उसकी रूपरेखा में सुधार किया जाये और पिछले अनुभव के आधार पर उसे कुछ दिशाओं में और बढ़ा दिया जाये। यों अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों को लागू करने के लिये की गई विभिन्न कार्यवाहियां सट्टेबाज़ी पर अंकुश रखने और वादे के तथा हाज़िर दोनों प्रकार के भावों में अनुचित और अवांछनीय उतार चढ़ाव को रोकने में काफी हद तक सफल रही है फिर भी सरकार इस बात को भली प्रकार से जानती है कि व्यापारी वर्ग के कुछ लोगों ने इस अधिनियम के उपबन्धों की पकड़ से बच निकलने के लिये इसकी कुछ कमियों का काफी अनुचित लाभ भी उठाया है ।

[श्री कानूनगो]

अवैध व्यापार करने के मामले में दण्ड देने के सम्बन्ध में इस वर्तमान अधिनियम के उपबन्ध अपर्याप्त हैं। और उन पर न्यायालय में उचित रूप से मुकदमा चलाने में समर्थ नहीं हैं।

अतः संशोधन विधेयक के खण्ड १४ में यह व्यवस्था की गई है कि मान्यताप्राप्त संस्थाओं को छोड़कर अन्य संस्था वायदे के सौदों का काम करेंगी उन्हें रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा। उनकी रजिस्ट्री कराने में आयोग ऐसी सभी निकायों की, जो निर्बोध वस्तुओं की हस्तांतरणीय विशिष्ट डिलीवरी के सौदे करते हैं और ऐसी की भी जो विनियमित अथवा निषिद्ध वस्तुओं के अ-हस्तांतरणीय विशिष्ट डिलीवरी के सौदे करते हैं, गणना कर सकेगा।

क्योंकि अवैध सौदों के पकड़े गये मामलों में दण्ड का मौजूदा उपबन्ध कठोर नहीं है इसलिये खण्ड १७, १८ और १९ अधिनियम के दण्ड विषयक उपबन्धों को और भी कठोर बनाने की व्यवस्था करते हैं। जुर्माने की सीमा बढ़ाने के साथ साथ उसकी कम से कम सीमा निर्धारित कर देने के अलावा अब यह भी प्रस्ताव किया गया है कि यदि इन खण्डों के अधीन बार बार अपराध किये जायें तो कारावास का दण्ड अनिवार्य हो जायेगा। इसके अतिरिक्त, उक्त धाराओं के मुकदमों में प्रमाण करने का उत्तरदायित्व अभियुक्त पर होगा।

खण्ड ६ के अधीन आयोग को यह शक्ति दी जा रही है कि वह लोगों को पेशी में उपस्थिति के लिये बाध्य कर सके और शपथ देकर उनसे जिरह कर सके। आयोग को अपने कृत्यों को कारगर रूप से पूरा करने में समर्थ बनाने के लिये यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में उसे कानूनी शक्तियां प्रदान की जायें।

खण्ड ११ और १६ मान्यताप्राप्त संस्थाओं को ऐसे उपनियम निर्धारित करने में समर्थ बना देंगे जिनका उल्लंघन कर के किये गये सौदों को जो विशिष्ट उपविधियों के अनुसरण में न किये गये हों, अवैध बना देने का प्रस्ताव है। अभी ऐसे सौदों को केवल रद्द माना जाता है। इससे व्यवसाय के अधिकृत समय के बाहर किये जाने वाले सौदों को प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा।

खण्ड १३ के अनुसार आयोग को यह दण्ड देने की शक्ति दी गई है कि वह ऐसे सौदों को रद्द कर दे जो लोकहित में नहीं हैं। अब तक ऐसा कार्य करने वालों के विरुद्ध केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती थी।

अतः आप देखेंगे कि इस विधेयक के उपबन्ध मुख्य रूप से वायदे के सौदों के विनियमन की वर्तमान व्यवस्था को शक्तिशाली बनाते हैं और न्यायालयों के लिये यह सम्भव कर देते हैं कि यदि वे आवश्यक हों तो हतोत्साहक दण्ड दे सकें। अत्यधिक सट्टेबाजी के प्रभाव से राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को जो महान क्षति होगी, उसको ध्यान में रखते हुए यह बात स्वीकार की जायेगी कि प्रस्तावित विधेयक बहुत आवश्यक है और समय से पूर्व भी नहीं लाया गया है। मुख्य अधिनियम के प्रयोगात्मक अनुभव ने इसकी उपयोगिता तथा कुछ हद तक अपर्याप्तता को सिद्ध कर दिया है। अतः मेरा विचार है कि जब यह संशोधन विधेयक पारित हो जायेगा तो वायदा के सौदे में काफी सुधार हो जायेगा। यह कहने में भी मुझे कोई सन्देह नहीं है कि यह विधेयक मूल्यों के स्थिरीकरण में भी सहायता पहुंचायेगा जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिये नितान्त आवश्यक है।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से निवेदन करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : मैं अपना संशोधन संख्या १९ प्रस्तुत करता हूं। मैं चाहता हूं कि विधेयक को राय जानने के लिये परिचालित किया जाये ।

मैंने यह संशोधन इस उद्देश्य से नहीं रखा कि इस विधेयक को पारित होने में कोई विलम्ब हो। मेरी राय शुरू से यही रही है और आज भी यही है कि वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम को तुरन्त निरसित कर दिया जाय। इसमें संशोधन की जरूरत ही नहीं। इसलिए कि ऐसे विधान से आगे चल कर हमारी अर्थ-व्यवस्था और खासकर तृतीय योजना के लिये बड़े खतरे पैदा होंगे। मूल अधिनियम पर भी जनता की राय नहीं जानी गई थी।

अस्थायी संसद् में जब पहले यह विधेयक रखा गया था, तब भी सरकार ने इसे राय जानने के लिये परिचालित करना जरूरी नहीं समझा था। सरकार ने इसका मूल प्रारूप कुछ व्यापार संस्थाओं और शायद कुछ राज्य सरकारों के पास भेजा था। बाद में भी, इसे कभी राय जानने के लिये परिचालित नहीं किया गया था ।

मूल विधेयक की पुरःस्थापना के समय कहा गया था कि विधेयक का प्रारूप एक विशषज्ञ समिति के प्रतिवेदन के आधार पर तैयार किया गया था। लेकिन उस विशेषज्ञ समिति में निहित स्वार्थों के ही प्रतिनिधि मौजूद थे। समिति में वही लोग थे जो स्वयं वायदे के सौदे करते थे। उनके अतिरिक्त किसी की भी राय नहीं ली गई थी।

इस विधेयक का प्रभाव समाज के कई वर्गों पर पड़ता है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं और उनकी बिचवाई करने वाले बिचौलियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। वायदे के सौदों का मूल उद्देश्य मुनाफे कमाना है, और मुनाफे तब तक नहीं हो सकते जब तक कि मूल्यों में उतार चढ़ाव न हो। यदि उतार चढ़ाव न हो, तो वायदे के सौदों को विनियमित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ।

हमने इसीलिये १९५२ में ही कहा था कि इस विधेयक को आगे न बढ़ाया जाये। लेकिन उस समय की परिस्थिति सर्वथा भिन्न थी। तब हमने समाजवादी ढंग का समाज बनाने का उद्देश्य घोषित नहीं किया था ।

उस समय इस विधेयक के प्रस्तावक श्री हरेकृष्ण मेहताब ने स्पष्ट कहा था कि वायदे के सौदे अनिवार्य हैं ।

क्यों अनिवार्य हैं ? यदि आप नहीं चाहते कि देश में मूल्यों का उतार चढ़ाव हो, यदि चाहते हैं कि देश में मूल्यों को स्थायित्व प्रदान किया जाये, तो फिर वायदे के सौदों की गुंजाइश ही कहां रहती है और फिर आप उसे विनियमित क्या करना चाहते हैं ? तब फिर विधेयक का उद्देश्य क्या है ? मैं मान सकता हूं कि १९५१ या १९५२ में वायदे के सौदों को विनियमित करना आवश्यक समझा गया था। लेकिन आज क्यों, जब हम समाजवादी समाज की रचना का अपना उद्देश्य घोषित कर चुके हैं ? क्या हमारे विधानकारों का यह कर्तव्य नहीं है कि बदली हुई परिस्थितियों में विधानों को भी बदलते चलें ?

इसीलिये वर्तमान परिस्थितियों में हमें इस अनावश्यक विधान को निरसित करने के लिये तैयार रहना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वें० प० नायर]

तृतीय योजना के प्रारूप में मूल्य-नीति के सम्बन्ध में स्पष्ट घोषणा की है कि योजना-काल में विनियोजनों के बढ़ने के साथ ही मूल्यों में कुछ वृद्धि तो संभावित है, लेकिन हमारी मूल्य नीति का यह प्रयास रहेगा कि अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य सापेक्षतः स्थायी रहें ।

यदि मूल्यों के स्थायित्व पर ही हमारी तृतीय योजना की सफलता का दारोमदार है, तो फिर वायदे के सौदों जैसे अवैधानिक सौदों को विनियमित करने या उनको वैधानिक रूप देने का क्या मतलब है ? तृतीय योजना के हित में यही रहेगा कि इसे निरसित कर दिया जाये और वायदे के सौदों के लिये कोई गुंजाइश ही न छोड़ी जाये ।

यदि मूल्यों में उतार-चढ़ाव आना ही नहीं है, तो वायदे के सौदे होंगे ही नहीं । इतनी बात तो स्पष्ट है । इसलिये मूल अधिनियम में संशोधन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं । यदि सरकार अपने घोषित उद्देश्यों के प्रति ईमानदार होती, तो यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत ही न करती ।

श्री मुरारका का प्रश्न है कि इसे निरसित करने का क्या प्रभाव होगा । सभी जानते हैं कि वायदे का सौदा एक प्रकार का जुआ है, जो धनी लोग ही खेलते हैं । और श्री मेहताब ने 'ऑप्शन्स' पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था इसलिये रखी थी कि साधारण पूंजी वाले लोग वायदे के सौदे न कर सकें ।

अब यदि वायदे का सौदा एक प्रकार जुआ ही है, तो अर्थ-व्यवस्था की हित की दृष्टि से उसका विनियमन किया ही जाना चाहिये, जिससे कि उसके गम्भीर दुष्परिणाम न हो सकें । लेकिन जुए को नियमित करने के लिये एक अखिल भारतीय अधिनियम भी तो मौजद है । वायदे के सौदों का नियंत्रण उस अधिनियम के द्वारा भी किया जा सकता है । इसके लिये उसी अधिनियम में एक अध्याय जोड़ा जा सकता है । सरकार बड़ी आसानी से ऐसा कर सकती है । दण्ड संहिता में इसी प्रकार कई अध्याय जोड़े गये हैं ।

†**श्री मरारका (झुंझनू)** : मेरा प्रश्न तो यह था कि इस अधिनियम को निरसित कर देने से आपका उद्देश्य किस प्रकार पूरा होगा ?

†**श्री वें० प० नायर** : यदि केवल इस अधिनियम को निरसित कर दिया जाये, और अन्य अधिनियमों में वायदे के सौदों को नियंत्रित करने के लिये कोई व्यवस्था न की जाये, तो बड़े बड़े सटोरियों की पांचों उंगलियां घी में होंगी । इसीलिये मैं चाहता हूं कि इसके निरसन के साथ अन्य अधिनियमों में भी उपयुक्त व्यवस्थायें की जायें ।

इसीलिये मेरा सुझाव है कि इस संशोधन विधेयक को राय जानने के लिये परिचालित किया जाना चाहिये ।

हम इसके निरसन की बात इसीलिये कहते हैं कि तृतीय योजना के प्रारूप में मूल्यों को स्थायित्व देने की बात पर ज़ोर दिया गया है । अब हमारा सामाजिक उद्देश्य भी बदल गया है । यदि सरकार इसे निरसित करने में कोई अड़चन महसूस करती है, तो इसे राय जानने के लिये परिचालित किया जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव और संशोधन प्रस्तुत हुए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। हो सकता है कि इस संशोधन विधेयक में काफी कसर रह गई हो, लेकिन उसके आधार पर यह कहना कि पूरे अधिनियम को निरसित कर दिया जाये, अति करना है। श्री वें० प० नायर ने साथ ही यह कहा है कि अधिनियम को निरसित करने के बाद, दण्ड संहिता में इसकी उचित व्यवस्था की जानी चाहिये। उससे स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। इसलिये मैं इस संशोधन विधेयक को राय जानने के लिये परिचालित करने के संशोधन का विरोध करता हूं।

इस संशोधन विधेयक को अविलम्ब पारित करना जरूरी है। कलकत्ता के जूट बाजार में बड़ा सट्टा चल रहा है और उसके फलस्वरूप देश में कच्चे जूट का मूल्य चढ़ता चला जा रहा है, जिसका हमारे निर्यात व्यापार पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा।

माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि अधिनियम जिस उद्देश्य को लेकर पारित किया गया था, वह पूरा नहीं हो सका। यह संशोधन विधेयक इसलिये जरूरी है कि मूल अधिनियम वायदे के सौदे करने के लिये मान्यता-प्राप्त संस्थाओं द्वारा निश्चित समय के बाद भी किये जाने वाले सौदों को रोकने में असमर्थ रहा है।

सरकार और आयोग ने वायदे के सौदों में चलने वाले कदाचारों को रोकने के लिये वर्तमान अधिनियम की व्यवस्थाओं का भी पूरा-पूरा प्रयोग नहीं किया।

वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ कर तो और भी निराशा होती है। प्रशासन सम्बन्धी अध्याय में कहीं भी नहीं बताया गया कि आयोग ने क्या-क्या काम किये हैं। वर्तमान अधिनियम की धाराओं ७, ८, १०, १२, १३ और १४ के अन्तर्गत दण्ड की व्यवस्थायें की गई हैं, लेकिन प्रतिवेदनों से पता ही नहीं चलता कि आयोग ने इन धाराओं के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की है। केन्द्रीय सरकार ने मान्यता-प्राप्त संस्थाओं के उप-नियम बनाने या संशोधित करने की अपनी शक्ति आयोग में प्रत्यायोजित कर दी है। माननीय मंत्री बतायें कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है।

सरकार यदि चाहती तो वर्तमान अधिनियम की धाराओं १३ और १४ के अन्तर्गत कदाचार करने वाली या विधि का उल्लंघन करने वाली मान्यता-प्राप्त संस्थाओं के प्रशासी निकायों को अपने नियंत्रण में ले सकती थी। सरकार या आयोग यदि चाहते तो अपराधी संस्थाओं या उनके सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती थी। लेकिन प्रतिवेदनों में इसके बारे में कहीं कुछ भी नहीं मिलता। भावी प्रतिवेदनों में ऐसा विवरण जुटाया जाना चाहिये। जब सभा सरकार को शक्तियां प्रदान करती है, तो उनका उचित ढंग से उपयोग भी होना चाहिये।

मैं इस विधेयक के पारिभाषिक शब्दों को ठीक-ठीक नहीं समझ पाता, लेकिन इतना जानता हूं कि जूट-व्यापार में चलने वाले सट्टे से बंगाल और पूरे देश की अर्थ-व्यवस्था को बड़ी हानि पहुंच रही है।

पिछले वर्ष सरकार ने राज्य व्यापार-निगम के जरिये सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कच्चा जूट खरीदने की नीति घोषित की थी। उस समय जूट-उत्पादकों की दशा बड़ी खराब हो गई थी। इस वर्ष जूट का उत्पादन गिर गया है। और इससे सटोरियों को सट्टा करने का मौका मिल गया है, जिसके कारण देहाती मंडियों में जूट का मूल्य ५०–६० रुपये प्रति मन तक पहुंच गया है, जो पिछले साल २० रुपये प्रति मन ही था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अ० चं० गुह]

मुझे अधिक चिन्ता इसलिये है कि सामरिक दृष्टि से भी जूट का बड़ा महत्व है। इसीलिये देश के पूर्वी भाग के राज्यों से अधिकाधिक जूट पैदा करने के लिये कहा गया था। किसानों और राज्य सरकारों ने तो अपना कर्तव्य पूरा किया, पर केन्द्रीय सरकार ने किसानों के हितों की उपेक्षा की है।

आज हमारा जूट उद्योग ऐसे व्यापारियों के हाथ में है जो साथ में उद्योगपति भी हैं। एक ही व्यक्ति उद्योगपति, व्यापारी, संभरणकर्त्ता और निर्यातक है। इसीलिये कदाचार बड़ी आसानी से होते रहते हैं।

हमें जूट के निर्यात से हर वर्ष लगभग १.५ करोड़ रुपये मिलते रहे हैं। यदि ठीक तौर पर देख भाल की जाये तो आसानी से उत्पादन काफी बढ़ाया जा सकता है। पिछले जून से जूट का निर्यात घटता रहा है और यदि कच्चे जूट की मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण न किया गया तो घटता ही जायगा।

इसीलिये इस संशोधन विधेयक को जल्द से जल्द पारित किया जाना चाहिये। सरकार का यह निर्णय बड़ा अच्छा है कि इसे प्रवर समिति को नहीं सौंपा जायेगा। लेकिन सरकार को माननीय सदस्यों के उचित संशोधन मानने के लिये तैयार रहना चाहिये।

मूल अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार, वायदा सौदा आयोग का काम केन्द्रीय सरकार से सिफारिशें करना था। अब इस संशोधन विधेयक द्वारा उस आयोग को शक्ति प्रदान की जा रही है कि वह स्वयं वायदे बाजारों पर नियंत्रण रखेगा। वर्तमान संशोधन विधेयक की इस व्ववस्था, खंड ५ की इस व्यवस्था, में इतना और जोड़ा जाना चाहिये कि आयोग केन्द्रीय सरकार को सारी परिस्थिति की सूचना देता रहेगा।

मेरा अनुरोध है कि अभियोजनों के मामलों में केन्द्रीय सरकार यह देखे कि वह या आयोग स्वयं कितना कुछ कर सकते हैं, राज्य-सरकारों की व्यवस्था पर निर्भर रहे बगैर। मुख्य दायित्व केन्द्र का ही होना चाहिये।

सरकार द्वारा किया गया एक संशोधन मेरी समझ में नहीं आता कि कुछ अधिसूचनाओं को राज्य सरकारों के सरकारी गजट में प्रकाशित क्यों नहीं किया जायेगा। यह व्यवस्था रहनी चाहिये थी।

यह संशोधन बड़ा अच्छा है कि वायदे के सौदे करने वाली सभी संस्थाओं को पंजीयित होना चाहिये। उनको पंजीयन प्रमाणपत्र हासिल करना चाहिये।

कलकत्ता में वायदे के सौदों के लिये निश्चित समय के बाद सौदे किये जाते हैं और अधिनियम की व्यवस्थाओं से बचा जाता है। इसे रोकना जरुरी है। लेकिन यह संशोधन तभी प्रभावी हो सकेगा, जब आयोग की एक शाखा-कार्यालय कलकत्ता में रहे और उसमें आयोग के एक सदस्य भी रहें। उसे पुलिस और गुप्तचर विभागों का भी पूरा सहयोग मिलना चाहिये।

और यदि, इतनी सारी व्यवस्थाओं के बाद भी, सरकार वायदे के सौदों के कदाचार को रोकने में असमर्थ रहे, तो उसे जूट, रुई और तिलहन जैसी कृषीय वस्तुओं का संभरण और विक्रय अपने हाथों में लेने को तैयार रहना चाहिये। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : वायदे के सौदों से सम्बन्धित वाद-विवाद करते समय हमें ऐसे सौदों के तत्व को समझना चाहिए। कुछ खराबियों के कारण यह चीज़ बदनाम अवश्य गई परन्तु इनका वास्तविक उद्देश्य आर्थिक व सामाजिक प्रयोजनों की पूर्ति से था।

हमें यह देखना चाहिए कि स्वस्थ वायदे के सौदे कैसे होते हैं । मान लो एक व्यापारी ६ मास पहले किसी कारखाने का कपड़ा बुक करना चाहता है तो उधर कारखाने वाले भी कपास के मूल्यों के उतार चढ़ाव से सुरक्षित रहना चाहते हैं और इस प्रकार उनका सौदा हो जाता है । परन्तु इन्हें विनियमित करने की आवश्यकता है । मैं श्री नायर के इस प्रस्ताव से कदापि सहमत नहीं कि वायदे के कुछ सौदे करने वाले लोगों को दंड दिया जाय । हर वायदे का सौदा जुआ नहीं होता । यह वैध सौदे हैं ।

इस विधेयक का उद्देश्य वायदे के सौदों के आधिक्य, तथा निर्धारित समय से बाहर सौदेबाजी आदि करने की बुराइयों को दूर करना है । परन्तु हमें क्रमानुसार यह देखना चाहिये कि यह विधेयक अपने उद्देश्य में किस सीमा तक सफल होगा ।

सब से पहले हमें इन सौदों के आधिक्य के प्रश्न पर विचार करना चाहिए । हर वायदे का सौदा वैध होता है । परन्तु फिर इस प्रकार के कानून से इनकी रोकथाम कैसे होगी । या तो आप वायदे के सौदों ही को अवैध करार दे दें अन्यथा आधिक्य की रोक थाम नहीं हो सकती । सीमान्तक व्यापार का असर भी इसकी रोकथाम नहीं कर सकता । जितने बड़े व्यापारी होंगे उतनी सीमा वे छोड़ सकेंगे । इस कारण यह भी इस चीज़ का उचित उपचार नहीं है । जब तक उचित शिक्षा व्यापारियों को प्राप्त नहीं होगी तब तक इनके आधिक्य में कमी नहीं आ सकती ।

इसकी रोकथाम के लिए दूसरा उपाय यह किया जा रहा है कि अंतरीय निर्दिष्ट डिलिवरी करारों की संख्या सीमित की जा रही है । परन्तु इस उपाय से भी अधिक लाभ न होगा । यदि आप नियमों द्वारा यह व्यवस्था कर देंगे कि ऐसे सौदे हस्तांतरित नहीं हो सकेंगे या दो बार से अधिक अंतरित नहीं हो सकेंगे तो लोग ऐसे सौदे अधिक करने लगेंगे ।

इन सौदों की सीमा निर्धारित करने पर भी आप सट्टेबाज़ी की रोकथाम नहीं कर सकते । इसका एक उलटा प्रभाव यह अवश्य हो सकता है कि कतिपय: व्यापारों में कुछ लेन-देन अवश्य रुक जायेगा ।

जहां तक निर्धारित अवधि के बाद किये जाने वाले सौदों पर रोकथाम लगाने का सम्बन्ध है उसका उपचार करने के लिये विधेयक में खंड १०, ११ तथा १२ ख की व्यवस्था की गयी है । परन्तु हमें देखना चाहिए कि इस काम में हमें कहां तक सफलता मिलेगी ।

वस्तुत: अधिक मूल्यों के उतार चढ़ाव के समय व्यापारी नियमित अवधि तक प्रतीक्षा नहीं करते और बाजार बन्द होने के बाद पारस्परिक सौदे कर लेते हैं । यद्यपि कानून की दृष्टि से इन सौदों की कुछ भी मान्यता नहीं है तथापि इस बात की उन्हें परवा भी नहीं । वे आपसी विश्वास के आधार पर काम चला लेते हैं ।

[श्री जगन्नाथराव पीठासीन हुए]

जैसे चोरों में भी कुछ विश्वास होता है उसी प्रकार बाजार के नियम भंग करने वाले इन व्यापारियों में भी आपस का भरोसा होता है । उसी से बाद में भी सौदे चलते हैं । इस कारण इन सौदों की रोकथाम भी कठिन है । जहां तक संस्थाओं के पंजीयन का सम्बन्ध है, मैं इस व्यवस्था का स्वागत करता हूं ।

सरकार आयोग को व्यवहार न्यायालय के अधिकार प्रदान करने का विचार कर रही है । कुछ हद तक यह अनिवार्य है । परन्तु केन्द्रीय सरकार को एक हिदायत अवश्य देनी चाहिए और

[श्री नौशीर भरूचा]

वह यह कि आयोग तभी किसी सदस्य के खाते वगैरा प्राप्त करे जब उसके सामने किसी व्यक्ति ने लिखित शिकायत की हो। जब तक शिकायत न हो तब तक आयोग को ऐसी कार्यवाही न करनी चाहिए।

जहां तक नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड देने का प्रश्न है, सरकार ने बहुत ही न्यूनतम दंड रखा है। वैसे तो इन सामाजिक बुराइयों को दंड की व्यवस्था से भी दूर नहीं किया जा सकता। बम्बई में मद्य-निषेध के बावजूद भी शराब निकलती है। इन बुराइयों का उन्मूलन करने में समय लगेगा। परन्तु यह अवश्य कहा जा सकता है कि यह विधेयक इस दिशा में एक सही कदम है और इससे यद्यपि उद्देश्य की पूर्णोपलब्धि तो न होगी तथापि कुछ सीमा तक फायदा जरूर पहुंचेगा।

†**श्री मुरारका :** मेरा विचार था कि यह विधेयक प्रवर समिति में जायगा और वहां हम अपने सुझाव रखेंगे। परन्तु किन्हीं परिस्थितियों के कारण यह विधेयक वहां नहीं गया। इस कारण हमें यहीं पर अपने विचार रखने होंगे।

मुझ से पहले जो साम्यवादी सदस्य बोले हैं उन्होंने वायदे के सौदों का सिद्धान्ततः खंडन किया परन्तु श्री गुह इनकी ज्यादती पर रोकथाम लगाने के पक्ष में बोले। मैं श्री गुह के विचारों से सहमत हूं।

जहां तक वायदे के सौदों का सम्बन्ध है, यदि इन में वृद्धि होती जाय तो यह जुएबाज़ी का रूप धारण कर लेते हैं परन्तु एक सीमा तक आर्थिक-व्यवस्था के स्वस्थ संचालन के लिये यह आवश्यक भी है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एल्फर्ड मार्शल का मत है :

> "यह देखा गया है कि जो वायदा व्यापारी भविष्य के मूल्यों के उतार चढ़ाव का ठीक तरह से अनुमान लगाकर सौदे करते हैं वे सामूहिक अर्थ-व्यवस्था को लाभ पहुंचाते हैं अर्थात् जिन क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि आवश्यक होती है उनमें वृद्धि होने लगती है और अनावश्यक चीजों की कमी होने लगती है। परन्तु भमि में सट्टेबाज़ी करने वाले लोग अर्थ-व्यवस्था को व्याघात पहुंचाते हैं।
>
> यह ठीक है कि कुछ लोग सट्टेबाज़ी से ही कुछेक दिनों में लखपति बन बैठते हैं और इसी कारण इस प्रकार के सौदों को समाज विरोधी तत्वों से युक्त करके देखा जाता है। परन्तु साधारण कानूनों से इस प्रवृत्ति की रोकथाम नहीं हो सकती। इस दिशा में अर्थ-शास्त्रीय अध्ययन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर की जाने वाली कार्यवाही ही श्रेयस्कर सिद्ध हो सकती है।"

आधुनिक अर्थ-शास्त्री भी वायदे के सौदों की उपयोगिता स्वीकार करते हैं परन्तु इन्हें सीमित करने के पक्ष में हैं।

इस कारण मैं यह बताना चाहता हूं कि वायदा व्यापार वैसे ही कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप स्टाक एक्सचेंजों में जाइए; वहां पर कम्पनियों के निश्चित हिस्सों से कहीं अधिक हिस्सों का लेन देन हो जाता है; यह बुरी चीज नहीं। आखिर मांग तथा संभरण के पारस्परिक संतुलन ही से मूल्य निर्धारित होते हैं। इस कारण वायदा व्यापार विक्रेताओं को माल बेचने के लिये तथा क्रेताओं को माल खरीदने के लिए एक अच्छा ढंग है। हर उद्योग अपनी योजना पहले बनाता है इस कारण "हैजिंग" की क्रिया होती है; "हैजिंग" का अर्थ है वर्तमान क्रय के आधार पर भावी विक्रय करना या भावी क्रय के आधार पर माल बेचना।"

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्रीनगर में तीसरी योजना के दौरान मूल्यों के स्थायित्व की बात कही। मूल्यों का स्थास्यित्व अलग चीज है। और उनको कठोरता से निर्धारित करनाँ दूसरी। वह तो तभी सम्भव है जब आपको मांग तथा उत्लाई की सही स्थिति का ज्ञान हो।

अब हमें यह समझ लेना चाहिये कि "कर्ब ट्रेडिंग" होती क्या चीज है। जो सौदे स्टाक एक्सचेंज बन्द हो जाने के बाद चोरी छिपे किये जाते हैं उसे कर्ब ट्रेडिंग का नाम दिया जाता है। सरकार इसे रोकना चाहती है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे किसी को क्या हानि पहुंच सकती है। यद्यपि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं तथापि मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे अधिक हानि की सम्भावना ही नहीं है।

इस विधेयक के सम्बन्ध में, मैं माननीय मन्त्री का ध्यान एक विशेष पहलू की ओर दिलाना चाहूंगा। मेरा आशय खण्ड १२ख से है। इसके अन्तर्गत आयोग को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह संस्था के किसी भी सदस्य को उसकी खराब कार्यवाही के लिये निलम्बित कर सकेगा। ऐसी कार्यवाही यद्यपि उचित है परन्तु इस जगह पर यह व्यवस्था होनी चाहिये कि आयोग कार्यवाही करने से पूर्व संस्था के निर्वाचित सदस्यों से भी इस सम्बन्ध में राय ले ले। यह संरक्षण अधिक अच्छा रहेगा।

दूसरे मैं खण्ड १७ तथा १८ के बारे में भी कुछ प्रार्थना करना चाहता हूं। इनमें नियम उल्लंघन करने वाले लोगों के लिये दण्ड देने की व्यवस्था है। यह ठीक है कि उन लोगों को दण्ड मिलना चाहिये परन्तु इस बारे में न्यायालयों को बाध्य न करना चाहिये। व्यवस्था यह होने जा रही है कि पहले अपराध के लिये जो दण्ड मिले सो मिले ही परन्तु दूसरी बार अपराध करने वाले को कैद की सजा आवश्यक रूप से दी जाय। मैं यह कहता हूं कि आप दण्ड ज्यादा रख दीजिये। परन्तु दण्ड देने या न देने का स्वविवेक न्यायालयों पर ही छोड़ दिया जाये। यदि सरकार एक न्यायालय के निर्णय को या उस द्वारा दिये गये दण्ड को अपर्याप्त समझे तो वह दूसरे न्यायालय में अपील अवश्य कर सकती है। अतः मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बात पर अवश्य ध्यान देगी।

इस सम्बन्ध में वायदे के सौदों सम्बन्धी आयोग ने भी अपने विचार प्रकट किये हैं। उन्होंने कहा है कि :

> "कलकत्ता में पटसन के तैयार माल के ऊपर सट्टेबाजी चली और आयोग ने उसकी जांच की। तदनुसार पुलिस ने मामले का अनुसन्धान किया और ४ मुकदमे दज किये जिनमें १६० व्यक्ति फंसे। यद्यपि अभी ये मुकदमे न्यायालयों में चल रहे हैं तथापि कहना न होगा कि इस प्रकार के अवैध ढंग अपनाने वालों पर इन चीजों का बहुत प्रभाव हुआ है।"

व्यापारिक अपराधों में स्पष्ट कार्यवाही का अच्छा असर पड़ता है परन्तु हमें कानून को इतना कठोर कभी न बनाना चाहिये कि न्यायालय का स्वविवेक भी हम छीन लें।

मैं मानता हूं कि अर्थ-व्यवस्था को हानि पहुंचाने की कार्यवाही घोर पाप के समान है ; परन्तु दंड देने का स्वविवेक न्यायालयों के पास होना चाहिये। न्यायालय अपराधियों को दंड देंगे। मैं अपराधियों का पक्ष नहीं ले रहा हूं।

अधिकांश व्यापारिक अपराध ढील के कारण भी हो जाते हैं। इसलिये उनके लिये कठोर दंड की व्यवस्था करना ज्यादा उचित प्रतीत नहीं होता। दूसरी बार के अपराध के लिये यहां पर स्पष्ट व्यवस्था है कि कैद की सज़ा इतनी अवधि से कदापि कम न होगी। यह ज्यादती के ही समान है। अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इन सुझावों पर अवश्य विचार करेंगे।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मैं इस विषय में लगभग उसी आधार पर बोलूंगा जिस पर श्री नायर बोले हैं। वस्तुतः अब हमारे देश का समूचा ढांचा बदल गया है और हमें स्थान स्थान पर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में भले ही वायदे के सौदों का कुछ उपयोग होता होगा परन्तु यहां पर उत्पादन ठीक तरह से व्यवस्थित न होने के कारण यह चीज़ लाभदायक नहीं है।

मैंने लेखापाल की हैसियत से काम किया है और मैं जानता हूं कि सट्टेबाजी में यहां पर जो लोग आज करोड़पति हैं कल उनके पास एक धेला नहीं होता। बम्बई के एक सेठजी जो पहले कभी लखपति थे आज किसी होटल में इडली बेचते हैं। व्यवस्थित बाजारों में लोगों की ऐसी गत नहीं बनती।

वायदे के सौदों की आज्ञा दे कर आप मूल्यों को कभी एक स्तर पर नहीं रख सकते। मूल्यों का निर्धारण आज मांग तथा संभरण के आधार पर नहीं होता इसे और बड़ी चीजें नियंत्रित करती हैं। यह सिद्धान्त अब पुराना हो चुका है। इसलिये जहां हम योजनाबद्ध रीति से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं वहां हमें इन चीजों की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

मैं अब आप के सामने वह निष्कर्ष रखना चाहता हूं जो वायदा बाजार आयोग ने निकाले हैं। उन के अनुसार वायदे के अवैध सौदों पर नियंत्रण करने की भारी आवश्यकता है। उन्हों ने आगे चल कर बताया है कि यद्यपि बम्बई में रुई के सौदों की मन्दी थी तब भी ये चलते रहे। चने में भी इसी प्रकार अवैध सौदे चलते रहे। उनके पास ऐसी चोरी करने के ढंग हैं। वे चनों को मटरों के रूप में दर्ज कर के ऐसी कार्यवाही कर लेते हैं।

श्री मुरारका ने कहा कि ये चीजें इतनी समाज विरोधी नहीं हैं परन्तु आप को प्रतिवेदन से ज्ञात हो जायेगा कि इन की वास्तविकता क्या है। इस वर्ष प्रतिवेदन के अनुसार गेहूं और चने में बहुत ही अधिक सट्टबाज़ी चली है। बड़े अच्छे कहे जाने वालों ने भी ऐसा काम किया है। इसी प्रकार कर्ब ट्रेडिंग भी समाज के लिये अत्यधिक हानिकारक है।

सट्टेबाजी से एक दम सारे देश की अर्थ-व्यवस्था में उथलपुथल मच जाती है। दुनिया में कहीं पर कोई घटना घटे उस का असर हमारे यहां अवश्य होता है और यहां लाखों छोटे लोगों पर इस का प्रभाव पड़ता है।

हमारे क्षेत्र में काली मिर्च का व्यापार होता है। आप को ज्ञात ही होगा कि उन पर केवल एक ही यूरोपीय फर्म का अधिकार है। वही फर्म चाहे जो करा सकती है। ये लोग फसल के समय दामों को सस्ता कर देते हैं जिस से उत्पादकों को कुछ नहीं मिलता और सारा लाभ अपनी जेबों में डाल लेते हैं। इस प्रकार सट्टेबाज़ का आश्रय ले कर भारत का मध्य व्यक्ति सारा धन हड़प ले जाता है। उत्पादकों को कुछ नहीं मिलता।

मैं ने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं जिन का आशय कठोर दंडों की व्यवस्था करना है ताकि ऐसी गतिविधियां रोक दी जायें मुझे आशा है सरकार उन पर ध्यान देगी।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : हमें इस दिशा में संशोधन विधेयकों से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि जैसे जैसे कानूनी त्रुटियों का हमें पता चलता जायेगा वैसे वैसे हम उन की पूर्ति करते जायेंगे। श्री मुरारका इस विधेयक में व्यवस्थित दंड सम्बन्धी उपबन्धों से तनिक चिन्तित थे। परन्तु ऐसी कोई बात नहीं है। दंड ही के भय से समाजविरोधी कार्य बन्द किये जा सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयोग में चौथे सदस्य को शामिल करने से ५०,००० रुपये का व्यय होगा। परन्तु ज्ञापन में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कर्मचारियों के ऊपर कितना व्यय होगा।

जहां तक सौदों को हस्तांतरित करने का प्रश्न है उस पर कुछ निषेध लगाने का प्रस्ताव है। परन्तु इस से पूर्व सभा को इस बात पर भी विचार कर लेना चाहिये कि क्या उस से लोगों के मूलभूत अधिकारों का हनन तो न होगा।

मुझे प्रसन्नता है कि इस अधिनियम द्वारा आयोग को व्यवहार न्यायालय के अधिकार दिये जा रहे हैं। इस से सारे भारतवर्ष में कानून एकरूपता से लागू हो सकेगा। परन्तु व्यवहार संहिता के अनुसार दावा वहीं पर दायर होना चाहिये जहां प्रतिवादी रहता हो। इस व्यवस्था के अनुसार दावा वहां पर दायर होगा जहां पर आयोग अपना दफ्तर खोलेगा। वहीं वह साक्ष्य लेगा और यदि उस की सम्मति में प्रतिवादी प्रत्यक्षतः अपराधी प्रमाणित हुआ तो उस पर दंड विधि के अनुसार उस दंडाधिकारी की अदालत में मुकदमा चलाया जायेगा जहां पर उस ने अपराध किया है। जब हम इस सिद्धान्त को इस सम्बन्ध में लागू कर रहे हैं तो निश्चय ही हमें यही चीज़ व्यवहार संहिता के संबंध में भी लागू करनी चाहिये। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ताकि वह यह सोचे कि क्या इस दिशा में कुछ हो सकता है या नहीं।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार आयोग को दो हैसियतों से काम करना पड़ेगा; एक तो न्यायाधीश के रूप में और दूसरे अभियोक्तय के रूप में। यह चीज पभी गलत है। जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रत्यक्ष मामला स्पष्ट हो जाये तो आयोग को मुकदमा दंडाधिकारी के यहां भेजना चाहिये।

मैं एक चीज़ नये अध्याय ३क के बारे में भी कहना चाहता हूं। खंड १४ के उपखंड (३) (ख) के अनुसार वायदे का व्यापार करने की अनुमति किसी संस्था को आवेदन करने मात्र ही से प्राप्त हो जायेगी। उसे अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। किन्तु खंड १४ख में यह व्यवस्था कि आवेदन प्राप्त होने पर आयोग सारी स्थिति की जांच करेगा और फिर अनुमति का प्रमाणपत्र देगा या इस से इन्कार भी कर देगा। परन्तु ये दोनों उपबन्ध एक दूसरे के विरोधी है। अतः सरकार को विधेयक में एकरूपता रखनी चाहिये। इस के प्रारूप को तदनुसार समान बनाया जाये।

जहां तक सट्टेबाजी के सामान्य पहलू का सम्बन्ध है उस के बारे में हम इस कानून द्वारा नियंत्रण लगाने जा रहे हैं। परन्तु अपने अनुभव के आधार पर हम जिन सुराखों को भरते हैं, वहां पर लोग दूसरे तैयार कर लेते हैं। अतः भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : हमें इस समय पहले नियामक अधिनियम के अनुभवों के आधार पर सारी स्थिति पर विचार करना चाहिये था। परन्तु इस समय हम ऐसा नहीं कर पा रहे। खैर जहां तक वायदा व्यापार का सम्बन्ध है वह तो भारत में चलेगा ही क्योंकि हम ने एक मिली जुली आर्थिक व्यवस्था अपनाई है। परन्तु हमें यह देखना है कि उस में सट्टेबाजी का अंश कहां तक रहता है। सट्टेबाजी की ज्यादती ही हानिकारक है। उसी की रोकथाम करना हितकर है। परन्तु इस कानून से सट्टेबाज़ी रुक न सकेगी। उस के लिये हमें अधिक सूक्ष्म तरीके अपनाने होंगे।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है यह संतोषजनक नहीं है। इस के लिये हमे पहले का इतिहास देखना होगा। सब से पहले १९५० में इस प्रकार की व्यवस्था करने वाले विधेयक का प्रारूप तैयार हुआ। फिर उसे वाणिज्य मंडलों आदि के पास उन की राय जानने के लिये भेजा

---

†मूल अंग्रेजी में

गया । इसी तरह अनेक प्रक्रियाओं के उपरान्त १९५२ में कहीं जा कर यह विधेयक पारित हुआ । अब उस बात को गुजरे आठ बरस हो चुके हैं । ८ वर्ष में अनेक प्रकार के परिवर्तन, अनेक हलचलें हो चुकी हैं । अतः इस विधेयक को लाते समय हमें सारी स्थिति पर विश्लेषणात्मक विचार कर लेना चाहिये था । परन्तु खेद की बात है कि हम ऐसा नहीं कर सके ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधेयक को इस ढंग से सभा में लाने की अपेक्षा प्रवर समिति को भी सौंपा जाना चाहिये था ताकि वहाँ पर विभिन्न हितों को अपनी अपनी बात ठीक ढंग से रखने का अवसर मिल जाता । लोकतंत्रात्मक प्रणाली में सारी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये ।

इस विधेयक से कुछ उद्देश्यों की पूर्ति अभिप्रेत है । परन्तु कह नहीं सकते कि इस तरीके से कोई चीज़ पूरी होगी या नहीं । दंड आदि की व्यवस्था कुछ सीमा तक तो सट्टेबाजों को अपने कुकृत्यों से रोकेगी परन्तु इस का वास्तविक और स्थायी उपचार देश का सामाजिक वातावरण बदलने से ही हो सकता है ।

मुझे इस बात से काफी प्रसन्नता का अनुभव हुआ है कि आयोग को और अधिकार दिये जा रहे हैं । परन्तु मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि इस से आयोग को काम करते समय हिचकिचाना नहीं चाहिये बल्कि भरोसे से काम करना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कल भाषण जारी रखें । अब हम दूसरा विधेयक लेंगे ।

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारतीय डाकघर अधिनियम, १८९८, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

चूंकि अब हम मीट्रिक तोल प्रणाली को अपना रहे हैं इस कारण इस संशोधन की आवश्यकता पड़ी है । हम ने तोलों और ग्रामों का अनुपात निकाला है । एक तोला वैसे तो ११.६६ ग्राम के बराबर होता है पर हम १० ग्राम का इसे कर रहे हैं । इस से कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा ।

वस्तुतः पांच नये पैसे के खत से भारत सरकार को काफी हानि होती है । वर्ष भर में शायद यह हानि २ करोड़ रुपये तक की हो जाती है । किन्तु तोलों को ग्रामों में इस प्रकार परिवर्तित करने से हमें आशा है कि हम ४० लाख रुपये का लाभ प्राप्त कर सकेंगे । इसी कारण से यह कानून पेश किया गया है ।

चूंकि यह विधेयक साधारण है इस लिए इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : जब भी सरकार इस प्रकार का परिवर्तन करती है तब ऐसी रीति से करती है कि जिससे सदा उसे ही लाभ हो । जैसा मंत्री महोदय ने कहा, एक तोला ११.६६ ग्राम का होता है जब कि वह उसे १० ग्राम के बराबर कर रहे हैं । इसका मतलब है कि लोगों को ज्यादा देना होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० प० सुब्बारायन :** यदि माननीय सदस्य चार पत्रों पर भी चिट्ठी लिखें तब भी उनका वज़न १० ग्राम नहीं हो पायेगा। अत : सरकार को कोई विशेष लाभ न होगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** हम जानते हैं कि सरकार को पोस्टकार्डों के विक्रय में दो करोड़ रुपये की हानि सहन करनी पड़ती है। परन्तु यह लोकोपयोगी सेवा है और इसे ज्यादा मंहगा नहीं किया जा सकता। वास्तव में यह हानि सरकार को इस कारण रहती है कि व्यापारी इन कार्डों को खरीद कर अपना नामादि छपवा कर इन्हें व्यापारिक कामों में प्रयोग करते हैं। यदि सरकार यह बंद करा दे और व्यापारियों को अपने पत्र छपवा कर पांच पैसे के टिकट लगवाने पड़ें तो यह हानि न होगी। अत: सरकार को ऐसी ही कार्यवाही करनी चाहिए।

†**डा० प० सुब्बरायन :** मुझे श्री राव के तर्कों का औचित्य जंचा नहीं। हम पत्रों को जनता के लिए प्रकाशित कराते हैं। इसे निर्धन जनता भी आम प्रयोग में लाती है। इसका प्रयोग न केवल व्यापारी ही करते हैं अपितु साधारण जनता भी करती है। इसलिए इस तरह माननीय सदस्य यह भी कह सकते हैं कि एक पत्र पर इतनी पंक्तियों से अधिक लाइनें न लिखी जायें। इससे शायद व्यापारी लोग पत्रों का प्रयोग बंद कर दें। क्योंकि उन्हें तो काफी कुछ लिखना पड़ता है। किन्तु यह कहना कि वे अपने कार्ड छपवायें, उचित नहीं, क्योंकि पोस्टकार्ड सारी ही जनता के लिए हैं। जब हम उन्हें बेचने के लिए डाकखानों में भेजते हैं तो कोई भी व्यक्ति उन्हें खरीद सकता है। उसे उनके प्रयोग का भी हक है। पोस्टकार्ड हम गरीब जनता की सुविधा के लिए छपवाते हैं। यदि गरीबों को अपने पत्र खरीद कर उन पर पांच नये पैसे के टिकट लगाने पड़े तो बेचारों को ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। उन पर काफी भार पड़ जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि भारतीय डाकघर अधिनियम, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय :** कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि :

"**खंड १ तथा २, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।**"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १ तथा २, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**डा० प० सुब्बारायन :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाय।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में खेलकूद के बारे में प्रस्ताव

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत में खेलों की वर्तमान स्थिति, विशेषकर ओलम्पिक में हमारी हाकी की सर्वोपरिता के न रहने पर विचार किया जाय ।"

इस प्रस्ताव के संबंध में बोलते हुए मैं सर्वप्रथम पाकिस्तान के क्रिकेट के खिलाड़ियों का स्वागत करूंगा जो आजकल हमारे यहां मैच खेलने आए हुए हैं । फजल महमूद और हनीफ मुहम्मद ने तो क्रिकेट के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान बना लिया है और मैं समझता हूं कि इस संबंध में हम पाकिस्तान से कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं ।

इस वर्ष रोम में, जहां ओलम्पिक खेल हुए थे, हमारी हाकी की ३० वर्षों से चली आ रही सर्वोपरिता खत्म हो गई है । १९२८ में जब हाकी को ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित किया गया था तब हमारी टीम के कैप्टेन श्री जयपाल सिंह थे । उन्होंने संसद सदस्य होने पर भी देश में खेलों के विकास में बहुत योग दिया है । आजकल वह ओलम्पिक खेलों के संबंध में जांच कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि वह इस कार्य को दृढ़ता के साथ करें । वास्तव में हमारे खेलों के प्रशासन में बहुत गड़बड़ है जो इस जांच के संबंध में प्रकाश में आएगी । मेलबोर्न और टोकियो के खेलों में ही यह संकेत मिल गया था कि हम हाकी की सर्वोपरिता अधिक समय तक कायम नहीं रख सकेंगे । जयपाल और ध्यान चन्द के दिनो में हमारे गोलों का रिकार्ड कितना शानदार रहा करता था और अब हमें आस्ट्रेलिया पर विजय पाने के लिए भी अतिरिक्त समय की आवश्यकता पड़ गई । अत : इस संबंध में बड़ी गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए ।

मेरा विचार है कि टीम का चुनाव ठीक नहीं रहा है । क्योंकि वरिष्ठता पर जोर दिया गया है । मुझे ज्ञात हुआ है कि ध्यान चन्द को जब चुना गया था तो उसे खेलते हुए बहुत समय नहीं हुआ था । मैं नहीं जानता कि नायनकन्नू जैसे कार्यकर्त्ता के रहते हुए कृष्ण लाल को टीम का मैनेजर कैसे बनाया गया ?

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हाकी की टीम के संबंध में बालकृष्ण ग्रेवाल का मामला बड़ा मनोरंजक है । पहले उसे चुन लिया परन्तु अन्तिम समय में उसे छोड़ दिया गया । वह आपने खर्चे से रोम गया और तब उसे ३००० मीटर स्टीपिल चेज़ में सम्मिलित कर लिया गया जिसके संबंध में उसकी योग्यता किसी को भी नहीं मालूम थी । परन्तु ऐसा मालूम होता है कि उसने खेल में भाग नहीं लिया । यह ठीक है कि ओलम्पिक जैसे खेलों में जीत का उतना महत्व नहीं है जितना खेल के कौशल का है । परन्तु यदि प्रबन्ध ठीक नहीं है तो उसके संबंध में गंभीर कार्यवाही की आवश्यकता है । कहा जाता है कि भारतीय खेल परिषद् ने अन्त:कालीन प्रतिवेदन भेजने तक की शिष्टता नहीं निभाई । संभवत : परिषद् के निरूपक आमोद प्रमोद में व्यस्त रहे इसीलिए बड़ा सूक्ष्म सा प्रतिवेदन तैयार किया जा सका । यही कारण है कि हमें अभी तक यह नहीं मालूम हो सका कि भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा क्यों नहीं रहा ।

जहां तक भारतीय दल के प्रधान श्री अश्विनी कुमार का संबंध है इस प्रकार के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि उन्होंने रोम के लिए रवाना होने के पूर्व ही त्याग पत्र दे दिया था । पता नहीं उसे स्वीकार क्यों नहीं किया गया ? हम यह भी देख चुके हैं कि भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन

---

†मूल अंग्रेजी में

के प्रधान राजा भालेन्द्र सिंह ने ओलम्पिक परिषद् के नियमों का उल्लंघन करके अपने भाई महाराजा पटियाला को रोम जाने और भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन के प्रधान के लिए रक्षित स्थान ग्रहण करने के लिए नामांकित किया। ऐसे बड़े लोगों के रोम जाने के सारा काम गड़बड़ हो गया और खिलाड़ियों की समुचित देखभाल नहीं की जा सकी?

हम यह जानना चाहते हैं कि हाकी के संख्या से अधिक खिलाड़ी क्यों ले जाए गये; बालकृष्ण ग्रेवाल जैसे व्यक्तियों को ऐसे खेलों में क्यो लिया गया जिनके लिए वे वास्तव में नहीं चुने गए थे और फुटबाल की टीम को योरपीय देशों के निमंत्रण स्वीकार करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? भारत सरकार ने फुटबाल की टीम के रास्ते में रुकावटें डालीं।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : इस संबंध में खेल परिषद् जो एक प्रतिनिधि निकाय है, भारत सरकार को परामर्श देती है। श्री जयपाल सिंह भी परिषद् के सदस्य हैं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : समाचार पत्रों में अभी तक जो कुछ प्रकाशित हुआ है वह खेल प्रशासन के विरुद्ध प्राभियोजन के समान है। मेरा उद्देश्य कीचड़ उछालना नहीं है वरन् सरकार को यह बताना है कि इस संबंध में यथाशीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए।

खेल संबंधी टिप्पणियों में यह कहा गया है कि खिलाड़ियों का चुनाव ईमानदारी के साथ नहीं किया गया था। यही कारण है कि मिल्खा सिंह को छोड़ कर अन्य सब खिलाड़ी पहले ही चक्कर में खत्म हो गए। कहा गया है कि खिलाड़ियों के जो रिकार्ड पेश किए गए थे वे गलत थे और बहुत से लोगों को केवल इसलिए भर लिया गया कि वे रोम जा सकें। उदाहरण के लिए कुश्ती के दल में केवल चार सदस्य थे परन्तु उस के साथ छै अधिकारी थे। यह भी कहा गया है कि हमारे पहलवानों का वजन अधिक निकला और वे अयोग्य घोषित कर दिए गए।

इसी प्रकार वेट लिफ्टिंग के संबंध में यह प्रकाशित हुआ कि जो आदमी भेजा गया था उसकी समुचित सहायता नहीं की गई। उस के पास उस प्रकार के जूते भी नहीं थे जो ओलम्पिक खेलों में पहिने जाते हैं। उसको पर्याप्त पैसा भी नही दिया गया था। यही नहीं उस के साथ जो प्रशिक्षक और मैनेजर थे उन्होंने निर्णायक के गलत निर्णय के विरुद्ध अपील करने में भी उसकी सहायता नहीं की। यह बड़ी दयनीय स्थिति है।

जहां तक मिल्खा सिंह का संबंध है वह अपने कार्य के लिए हमारी बधाई का पात्र है। परन्तु यदि प्रबन्ध अच्छा होता तो मिल्खा सिंह का कार्य और भी अच्छा हो सकता था और वह कोई न कोई पदक अवश्य जीत लेता। हम आशा करते हैं कि भविष्य में वह अधिक सफलता प्राप्त करेगा।

मुझे ज्ञात हुआ है कि खेल परिषद् ने एक पुनरीक्षण समिति नियुक्त की है जिस के प्रभारी श्री जयपाल सिंह हैं। मैं आशा करता हूं कि वे अपने कार्य में सफल होंगे परन्तु मेरा विचार है कि इस मामले में एक अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण अधिक सहायक सिद्ध होता।

जहां तक क्रिकेट का संबंध है कि रनजी और उनके उत्तराधिकारियों ने हमारे गौरव में चार चांद लगा दिए हैं। परन्तु क्रिकेट का जो नियंत्रण बोर्ड है उस में बहुत अव्यवस्था है। फरवरी, १९५९ में सभा में इस संबंध में चर्चा हो चुकी है जिसका श्रीगणेश मेरी अनुपस्थिति में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

श्री त० ब० विट्ठलराव ने किया था। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि दलीपसिंह जी, मर्चेन्ट अथवा अमरनाथ के साथ बोर्ड ने जैसा व्यवहार किया है वह अत्यन्त निन्दनीय है।

बोर्ड के कार्यों के संबंध में सभा में अनेक बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जांच समिति द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है और क्रिकेट का खेल दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। इस संबंध में बहुत सी बातें दिमाग में घूम जाती हैं जैसे डिमेलो का नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता से हटाया जाना और मनकद का खेल के दौरान इंग्लैंड से वापस बुला लिया जाना। (**अन्तर्बाधायें**)

हाल में मैं ने सामाचार पत्रों में यह भी पढ़ा है कि बोर्ड ने गत वर्ष इंग्लैंड भेजी गई टीम के चार नामी खिलाड़ियों को चेतावनी देकर उनकी आचरण संबंधी शिकायत से भारमुक्त कर दिया है। मेरा निवेदन है कि यदि उन्होंने अनुशासन-हीनता का परिचय दिया था तो उन के विरुद्ध कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिये थी परन्तु उस के लिए जो समय चुना गया वह अत्यन्त अनुपयुक्त है क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलने जा रहे हैं। पता नहीं बोर्ड किस प्रकार सोचता है और कार्य करता है।

ओलम्पिक खेलों में दौड़ भाग के खेलों की ही प्रधानता है। मेरा निवेदन है कि इन खेलों पर श्वेत जातियों का ही एकाधिकार नहीं है। हमारे देश के लोगों का शारीरिक गठन इस प्रकार का है कि यदि उन्हें इन खेलों में प्रशिक्षण दिया जाय तो वे बहुत सफल हो सकते हैं। खेद है कि यदि हमारे देश में समुचित सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। मुझे बताया गया है कि माउण्ट आबू में पोल वाल्ट और हाई जम्प के लिए रेत के बजाए भूसा डाला गया था। इस के अतिरिक्त हमारे देश में खेलों का आयोजन भी ठीक नहीं होता है। राज्यों के खेल और राष्ट्रीय खेल के बीच बहुत अन्तर नहीं होना चाहिए।

अभी तक हमारे यहां ऐसी कोई योजना नहीं है कि छोटी आयु से ही खेल कूद में प्रशिक्षण दिया जाय। मैं ने कहीं पढ़ा है कि पंजाब सरकार स्कूलों में खेल कूद को अनिवार्य विषय बनाने जा रही है। मेरा निवेदन है कि इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अनुशासन योजना जैसी चीजों को उपयोग में लाया जाना चाहिए।

जहां तक खेल संबंधी सुविधाओं का प्रश्न है हमारे देश में उनकी बहुत कमी है। मैं ने गत वर्ष आस्ट्रेलिया में देखा था कि होबर्ट जैसे छोटे से नगर में भी तैरने के तालाब और खेल कूद के मैदान बने हुए थे जो ओलम्पिक प्रतिमानों के अनुसार हैं जब कि हमारे देश में कलकत्ता जैसे बड़े नगर में भी खेल कूद की समस्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। मैं ने अभी हाल में यह पढ़ा है कि रूस ने इस संबंध में कैसे प्रगति की है। वहां खेल कूद को सब प्रकार से प्रोत्साहन दिए जाते हैं और देश का सब से बड़ा सम्मान "आर्डर आफ लेनिन" सब से अच्छे खिलाड़ियों को ही प्रदान किया जाता है। परन्तु हमारे देश में नायडू और ध्यान चन्द को पद्म श्री की उपाधि से विभषित किया गया जब कि टाटा और बिड़ला को पद्म विभूषण की उपाधियां दी गई।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति; ये उपाधियां राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती हैं इसलिए उनकी आलोचना हम नहीं कर सकते हैं।

†**श्री ो० ना० मुकर्जी** : मैं किसी प्रकार का आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मेरा तात्पर्य केवल इतना ही है कि खेल कूद में देश का नाम ऊंचा करने वालों को भरसक प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

कुछ लोगों ने खेलों के लिए एक पृथक मंत्रालय का सुझाव दिया है। मैं देख चुका हूं कि मंत्रालय किस प्रकार कार्य करते हैं इसलिए मैं इस के पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि लोगों को अच्छा भोजन मिले जिस से उन के शरीर स्वस्थ बनें जो खेल की प्रथम आवश्यकता है। अतः एक वास्तविक राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया जाना चाहिए।

परन्तु ऊपर जो कुछ कहा गया है वह एक पहलू है। दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में हमें सफलता भी मिली है। तैराकी के क्षेत्र में मिहिर सेन और विमल चन्द्र ने ही नहीं वरन् भारती साहा जैसी औरतों ने भी देश का नाम उज्ज्वल किया है। इसी प्रकार पर्वतारोहण के क्षेत्र में हमने बहुत कार्य किया है। तेनसिंह, मेजर जायल और मेजर जनरल ज्ञानसिंह के नाम सदा याद रखे जायेंगे। कुछ गैर-सरकारी अभियान भी हुए हैं।

अन्त में मैं, यही कहूंगा कि ओलम्पिक खेलों के संबंध में सरकार की जो गलतियां सामने आई हैं उनकी जांच आवश्यक है और सरकार को एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और उपयुक्त कदम उठायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : मुझे खुशी है कि श्री मुकर्जी ने यह प्रस्ताव यहां रखा। परन्तु मैं यह आगाह कर देना चाहता हूं कि टीमों के चुनाव व उन के कार्य की संसद् में चर्चा करना खतरे से खाली नहीं है। हां, यह ठीक है कि खेल कूद के लिए अधिक आवण्टन किया जाय। प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय और छोटी आयु में ही यह कार्य शुरू कर दिया जाय। श्री मुकर्जी ने खेल के मैदानों के लिए भी मांग रखी। मैं समझता हूं कि इस के लिए राज्यों को काफी धन दिया गया है। जैसा कि श्री मुकर्जी जानते हैं, अंग्रेजी के पब्लिक स्कूलों ने बहुत से क्रिकेट और रगबी के खिलाड़ी पैदा किए हैं। मैं जार्ज एबेल को जानता था जो विद्वान होने के साथ-साथ अच्छे खिलाड़ी भी थे।

श्री मुकर्जी ने महान खिलाड़ी रनजी का निर्देश किया। वेन्टवर्थ ने रनजी के संबंध में पूछे जाने पर नेवाइल कार्डस को यह उत्तर दिया था कि उन्होंने क्रिकेट खेलने का नया ढंग निकाला था। इस के अतिरिक्त और भी खिलाड़ी हुए हैं तथा मेरा विचार है कि नियंत्रण बोर्ड का कार्य इतना बुरा नहीं रहा है। मैं स्वयं आठ वर्ष तक बोर्ड का प्रधान रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि उस समय जो नीति निर्धारित की गई थी वही नीति बोर्ड ने जारी रखी है!

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : आपने क्या कार्य किया था?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प० सुब्बरायण** : मैं ने जो कुछ किया वह पुस्तक में दिया हुआ है । जब मैं ने बोर्ड का कार्य संभाला था तो वह १२५० पौंड का कर्जदार था और आठ वर्ष के अन्त में २,५०,००० रुपए उस के हिसाब में हो गए थे जब मैं ने उसे छोड़ा था । यदि इसको भी माननीय सदस्य कुछ नहीं समझते हैं तो कार्य के सम्बन्ध में उनकी मान्यता भिन्न होगी ।

वास्तव में मैं समझता हूं कि भारत सरकार अपना भरसक प्रयत्न कर रही है क्योंकि मैं खेल परिषद् का प्रधान रहा हूं और वह उस कमी को पूरा करने का प्रयत्न कर रही है । जहां तक महाराजा पटियाला के निर्देश का सम्बन्ध है, पटियाला राजघराना खेल कूद का महान संरक्षक रहा है जिसने हर्स्ट और रोड्स जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी तैयार किए हैं । इसलिए यह सोचना बेकार है कि महाराजा पटियाला के रोम में प्रतिष्ठित आसन पर बैठ जाने से कोई गलती हुई है । मैं समझता हूं कि उसमें कोई गलती नहीं है और वह वहां इस लिए बैठे थे कि हमारे खिलाड़ियों का खेल भली प्रकार देख सकें । महाराजा पटियाला के पक्ष में मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।

कुछ और लोग भी हैं जैसे महाराजा नवानगर जो वेंसले को लाए और मनकद का प्रशिक्षण वास्तव में उसी के हाथों में हुआ है । आज भी वेंसले मद्रास में प्रशिक्षण दे रहा है ।

विभिन्न खेल संगठन खेलों की प्रगति के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । भारत सरकार भी इस रिक्तता को भरने का प्रयत्न कर रही है । अभी शुरूआत ही हुई हैं । मुझे विश्वास है कि श्री मुकर्जी ने जो आलोचना की है उस पर सरकार ध्यान देगी और खेलों के लिए जो कुछ भी संभव होगा वह करेगी ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : मैं सर्व प्रथम महाराजा पटियाला तथा अन्य नरेशों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूं जिन्होंने खेलों की उन्नति के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया है । यह कहना गलत है कि वे राजा होने के कारण रोम में प्रतिष्ठित स्थानों पर बैठे थे, वास्तव में वे खिलाड़ी और खेलों में रुचि रखने वाले होने के कारण ही वहां बैठे थे ।

हमें खेलों के सम्बन्ध में अपने प्रयत्नों के बारे में केवल इस दृष्टि से विचार नहीं करना चाहिये कि ओलम्पिक खेलों में हमें क्या सफलता मिली है । वास्तव में हारजीत का उतना महत्व नहीं है जितना कि खेल की भावना का है । हमें खेल कूद की भावना उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए । इस सम्बन्ध में जो कमियां हैं उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं ।

पहली चीज तो यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि खेलों का देश के जीवन और स्वास्थ्य में क्या महत्व है । हमारे देश में खेलों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है । जापान में विद्यार्थियों का खेलों में प्रमुख स्थान है । हमारे यहां ऐसा नहीं है । मैं आकड़ों में समय खराब नहीं करना चाहती परन्तु यह सही है कि हमारे विश्वविद्यालयों में खेलों पर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता है जोकि अत्यन्त आवश्यक है । इस सम्बन्ध में हमारे सामने पैसे की कमी की बहुत बड़ी कठिनाई है और यहां सरकार हमारी सहायता कर सकती है ।

खेलकूद सम्बन्धी तदर्थ जांच समिति के प्रतिवेदन का तीसरा अध्याय "अन्य खेलों" के सम्बन्ध में है । अन्य खेलों में बन्दूक चलाना, बिलियर्ड, तैरना, आदि सम्मिलित है । बिलियर्ड के सम्बन्ध में यह कठिनाई अनुभव की गई है कि जब मेज मंगाने के लिए विदेशी

†मूल अंग्रेजी में

मुद्रा मांगी जाती है तो उस में बहुत विलम्ब से मंजूरी दी जाती है। इस से अस्वस्थ वातावरण उत्पन्न होता है। इसी प्रकार तैराकी के सम्बन्ध में लीला बनर्जी इसलिए विदेश नहीं जा सकीं कि उन्हें पैसा नहीं मिल सका। सरकार को इस प्रकार की बातों को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए।

जहां तक पोलो का सम्बन्ध है वह हमारा प्राचीन खेल है और राजाओं के खत्म हो जाने से उसे नहीं खत्म होने दिया जा सकता। यह खेल हमारे लिए बहुत उपयुक्त है। इसलिए सरकार को अच्छे घोड़े प्राप्त करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए और जो लोग ये घोड़े रखते हैं उनकी सहायता करनी चाहिए।

धनुर्विद्या में हमारा देश सदा अग्रणी रहा है। आदिवासी इसमें विशेष रूप से कुशल हैं। इस सम्बन्ध में हम संसार को कुछ सिखा सकते हैं। फेंसिग का खेल भी बहुत अच्छा है। हमारे यहां देसी ढंग प्रचलित है और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिमान प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरणों से युक्त प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने होंगे।

अन्त में बन्दूक की निशानेबाजी का खेल है। निशानेबाजी का मतलब यह नहीं है कि हम अन्धा धुन्ध गोली चलायें और जंगली जानवरों को खत्म कर दें। इसका एक कला के रूप में विनियमन किया जाना चाहिए। हमारे देश में जो राइफल क्लब है उनको सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त होना चाहिए ताकि यह कार्य भली प्रकार चलाया जा सके।

हमारे यहां स्टेडियमों की भी बहुत कमी है जैसा कि श्री मुकर्जी ने कहा था। कुछ स्टेडियम ऐसे स्थानों में बनाए गए हैं जहां खेल ही नहीं होते हैं। यह वास्तव में धन की बरबादी है। सरकार को यह देखना चाहिए कि जो धन दिया गया है उसे भली प्रकार काम में लाया जाय। स्कूलों तथा कालेजो में खेल के मैदान अवश्य होने चाहिए। इसके लिए सिनेमा टिकटों पर कुछ कर लगाया जा सकता है जिससे धन मिल सके।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची–पश्चिम––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं समझता हूं कि यदि सभा ने खेलों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की होती तो ज्यादा अच्छा होता। मैं डा० सुब्बरायन से भी इस बात में असहमत हूं कि हाउस आफ कामन्स में इन चीजों के बारे में कुछ नहीं होता। यह गलत है। वहां तो हर सदस्य खिलाड़ी होता है। उन्होंने सभा में यह भी कहा कि इस चर्चा के लिए अध्यक्ष को अनुमति नहीं देना चाहिए थी परन्तु यह बात हमें उपयुक्त प्रतीत नहीं होती। हम इस चीज का विरोध करते हैं।

इसके अतिरिक्त मुझे डा० सुब्बरायन के इस वक्तव्य पर और भी आश्चर्य हुआ कि महाराजा पटियाला केवल एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वास्तव में राजा महाराजाओं ने पहले भी खेलों को बढावा दिया है और कुछ अब भी इसके लिए बलिदान कर रहे हैं। साम्यवादी सदस्य चाहे कुछ भी कहें परन्तु तथ्यों से आखें बन्द नहीं की जा सकतीं। जहां तक वादविवाद का उत्तर देने का प्रश्न है माननीय मंत्री को अभी हमारे प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

भारत की जिस टीम से सब से पहले हाकी का मैच जीत कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था वह हमारे नेतृत्व में गयी थी। उस समय पं० मोती लाल नेहरू ने सभा में कहा था कि जब भारतीय यह करके दिखा सकते हैं वे देश का शासन भी चला सकते हैं। किन्तु अब कुछ

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जयपाल सिंह]

समय से हालात बिगड़ गये हैं। उसका कारण यह है कि खेलों की व्यवस्था गलत हाथों में है। परन्तु इनके सुधार के लिए सरकार पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मंत्री हमारे खिलाड़ी नहीं हैं। ऐसे हालात में स्थिति का सुधार किस रीति से हो सकता है।

वस्तुतः चुनाव का तरीका इस चीज का जिम्मेदार है। इस तरीके से जो भी आदमी आ जाय उसे ही स्वीकार करना पड़ता है। इसके अलावा तीसरी योजना के अन्तर्गत हमारे पास पैसा ही कहां है इस काम के लिए। इसका उत्तर माननीय वित्त मंत्री को देना चाहिए।

जहां तक हमारी जांच समिति का प्रश्न है अभी से यह अफवाहें उड़ायी जा रही हैं कि चूंकि यह समिति उसका वैध स्तर नहीं रखती इस कारण इसका साक्ष्य देने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं। इस तरह से समिति के काम का क्या लाभ होगा। इस लिए सभा को समिति को पूर्ण समर्थ बनाने की चेष्टा करनी चाहिए ताकि लोग आ-आकर ईमानदारी से अपनी राय दें।

हमें वर्तमान के खेल परिणामों से शिक्षा लेनी चाहिए और हमारे यहां जो कुव्यवस्था है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सरकार का कर्तव्य यही नहीं कि वह परे खड़ी वित्तीय सहायता ही करती रहे। सरकार को पूर्ण रूप से जागृत रह कर खल संस्थाओं की व्यवस्था ठीक करने का प्रबन्ध करना चाहिए।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** (कुम्बकोणम्) : मुझे प्रसन्नता है कि मेरे साम्यवादी उदार मित्र श्री ही० ना० मुकर्जी ने खेलकूद के बारे में चर्चा का आरम्भ किया। मैं समझता हूं कि इस चर्चा के द्वारा केन्द्र तथा राज्यों में और विभिन्न संगठनों में हमारे विचार पहुंच जायेंगे और उनसे इनके अधिकारियों को गड़बड़ी दूर करने में सहायता मिलेगी। मैं डा० सुब्बारायन के इन विचारों से सहमत नहीं हूं कि खेलकूद पर सभा में विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि हाउस आफ कामन्स में भी खेलकूद पर विचार नहीं होता है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यद्यपि प्रशासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन की ही अपनाई है परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि खेलकूद के बारे में भी हम उनका अनुसरण करें क्योंकि इस मामले में हम में और उनमें थोड़ा अन्तर है।

मैं कितने ही वर्षों तक मद्रास की खेलकूद की संस्था का प्रेजीडेंट तथा बोर्ड आफ कंट्रोल का वाइस-प्रेजीडेंट रहा हूं। हमारे जमान में यह कहा जाता था कि शाकाहारी राष्ट्र क्या कर सकता है ? परन्तु हमारे मर्चेंट, गोपालन जैसे खिलाड़ियों ने एक नमूना पेश कर दिया कि शाकाहारी, मांसाहारियों से आगे बढ़ सकते हैं। खेलों में सब से महत्वपूर्ण दलीय एकता है। हमें देश के नन्हें मुन्हें खिलाड़ियों का बचपन से ही ध्यान रखना चाहिये जिससे बड़े होकर वह अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित कर सकें।

मेरे मित्र जयपालसिंह और मुकर्जी दोनों ने देश में खेल के मैदानों की कमी बताई है। मैं भी उनकी इस बात से सहमत हूं कि सभी नगरों में अच्छे खेल के मैदान हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमती इला पालचौधरी ने विदेशी मुद्रा का प्रश्न उठाया । हम जानते हैं कि बहुत से खलों का सामान देश में बनने लगा है । परन्तु हम यह भी जानते हैं कि कुछ खेलों के सामान के लिये हमें विदेशों पर निभर रहना पड़ता है । इसलिये आवश्यक है कि इन खेलों का सामान मंगाने के लिये विदेशी मुद्रा की स्वीकृति शीघ्रता से दी जानी चाहिये ।

मैं समझता हूं कि यदि खेल की संस्थाओं में, क्लबों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने में से चुनकर कर्मचारी पहुंचाये जायें तो वह अच्छा काम कर सकेंगे । क्योंकि वह खेल को समझते होंगे तथा दलबन्दी से दूर होंगे । इसके साथ साथ भारत सरकार इन संस्थाओं पर नियंत्रण रखे जिससे गड़बड़ी होने पर उसको ठीक किया जा सके ।

यह सत्य है कि हमने हाकी का स्वर्ण पदक खो दिया है परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे खेल का स्तर गिर गया है । मैं आशा करता हूं कि अन्ततः हम उसे फिर हासिल कर लेंगे । आज संसार में जर्मनी, हालैंड आदि देश अच्छी हाकी खेलने लगे हैं जो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है क्योंकि इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय खेल में सही रूप में प्रतिद्वन्द्विता हो सकेगी ।

टेनिस के बारे में कृष्णन् ने भारत की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची कर दी है । सरकार को ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिये जिससे वह भारत का नाम और उजागर कर सकें । निशाने बाजी में हमें अपने मित्र श्री कर्णसिंहजी को भी नहीं भुला देना चाहिये । परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी गोलियां देश के वन पशुओं पर आजमायें । उनका तो संरक्षण करना आवश्यक है । क्योंकि आज देश में वनपशुओं की संख्या बहुत कम है ।

पोलों का खेल हमारा बड़ा शानदार है । महाराजा जयपुर, भोपाल के नवाब, हनुत सिंह आदि भारत के पोलों के मशहूर खिलाड़ी हैं । मैं आशा करता हूं कि सरकार रेस तथा पोलों को प्रोत्साहित करेगी जिससे सेना में जो यंत्रीकरण हो रहा है उससे हमारे घोड़े तथा घुड़सवार समाप्त न हो जायें ।

हमारी अधिकांश संस्थायें नये खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर रही हैं । परन्तु इसके साथ हमें इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है कि वह किस प्रकार का खाना खाते हैं । किस प्रकार रहते हैं । हमें खेलकूद के संगठनों को सहायता देनी चाहिये । स्टेडियम तथा खेल के मैदान बनाने चाहियें जिससे नये खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले और वह अपनी पूरी क्षमता का प्रदशन करने में सफल हो ।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : सभापति महोदय, मैं खेलों के सम्बन्ध में कोई विशेष जानकारी नहीं रखता हूं, लेकिन एक औसत दर्जे का भारतीय नागरिक होने के नाते औलेम्पिक खेलों में, जो भारतीय सम्मान को धक्का पहुंचा है उससे प्रभावित हो कर कुछ शब्द यहां पर इस सदन के सामने रखने का साहस कर रहा हूं । मुझ से पहले प्रोफेसर मुकर्जी, डाक्टर सुब्बरायन और श्री जयपालसिंह आदि दिग्गज महानुभावों ने अपने विचार प्रकट कर दिये हैं, इसलिये मेरे लिये अब यह आवश्यक नहीं रह गया है कि मैं इस पर बहुत विस्तार से जाऊं ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १९२० में जो पहली पार्टी हिन्दुस्तान से ओलेम्पिक्स में शामिल होने के लिये ऐंटवर्प गई थी वह स्वर्गीय सर दोराब जी टाटा की उदारता से गई थी । उस के बाद से प्रतिवर्ष हम अपनी विजय पताका में कुछ न कुछ बातें जोड़ते और बढ़ाते रहे हैं । लेकिन सन् १९५६ में मेलबोर्न में जो खेल हुए थे उन में हमें यह

[श्री भक्त दर्शन]

चेतावनी मिल गई थी कि हम खास कर हाकी के क्षेत्र में जो सारे संसार में अपना एक दावा रखते थे वह समाप्त होने जा रहा है । यह बड़े खेद की बात है कि रोम के ओलेम्पिक्स में नये नये कीर्तिमान (रेकार्ड्स) स्थापित किये गये और सब देशों ने प्रगति की लेकिन भारत ने अपयश का टीका लगाने में प्रगति की । हमारी हार इतनी बुरी हुई है जिसकी कि कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और सारे देश की जनता को इससे जबर्दस्त ठेस पहुंची है । केवल हाकी के क्षेत्र में ही नहीं एथेलिटिक्स में, कुश्ती में, भार उठाने में, फुटबाल में और तैराकी आदि में भी हमें असफलता का सामना करना पड़ा है । पहले के ओलेम्पिक खेलों में यदि कोई असफलतायें होती थीं तो हाकी की सफलता की खुशी में हम उनको भूल जाते थे लेकिन अब की इतना गहरा धक्का लगा है कि वह भुलाये नहीं भूलतीं। अब केवल जो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं या जो खेल की संस्थाओं के क्षेत्र में अधिकार किये हुए हैं उन का ही यह काम नहीं रह गया है बल्कि एक औसत दर्जे के भारतीय नागरिक का भी यह अधिकार हो गया है कि इस बारे में सोचे और कोई रास्ता निकाले ।

सभापति महोदय, हाकी के खेल में हमारा मुकाबला अक्सर यह समझा जाता है कि केवल पाकिस्तान के साथ है लेकिन पाकिस्तान के अलावा सात अन्य देश हैं जो लगातार इस बीच में भारत के मुकाबले में आगे बढ़ रहे हैं। किस प्रकार से हमारे भारत के खिलाड़ी खेलते हैं या पाकिस्तान के खिलाड़ी खेलते हैं उनके तरीकों को उन्होंने समझ लिया है और इस बार यह देखा गया कि स्पेन, आस्ट्रेलिया, केनिया, न्यूजीलैंड, हालैंड, ब्रिटेन व जर्मनी यह सात राष्ट्र ऐसे पैदा हो गये हैं जिनके कि मुकाबले में भारत के खिलाड़ियों के लिये आगे बढ़ना बड़ा कठिन हो जायेगा और इसलिये अब आवश्यकता इस बात की है कि हम बहुत गहराई से इस सम्बन्ध में विचार करें ।

सब से बड़ी कमी जो हमारे खिलाड़ियों में बताई गई और जिसके कि बारे में श्री जयपाल सिंह जी इस बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं और जैसा कि उन्होंने बतलाया कि अभी रोम में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो फाइनल मैच हुआ था तो हम केवल अपने को डिफेंड करने में ही लगे रहे जबकि पाकिस्तान ने पहले चार मिनट में ओफेंसिव ले कर हमारे ऊपर एक गोल कर दिया । उनकी स्ट्रेटिजी ओफेंसिव की रही जब कि हमारी डिफेंसिव की और जिसका कि नतीजा यह हुआ कि पहले ही चार मिनट में उन्होंने हमारे ऊपर एक गोल कर दिया और उसके बाद वह अपना डिफेंस करते रहे और हम आखिर तक वह गोल नहीं उतार पाये । हमारे ऊपर गोल हो जाने के बाद से भारतीय खिलाड़ियों का आपस में तालमेल नहीं रहा ।

इसके अलावा यह भी शिकायत थी कि खिलाड़ियों के छांटने में उनके चयन में निष्पक्षता का बर्ताव नहीं किया गया । प्रान्तीयता, जातिवाद, दलबन्दी और गुट्टबन्दी का वहां पर बोल-बाला है । जहां पहले हमेशा ओलेम्पिक खेलों में १८ खिलाड़ी ले जाये जाते थे जिनमें कि १३ खिलाड़ी खेलते थे । वहां अब २१ खिलाड़ी ले जाये गये और उनको रोम की सैर कराई गई सरकारी खर्चे पर या जनता के खर्चे पर जब कि खेले केवल १३ खिलाड़ी ही। अब सवाल यह उठता है कि आखिर शासन और जनता के पैसे का दुरूपयोग क्यों किया गया ?

अभी २१ नवम्बर को तारांकित प्रश्न संख्या २६६ के उत्तर में शिक्षा मंत्री महोदय की ओर से डा० केसकर ने जवाब देते हुए यह बतलाया कि वह आटोनमस संस्थायें हैं हम कैसे दखल दे सकते हैं। कहना मैं चाहता हूं कि हम हर एक इस प्रकार की संस्था को कुछ न कुछ

स्वाधीनता देने के पक्ष में हैं लेकिन जब उन की वह स्वतंत्रता देश के सम्मान के विरुद्ध जाती है तब भारत के प्रत्येक नागरिक का और कम से कम संसद् के सदस्य का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह अपनी आवाज बुलन्द करे ताकि उस के बारे में आगे के लिये कोई जांच पड़ताल कराई जाये और कोई रास्ता निकाला जाये। मेरे पास अधिक समय नहीं है, इसलिये मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि १९६४ में जकार्ता में ओलम्पिक्स होने वाले हैं ...

एक माननीय सदस्य : टोकियो में ।

श्री भक्त दर्शन : हां, टोकियो में ।

एक माननीय सदस्य : १९६२ में ।

श्री भक्त दर्शन : नहीं, १९६४ में । हर चार साल के बाद ओलम्पिक्स होते हैं। अभी १९६० में हुए हैं ।

इन चार वर्षों में हमारे सामने इतना अवसर है कि हम इतनी तैयारी करें कि भारत के माथे पर जो कलंक का टीका लगा है, उस को समाप्त कर दिया जाये । इस विषय में बहुत से सुझाव दिये गये हैं, लेकिन सब से बड़ा सुझाव यह है कि पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, उस को ध्यान में रखा जाये। जब उस के खिलाड़ियों की टीम बनाई गई, तो रोम में जाने से पहले उस ने विदेशों में पन्द्रह बीस मैच खेले । इस के विपरीत हमारे खिलाड़ी आखिर में पहुंचे । उन का आपस में कोई कौम्बीनेशन नहीं था, कोई सहयोग नहीं था। वे आपस में लड़ते रहें। उन के झगड़ों के समाचार रोम के अखबारों में छपे। उस से हमारा बहुत अपमान हुआ है। मैं एक विनम्र संसद्-सदस्य होने की हैसियत से शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस ख्याल में न रहें कि चूंकि हम ने इन संस्थाओं को ओटोनोमी देदी है, इसलिये हमें इस में कुछ करने या उस में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है और वे हमारे देश के नाम को कलंकित करते रहें । अब समय आ गया है कि उन को सख्ती से कदम उठाना चाहिये और बीच में पड़ कर हालत को सुधारना चाहिये ।

श्री जयपाल सिंह जी के नेतृत्व में जो कमेटी बिठाई गई है, उस के सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि उस कमेटी को पूरे अधिकार नहीं दिये गये हैं और उनकी रिपोर्ट पर कौन अमल करने वाला है । अतः यह आवश्यक है कि उस कमेटी के पीछे ताकत होनी चाहिये और गवर्नमेंट को उस के हाथों को मजबूत करना चाहिये । अगर वह कमेटी पूरी तरह ताकतवर नहीं है, तो गवर्नमेंट अपनी ओर से कमेटी मुकर्रर करे और बजट सेशन में इस विषय पर फिर बहस करने का मौका दिया जाये । तब उस की रिपोर्ट का कुछ लाभ हो सकता है ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय हमारे खेल का स्तर इतना गिरा हुआ नहीं है, किन्तु जिन के हाथों में प्रबन्ध है, वे ऐशो-इशरत, विदेश-यात्रा करने में और हो सकता है कि उस बहाने से अपना फायदा उठाने में, लगे रहते हैं और वास्तविक कार्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । माननीय मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : भारतीय ओलम्पिक संस्था के सभापति की यह राय है कि ओलम्पिक खेलों में भारत ने पहले ओलम्पिक खेलों से अच्छा प्रदर्शन किया है । परन्तु मैं ऐसा नहीं समझता

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेम बरुआ]

हूं । यह सच है कि मिलखा सिंह ने हमारी फुटबाल टीम ने, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाई है । परन्तु यह सन्तोष करने के लिये ही है । क्योंकि हमने हाकी में जो अपनी प्रतिष्ठा गंवाई है उसकी तुलना में यह प्रदर्शन कुछ नहीं है । मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने इसकी जांच करने के लिये समिति नियुक्त की है और मैं उस समिति से अनुरोध करूंगा कि वह इसकी पूरी पूरी जांच करे । यदि समिति को गड़बड़ी के समाचारों के बारे में कुछ सचाई नजर आये तो उनको सरकार दूर करने का प्रयत्न करे ।

आज देश में ऐसी भावना फैल रही है कि खेलकूद के फैडरेशन, अखिल भारतीय खेलकूद परिषद के निदेशों की अवहेलना करते हैं । ऐसा नहीं होना चाहिये ।

डा० ओटो पेल्तजर, राजकुमारी प्रशिक्षण योजना के प्रशिक्षक ने बम्बई में बताया कि भारत की असफलता का कारण भारतीयों की उचित तैयारी न होना है । यदि ऐसी बात है तो सरकार को इधर ध्यान देना चाहिये जिससे अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की उचित तैयारी हो सके ।

मैं खेलकूद के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । एक तो यह कि खिलाड़ियों का स्तर बढ़ाने के लिये भाग लेने वाले खिलाड़ी का चुनाव एक वर्ष पूर्व हो जाना चाहिये । दूसरे खेलकूद का स्कूलों तथा कालिजों में गम्भीरता से संगठन किया जाना चाहिये तथा उसको उत्साहित किया जाना चाहिये । सारे देश में खेलकूद सप्ताह का आयोजन होना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय तथा सरकार खेलकूद का देश में स्तर सुधारने के लिये जो भी संभव होगा वही करेंगे । जिससे आगामी ओलम्पिक खेलों में हम अपनी खोई प्रतिष्ठा पुनः हासिल कर सकें ।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब चेयरमैन साहब, इस वक्त जब कि हम प्रोफेसर मुकर्जी के मोशन पर, जो हमारे मुल्क के खेल के मुताल्लिक है, बहस कर रहे हैं, हमारी बहस का यह मन्शा नहीं हैकि हम हारे क्यों, बल्कि हमारी बहस का मन्शा यह है कि जब हम खेल को खेलें, तो उसमें हम इस बात को अपनी नजर के सामने रखें कि किसी भी खेल के साथ, जो कि दुनिया के आलिम्पिक्स के मैदान में होता है, हमारी कोम का मुस्तकबल भी वाबस्ता है । जब मैं आपके सामने अपने ये अलफाज पेश कर रहा हूं, मेरे सामने वह वक्त है, वह नक्शा है, जब हमने रेडियो के जरिये यह सुना कि रोम के मैदान में हमारी हाकी की टीम हार गई । यकीनन ये चन्द खिलाड़ी नहीं थे, जो हारे, बल्कि सारी कौम, सारा हिन्दुस्तान हारा । खेल के मैदान में किसी इंडिविजुअल का, किसी फर्द का नाम नहीं लिया जाता है । बल्कि अफसोस का मुकाम था कि पहली वार १९२८ के बाद हमारा कौमी तराना शामिल नहीं था । इसकी जिम्मेदारी खिलाड़ियों पर नहीं है, बल्कि उन लोगों पर है जिन पर हमने इनका इंतखाब करने की जिम्मेदारी डाली थी । हमने इस बात का बहुत पहले अन्दाजा किया था कि हिन्दुस्तान की हाकी टीम अब उस मुकाम पर नहीं है जिस पर वह उस वक्त थी जब श्री जयपाल सिंह इसकी रहनुमाई करते थे और १९२८ में जब उन्होंने इसकी रहनुमाई की थी । इसके बाद से जिस ढंग से हम खेलते आये हैं, उसका हमें एहसास हो चुका है, लेकिन उस एहसास के बावजूद भी हमने वे तमाम कोशिशें नहीं की हैं जो हमें करनी चाहिये थीं ताकि खेल के मैदान में हम अपने झंडे को फिर से शान के साथ कयम रखते । इसकी वजह क्या है ? इसकी वजह है हमारे मुल्क के जिम्मेदार लोगों की जाती ख्वाहिशें और साजिशें । जिस वक्त हिन्दुस्तान की टीम कोच की जा रही थी तो नाना कुन्नू हमारे कोच थे । वह श्रीनगर भी गये थे और हैदराबाद भी गये थे । वह बम्बई के सिलैकशन में भी थे । लेकिन फाइनल सिलैकशन के वक्त एक साहब श्री किशन लाल पैदा कर लिये गये । ये कहां से आये, इसका किसी को इल्म नहीं है । यह साहब हमारी हाकी टीम के साथ

जाते हैं। उनकी यह बात मैं इस हाउस के मैम्बर साहिबान को याद दिलाना चाहता हूं कि वह जाती तौर पर हाकी टीम के किसी खिलाड़ी से भी वाकिफ नहीं थे और न ही उन्होंने उन खिलाड़ियों में से किसी को खेलते हुये ही देखा था। उन पर यह जिम्मेदारी डाली गई कि वह हमारे कोच बन कर जायें।

इसके साथ ही एक और वाका मैं हाउस के मैम्बर साहिबान के सामने रखना चाहता हूं। हमारे हाकी के बेहतरीन खिलाड़ी श्री ध्यान चन्द उस वक्त माउंट आबू में थे। उन्हें २४ जून की मीटिंग के लिये जो हैदराबाद में होनी थी जहां पर कि फाइनल सिलैकशन होना था बुलाया गया और मजे की बात यह है कि २२ तारीख को उनको माउंट आबू में तार जाता है। सिलैकशन करने वाली इस कमेटी को बखूबी यह इल्म है कि श्री ध्यान चन्द को पहले माउंट आबू से दिल्ली आना है और यहां से फिर हवाई जहाज के जरिये हैदराबाद पहुंचना है और इस सब के लिये उनको दो दिन का वकफा दिया जाता है। कितनी यह अफसोसनाक बात है, किस कद्र शर्मनाक साजिश है कि दो दिन का वकफा दिया जाता है और यह जानते हुये दिया जाता है कि दो दिन में वह हैदराबाद नहीं पहुंच सकते हैं। यह भी एक वजह थी कि हमको रोम में शिकस्त हुई। हिन्दुस्तान के अच्छे अच्छे खिलाड़ियों में से किसी की राय नहीं ली गई। जहां तक हाकी का ताल्लुक है, इसकी तरफ हमें तवज्जह देनी चाहिये। इस हाकी की टीम के साथ और इस हाकी के साथ हमारे हिन्दुस्तान की शान वाबस्ता है, इस एवान की शान वाबस्ता है और इस पर हमें पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा मैं पहलवानों की टीम की तरफ भी आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। पिछली बार जब इस एवान में मेरे दोस्त श्री भक्त दर्शन ने यह सवाल उठाया था तो मैंने एक सप्लीमेंटरी में पूछा था कि पहलवानों की जो हमने टीम भेजी, उसके मैनेजर कौन थे। मैं कहना चाहता हूं कि हम किसी शख्स की भी खातिर कौम का पैसा जाया नहीं कर सकते और अगर सिर्फ पैसा जाया करने का ही सवाल होता तो शायद कुछ हम नर्मी कर देते लेकिन यह कौम की इज्जत का मामला है, इस वास्ते इसको हमें सीरियसली लेना है। एक ऐसे शख्स को इस टीम का मैनेजर बना कर भेजा गया जिसने अपनी जिन्दगी में कभी बटेर भी नहीं लड़ाये हों, कभी पतंग भी न उड़ाई हो। उसको टीम का मैनेजर बनाकर भेज दिया गया। इसमें शक नहीं कि वह बहुत बड़े शायर हैं। लेकिन शायरी और पहलवानी दो मुतजाद चीजें हैं। जो मैं कहने जा रहा हूं। वह मुस्कराने की बात नहीं है बल्कि मातम मनाने की है। जब हमारा एक पहलवान वहां जाता है कुश्ती लड़ने तो उसका पांच पाउंड वजन ज्यादा निलकता है और मालूम होता है कि वह कुश्ती लड़ने के काबिल नहीं है। वह कुश्ती के दंगल में पहुंच जाता है। उसको अब स्टीम बाथ दिया जाता है और उसको इस कद्र नाकारा किया जाता है कि चार मिनट में ही वह चारों शाने चित गिर पड़ता है। ये सब ऐसी चीजें हैं जिन पर कि अफ़सोस का ही इजहार किया जा सकता है।

मैं वज़ीर तालीम से दरख्वास्त करूंगा कि जिस शिद्दत के साथ उन्होंने जनाना टीम को न भेजे जाने पर जुर्रत का इजहार किया था, उसी शिद्दत के साथ दूसरे मामलों में भी अपनी जुर्रत का इज़हार करें।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम) : बहुत से माननीय सदस्यों ने नये खिलाड़ियों का प्रशिक्षण करने पर जोर दिया है और मैं भी उनकी इस बात का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री का ध्यान एक बड़े महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

टेनीस के प्रशिक्षण के लिये कुछ नवयुवकों का चुनाव किया गया और उनको एक प्रबन्धक के साथ योरोप भेजा गया। वहां पर प्रबन्धक महोदय ने मौज उड़ाई और यह नवयुवक भूखे मरते रहे। मैं चाहता हूं कि इन तथ्यों की पूरी जांच की जाये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हाकी की हार से देश में खिन्नता का वातावरण फैल गया है। मेरा सुझाव है कि हमें अब यह भूल जाना चाहिये कि हाकी केवल भारत में ही खेली जाती है। अब अन्य देश भी हाकी खेलना सीख गये हैं और हमारे खिलाड़ियों में उनको सिखाया है। इसलिये हमें कुछ नये तरीके अपनाने चाहिये जिससे हमारा प्रभुत्व रहे।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : सभापति महोदय, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी को भली भांति मालूम है कि हमारे देश में जो क्रिकेट के मैच होते हैं, खेल होते हैं, ये खेल अन्तर्राष्ट्रीय नहीं हैं, यह खेल केवल अंग्रेजी जानने और बोलने वाले मुल्कों में ही खेला जाता है, या जो अंग्रेजों के उपनिवेश हैं या रह चुके हैं, वहीं खेला जाता है। अब हमारा देश आजाद हो चुका है। फिर इस खेल को जिसमें कि लाखों रुपये खर्च होते हैं और लाखों आदमी देखने जाते हैं, जिसमें कि समय का अपव्यय होता है और उसके अलावा हमारी मानसिक दासता का यह एक बहुत बड़ा प्रतीक साबित हो रहा है, आप विचार करेंगे कि इसे इस देश में बन्द किया जाये और दूसरे खेल जिन से हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का सम्मान ऊंचा हो सकता है, उनको ऊंचे उठाया जाये ? मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में भी सरकार क्या विचार कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : चर्चा के दौरान में उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरा विचार इस चर्चा को तब तक के लिए स्थगित रखने का था जब तक कि खेलकूद परिषद् द्वारा नियुक्त समिति का प्रतिवेदन हमें न मिल जाता। परन्तु इस मामले में हमें अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार चलना होता है इसलिये उनके द्वारा इस प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दे दिये जाने पर हम आज यह चर्चा कर रहे हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि श्री हीरेन मुकर्जी ने इस मामले को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है। जिस रूप में यह वाद विवाद हुआ है उससे पता लगता है कि देश में खेलकूद की ओर जनता की दिलचस्पी बढ़ रही है। मैं समझता हूं, यह बड़ी ही अच्छी बात है। परन्तु मैं इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि हमें अपनी हाकी की हार को ठीक रूप में देखना चाहिए।

हाल में ही ब्रिटेन सरकार ने श्री वुलफैंडर के अधीन एक समिति नियुक्त की थी जिसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत अभी किया है। हमारे ही समान ब्रिटेन भी खेलकूद के मामले में चिंतित है। वुलफैंडर समिति के इस प्रतिवेदन में इस पर पूरी तरह विचार किया गया है और मैं समझता हूं कि खिलाड़ियों, खेल कूद संस्थाओं, सरकार तथा समाचार पत्रों के लिए यह बहुत ही लाभदायक प्रतिवेदन है।

मैं इस प्रतिवेदन में की गई विभिन्न सिफारिशों को बता कर सभा का समय लेना नहीं चाहता। हां, इतना ज़रूर बताना चाहता हूं कि उसने यह कहा है कि राष्ट्रीय टीम देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से ही बनी होनी चाहिये और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो यह देश के प्रति अहित करना होगा। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है और यदि हमारे खेल कूद फेडेरेशन इसका पूरी तरह पालन करें तो हमारी बहुत सी

---

†न ल अंग्रेजी में

कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। जब भी हमारी कोई टीम किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाये उस समय हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए कि देश की सर्वोत्तम टीम ही जाये क्योंकि उसमें राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न रहता है। उसमें पक्षपात अथवा भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो खिलाड़ियों के चुनाव में पक्षपात अथवा भेदभाव करता है वह राष्ट्र का अहित ही करता है। मैं हाकी टीम के बारे में इसके अलावा और कुछ कहना नहीं चाहता कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में अपनी सर्वोत्तम टीम भेजने का प्रयत्न करना चाहिये।

मैं समझता हूं कि हमारे खिलाड़ी जो कुछ कर सकते थे उन्होंने वह किया। हाल में ही हम क्रिकेट में अपना खेल देख चुके हैं। जिस तरह से हमारे खिलाड़ी खेले हैं उस पर हमें गर्व है। मुझे विश्वास है कि वह भविष्य में भी देश की शान बढ़ायेंगे।

हाकी में हम हार चुके हैं। परन्तु हमें यह याद रखना चाहिए कि अब तक अविभाजित भारत ही हाकी में जीतता रहा था और विभाजन के बाद हाकी टीम का भी विभाजन हो गया। पाकिस्तान में भी पुराने अच्छे खिलाड़ी हैं और हमारे देश के समान ही उसकी भी हाकी में पुरानी प्रतिष्ठा है। मेरा यह कहना नहीं है कि हमें हाकी में सुधार नहीं करना चाहिए। मैं केवल विश्लेषण कर रहा था जिससे हम सही स्थिति समझ सकें। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बहुत से योरोप के देश भी हाकी खेलते हैं और उन्होंने खेल में बहुत सुधार कर लिया है। इसलिए आवश्यक है कि प्रभुत्व बनाये रखने के लिए हमें हाकी के खेल में सुधार करने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहना होगा।

इसके बारे में भी मैं इस प्रतिवेदन के कुछ उद्धरण देना चाहता हूं। उसमें एक जगह लिखा है कि यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में कुछ राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी रहती है। अगर ऐसा न हो तो उनका कुछ अधिक महत्व भी नहीं रहता। इन खेलों में जीतने की भावना देश प्रेम की भावनाओं में से एक है।

जब हमने अपनी हाकी की हार का समाचार सुना तो सभी लोगों को दुःख हुआ; हमारे सिर शर्म से झुक गए कि हमने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है।

उसी प्रतिवेदन में आगे दिया है कि "परन्तु एक परिपक्क समाज में इस प्रकार की भावनाओं का प्रदर्शन एक सीमा के अन्दर ही होना चाहिए। यदि ब्रिटिश टीमें हार गई हैं तो उसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि दुनिया में अब कुछ रहा ही नहीं या कि हमारा राष्ट्रीय ह्रास हो गया है। समिति ने कहा है कि ओलम्पिक खेलों में सफलता अथवा असफलता को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अंग बना लेना या यह समझना कि इसी से राजनैतिक क्षेत्र में भी देशों की धाक जमी रह सकती है, एक बिल्कुल ग़लत चीज़ है और हमारी अपरिपक्कता की द्योतक है। हंसते हुए और पूरी मेहनत से खेलते हुए हार जाना उस जीत से अच्छा है जिसमें खेल की भावना का परित्याग कर दिया गया हो। प्रयत्न ऐसा करना चाहिए कि हार जाने पर भी खेल की भावना बनी रहे और हंसी खुशी का वातावरण बना रहे।"

इस समिति ने यह बड़ा ही मूल्यवान परामर्श दिया है। मैं सभा की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हाकी में हार से हम सभी को बड़ी निराशा हुई है। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिद्वन्दिता में ऐसा ही होता है। कभी हम जीत जाते हैं और कभी

[डा० का० ला० श्रीमाली]

हम को हार भी खानी पड़ती है । हमें अगली बार अधिक परिश्रम करना चाहिए और जीतने का प्रयत्न करना चाहिए । हम यह नहीं कह सकते कि हम आगे कभी भी नहीं हारेंगे । सच्चे खिलाड़ी को हारने तथा जीतने दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए । हमें इस आधार पर ही इस विषय में विचार करना चाहिये ।

कई व्यक्तियों के खिलाफ कई बातें कहीं गईं । महाराजा पटियाला के बारे में और कुछ अन्य लोगों के बारे में कड़ी आलोचना की गई । मैं समझता हूं कि सभा यह नहीं चाहेगी कि मैं इस के बारे में यहां कुछ कहूं क्योंकि इन सभी मामलों पर जांच समिति विचार कर रही है । सरकार उन की सिफारिशों पर निश्चित रूप से विचार करेगी ।

श्री मुकर्जी ने खेल कूद की राष्ट्रीय नीति के विकास की ओर सरकार का ध्यान दिलाया । स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजे महाराजे खेल कूद को बढ़ावा दिया करते थे । परन्तु बाद में सरकार को आगे बढ़ना पड़ा । मुझे प्रसन्नता है कि पटियाला समिति ने बड़े अच्छे सुझाव दिए और इस समय हमारी खेल कूद की नीति पटियाला समिति की सिफारिशों पर ही आधारित है । उस समिति की मुख्य मुख्य सिफारिशें यह थीं । समिति ने कहा था कि परिणाम एक दिन में ही नहीं निकल सकते । अच्छे खिलाड़ियों को बनाने में कुछ समय लगता है । हमें अपने छोटे बच्चों में से खिलाड़ियों को ढूंढना होगा । हमें स्कूलों, कालिजों, देहातों में खल कूद का विकास करना होगा और नवयुवकों को मैदान में लाना होगा । तभी हम सही खिलाड़ियों का निर्माण कर पायेंगे ।

इस के संबंध में हमने कई उपाय किये हैं । हम राज्य सरकारों को सहायता देते रहे हैं जिस से कि वहां स्टेडियम आदि बनायें, खेल कूद का सामान इकट्ठा करें । परन्तु हम भी सीमित धन ही दे सकते हैं । इस के लिये जो भी धन हमारे पास है उसको हम खेल कूद के विकास के काम में लाते हैं ताकि उस के अच्छे से अच्छे नतीजे निकलें । हम खेल कूद को राष्ट्र निर्माण के लिये, युवकों के निर्माण के लिए आवश्यक समझते हैं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने राष्ट्रीय नीति तथा इस समिति द्वारा बताये गये विभिन्न उपायों का जिक्र किया । खेल कूद की एक राष्ट्रीय संस्था बनाई जा रही है । वास्तव में वह स्थापित हो चुकी है । निदेशक नियुक्त कर दिया गया है । हम विदेशी प्रशिक्षकों को बुलाने के लिए बातचीत भी कर रहे हैं । हमारा प्रयास है कि संसार के सर्वोत्तम प्रशिक्षक देश में आयें और प्रशिक्षण दें । खेल कूद के सुधारने में प्रशिक्षण का बड़ा महत्व है । प्रशिक्षण के बिना खेल कूद में सुधार नहीं हो सकता है । हम चाहते हैं कि इस खल कूद की संस्था में सर्वोत्तम प्रशिक्षक रहें । हमें आशा है कि अगले वर्ष के आरम्भ में यह संस्था काम चालू कर देगी । हमारा विचार राजकुमारी प्रशिक्षण योजना का पुनर्गठन करने का तथा उस को राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना बनाने का है । हमें आशा है कि स्टेडियम बनाने, राष्ट्रीय खेल कूद का संगठन करने के लिए अधिक धन मिल सकेगा । सरकार जो कुछ कर सकती थी उस ने वह सब किया है । हम से जो सुविधायें मांगी गईं हमने वह सभी दी हैं । जो कुछ संभव था हम ने किया । मैं ने हाकी फडेरेशन के प्रेजीडैंट से लगभग एक वर्ष पूर्व कहा भी था कि हाकी के लिए जितना धन वह चाहें वह उन को दिया जायेगा । हम इस के बारे में कोई खतरा उठाना नहीं चाहते थे । परन्तु

यह भी स्पष्ट है कि सरकार स्वयं ही सभी काम नहीं कर सकती । उसे अन्य लोगों पर भी निर्भर रहना पड़ता है । एक खिलाड़ी की हैसियत से श्री जयपाल सिंह समझते हैं सरकार धन ही दे सकती थी। खेलों का गठन तो लोगों को ही करना है ।

इस समय खेल कूद फेडेरेशन की बड़ी आलोचना की जाती है । कहा जाता है कि सरकार को इसे अपने अधीन कर लेना चाहिये । हमारी यह नीति है कि खेल कूद संगठनों में कम से कम हस्तक्षेप हो । खेल कूद परिषद् धन, सलाह, सहायता ही दे सकती है । हमारी यही इच्छा है कि खेल कूद का गठन लोकतंत्रीय आधार पर हो । हम चाहते हैं कि खेलकूद संगठनों को सरकार अपने हाथ में न ले और उनके विकास की जिम्मेदारी जनता पर ही रहने दे।

कहा गया कि ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं, हमें उनको सुनकर दुख हुआ । गलत चुनाव समितियां बनीं । चुनाव गलत तरीके से हुये । हम यह भी जानते हैं कि खल कूद फेडेरेशन सरकारी धन का दुरुपयोग करती रही है । सभी इन बातों को जानते हैं । परन्तु इस समस्या को सुलझाने के लिये जो हल बताये गये हैं मैं उनको भी ठीक नहीं समझता हूं । मुझे प्रसन्नता है कि संसद में यह सभी बातें कही गईं क्योंकि इससे खेल कूद संगठनों में सुधार होने में सहायता मिलेगी ।

मैं ओलम्पिक में अपनी प्रगति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । स्थिति इतनी बुरी नहीं है जितनी कि बताई गई है । यह सच है कि हमें हाकी में चांदी का पदक ही मिला है । फुटबाल लीजिये हमारी फुटबाल टीम ने अफगानिस्तान को हराया और अपने जोन में अच्छी सफलता प्राप्त की । कुश्तियों में भी हमारे पहलवानों ने सफलता पाई । हमारा एक पहलवान संसार में पांचवें स्थान पर तथा दूसरा सातवें स्थान पर रहा । निशानेबाजी में हम जानते ही हैं कि इस सभा के सदस्य महाराजा बीकानेर निशाना लगाने में (क्ले पीजन शूटिंग) विश्व में आठवें स्थान पर रहे । दौड़ भाग में हमारा दुर्भाग्य रहा कि मिलखा सिंह अपना कमाल नहीं दिखा पाये । परन्तु फिर भी उन्होंने पहले की अपनी दौड़ों से अच्छी प्रगति की है । इसलिये हमें उन पर गर्व होना चाहिये ।

हमारी यह प्रगति है जबकि हमारे सामने बहुत कठिनाइयां थीं, कम सुविधायें हमें मिली हुई थीं । समय मिलने पर हम इससे भी अच्छे परिणाम दिखा सकते हैं । जो कुछ भी संभव हो हमें वही करना चाहिये जिससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले । केवल उचित आलोचना ही की जानी चाहिये । अनुचित आलोचना से वह हतोत्साह हो जायेंगे । इस बार हम हाकी में हार गये हैं तो क्या हुआ । अगली बार जीतेंगे । क्रिकेट में हमें अपने खिलाड़ियों की सराहना करनी चाहिये । हमें उन पर गर्व है ।

अब तक हमारी टीमें ठीक ही रही हैं । यहां वहां छोटी मोटी कमियां हो सकती हैं, उनकी जांच जांच समिति करेगी । हमें देश में खेल कूद का विकास करना है और ऐसा करने के लिये हमें खिलाड़ियों, खेल कूद संगठनों का सहयोग लेना है । जनता में भावना पैदा करनी है कि राष्ट्रनिर्माण में खेल कूद का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है ।

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस विवाद में भाग लेकर अच्छे सुझाव दिये । मुझे विश्वास है कि अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् इन सुझावों का ध्यान रखेगी । अन्त में मैं श्री मुकर्जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मामले को संसद के सामने प्रस्तुत किया ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी**: मैं केवल कुछ समस्याओं की ओर संसद का ध्यान दिलाना चाहता था । श्री जयपाल सिंह ने बताया कि वह जांच आयोग अधिनियभ को लागू किये बिना इसकी पूरी

---

†मल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

तरह जांच नहीं कर सकते हैं । इसलिये मैं माननीय मंत्री से आश्वासन चाहता हूं कि वह इसकी जांच पूरी तरह कराने में श्री जयपाल सिंह को सहयोग दें ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : श्री जयपाल सिंह को पूरी स्वतंत्रता दी जायेगी और सरकार का पूरा समर्थन मिलेगा ।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं सरकार का आभारी होऊंगा ।

इस के पश्चात् लोक-सभा शक्रवार, ९ दिसम्बर, १९६०/१८ अग्रहायण, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९६०
१७ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . .	२२२७—४९
तारांकित प्रश्न संख्या		
७७९	कपड़ा मिलों का बन्द होना . . .	२२२७—२९
७८०	फिजो के लिये ब्रिटिश नागरिकता . .	२२२९—३१
७८१	कैलाश और मानसरोवर जाने वाले भारतीय तीर्थयात्री	२२३२—३४
७८२	पूर्व पाकिस्तान में छोड़ी गयी सम्पत्ति . .	२२३४—३५
७८४	राज्य व्यापार निगम	२२३६—३८
७८५	दिल्ली में राजस्थान सरकार की सम्पत्ति . . .	२२३८—४०
७८७	बड़ाहोती का खाली किया जाना .	२२४०—४२
७८९	कोयला खान भविष्य निधि	२२४२—४४
७९०	आयरलैंड के साथ चाय का व्यापार . . .	२२४४—४५
७९१	पटसन का मूल्य . .	२२४५—४७
७९२	पाकिस्तान के कब्जे में त्रिपुरा का क्षेत्र . . .	२२४७—४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . . .	२२४९—८३
तारांकित प्रश्न संख्या		
७८३	निर्यात	२२४९—५०
७८६	असम में मिकिर पहाड़ियों से निकाले गये विस्थापित व्यक्ति .	२२५०
७८८	टैपिओका	२२५०
७९३	अध्यापक–प्रशासकों का प्रशिक्षण . . .	२२५१
७९४	संयुक्त राष्ट्र संघ की नागरिक सेना . . .	२२५१
७९५	औषधि के कारखानों की देखभाल के लिये निगम . .	२२५१—५२
७९६	बर्मा में भारतीय . . .	२२५२—५३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

७९७	भारतीय रेडियो ब्राडकास्ट में चीन द्वारा रुकावटें डालना	२२५३
७९८	उत्तर पूर्वी सीमांत अभिकरण में प्लाईवुड का कारखाना	२२५३
७९९	तिब्बती शरणार्थी	२२५३–५४
८००	फेनी नदी	२२५४
८०१	आयात नियंत्रकों की भरती	२२५४
८०२	बंगलौर में अस्पताल	२२५५
८०३	निष्क्राम्य चल सम्पत्ति	२२५५
८०४	कोयला खानों में दुर्घटनायें	२२५५–५६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१४९७	नीलोखेरी में उद्योग	२२५६
१४९८	अमोनियम सल्फेट	२२५६
१४९९	सुपरफास्फेट्स	२२५७
१५००	गंधक का तेजाब	२२५७–५८
१५०१	सोडा एश	२२५८–५९
१५०२	कास्टिक सोडा	२२५९–६०
१५०३	सल्फा औषधियां	२२६०–६१
१५०४	पेनिसीलीन	२२६१
१५०५	डी० डी० टी०	२२६१–६२
१५०६	बैन्जीन हैक्साक्लोराइड	२२६२
१५०७	पेरा अमीनो सैलीसिलिक एसिड	२२६३
१५०८	ऊन विकास परिषद्	२२६३
१५०९	राजस्थान का औद्योगिक विकास	२२६३–६४
१५१०	एक मंजिले मकान	२२६४
१५११	विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में नागरिक सेवाओं का हस्तान्तरण	२२६४
१५१२	विद्युदणु उपकरण	२२६४–६५
१५१३	रूस को चाय का निर्यात	२२६५
१५१४	यूरेनियम के निक्षेप	२२६५–५५

विषय

प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५१५	तिहाड़ गांव (दिल्ली) का नवनिर्माण	२२६६
१५१६	पंजाब में चमड़ा उद्योग	२२६६
१५१७	पंजाब में कार्य और प्रशिक्षण केन्द्र	२२६६
१५१८	इटारसी में उर्वरक संयंत्र	२२६७
१५१९	नागा विद्रोहियों द्वारा मुक्त किये गये व्यक्ति	२२६७
१५२०	मजूरी बोर्ड	२२६७
१५२१	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल का सर्वेक्षण	२२६७–६८
१५२२	खादी मूल्यांकन समिति	२२६८
१५२३	हैदराबाद-भवन, नई दिल्ली	२२६८
१५२४	कस्तूरबा नगर, नई दिल्ली में जल संभरण	२२६८
१५२५	पैट्रो-कैमिकल परियोजना	२२६९
१५२६	सिंदरी में मेथानोल संयंत्र	२२६९
१५२७	दिल्ली में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिये होस्टल	२२६९
१५२८	पुनर्वास मंत्रालय में छंटनी	२२६९–७०
१५२९	आकाशवाणी के संवाददाता	२२७०
१५३०	शुद्ध मापयंत्रों का निर्माण	२२७१
१५३१	एयर राइफलें	२२७१
१५३२	बर्मा में भारतीय	२२७१
१५३३	बेरूत में भारतीय व्यापार केन्द्र	२२७२
१५३४	बिजली से चलने वाले खेती के यंत्र	२२७२ -७३
१५३५	आकाशवाणी में हिन्दी	२२७४
१५३६	कारखाने की इमारतों का नक्शा	२२७४
१५३७	इंडोनेशिया के साथ व्यापार करार	२२७५
१५३८	जलद्वारों और स्विच गियरों का निर्माण	२२७५
१५३९	२४ परगना (पश्चिमी बंगाल) में अस्पताल	२२७५
१५४०	ग्रामीण आवास योजना	२२७६
१५४१	कहवा का उत्पादन	२२७६
१५४२	कोयला खनिकों में ऋणिता	२२७६
१५४३	दिल्ली में होटल	२२७६–७७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर: (क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५४४	गुजरात में उद्योग	२२७७
१५४५	सरकारी मुद्रणालय	२२७७-७८
१५४६	विदेशी पाठ्यपुस्तकों का आयात	२२७८
१५४७	राजस्थान के काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध प्रविधिक कर्मचारी	२२७९
१५४८	स्टेशनरी का आयात	२२७९
१५४९	संयुक्त राज्य अमेरिका को हथकरघा वस्त्र का निर्यात	२२७९-८०
१५५०	हिन्दी के फार्म	२२८०
१५५१	हिन्दी में पत्र, परिपत्र आदि	२२८०
१५५२	बिना पारपत्र के यात्रा	२२८१
१५५३	कपूर का कोटा	२२८१
१५५४	मद्रास में नारियल जटा उद्योग	२२८१-८२
१५५५	राजसहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना	२२८२
१५५६	हथकरघा उद्योग के लिये संविहित निकाय	२२८२
१५५७	आंध्र प्रदेश का आर्थिक तथा औद्योगिक सर्वेक्षण	२२८२-८३
१५५८	विदेशों के लिये आकाशवाणी से प्रसारण	२२८३
सभा पटल पर रखे गये पत्र		२२८४
	(१) चीनी उद्योग के केन्द्रीय मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन (१९६०)।	
	(२) चाय बागान उद्योग के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्डकी स्थापना करने वाला दिनांक ५ दिसम्बर, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू० बी-३(१२)/५९।	
राज्य सभा से सन्देश		२२८४
	सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त दो सन्देशों की सूचना दी कि राज्य सभा ने ६ दिसम्बर, १९६० की अपनी बैठक में निम्नलिखित विधेयकों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है :—	
	(१) बिलासपुर वाणिज्यिक (निगम निरसन) विधेयक, १९६० जो लोक-सभा द्वारा १४ दिसम्बर, १९६० को पारित किया गया था।	
	(२) महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक, १९६०, जो लोक-सभा द्वारा २१ नवम्बर, १९६० को पारित किया गया था।	

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २२८४–८५

श्री रघुनाथ सिंह ने दक्षिण अफ्रीका के अल्प-संख्यक गोरों के विभक्त मत के आधार पर राष्ट्रमंडल में एक गणराज्य बनाने के निर्णय को मान्यता देने के बारे में भारत के अनुमोदन की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक—पुरस्थापित २२८५

विनियोग (संख्या ५) विधेयक ।

विधेयक विचाराधीन . . . . २२८६—२३००

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) ने प्रस्ताव किया कि वायदे के सौदे विनियमन (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

विधेयक—पारित २३००–०१

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के प्रश्चात् विधेयक पारित किया गया ।

भारत में खेल कूद के बारे में प्रस्ताव . . . . २३०२—१८

श्री ही० ना० मुकर्जी ने भारत में खेलकूद के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया । कुछ चर्चा के पश्चात् श्री ही० ना० मुकर्जी ने वाद विवाद का उत्तर दिया और चर्का समाप्त हुई ।

शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९६०/१८ अग्रहायण, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि–

विनियोग (संख्या ५) विधेयक और वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक पर विचार और उनका पारित किया जाना तथा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर भी विचार ।

GMGIPND—LS III—1606 (Ai) LS—30-12-60—115.